खण्ड-200, अंक-4
शनिवार, 22 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(13 दिसम्बर, 1958 ई0)

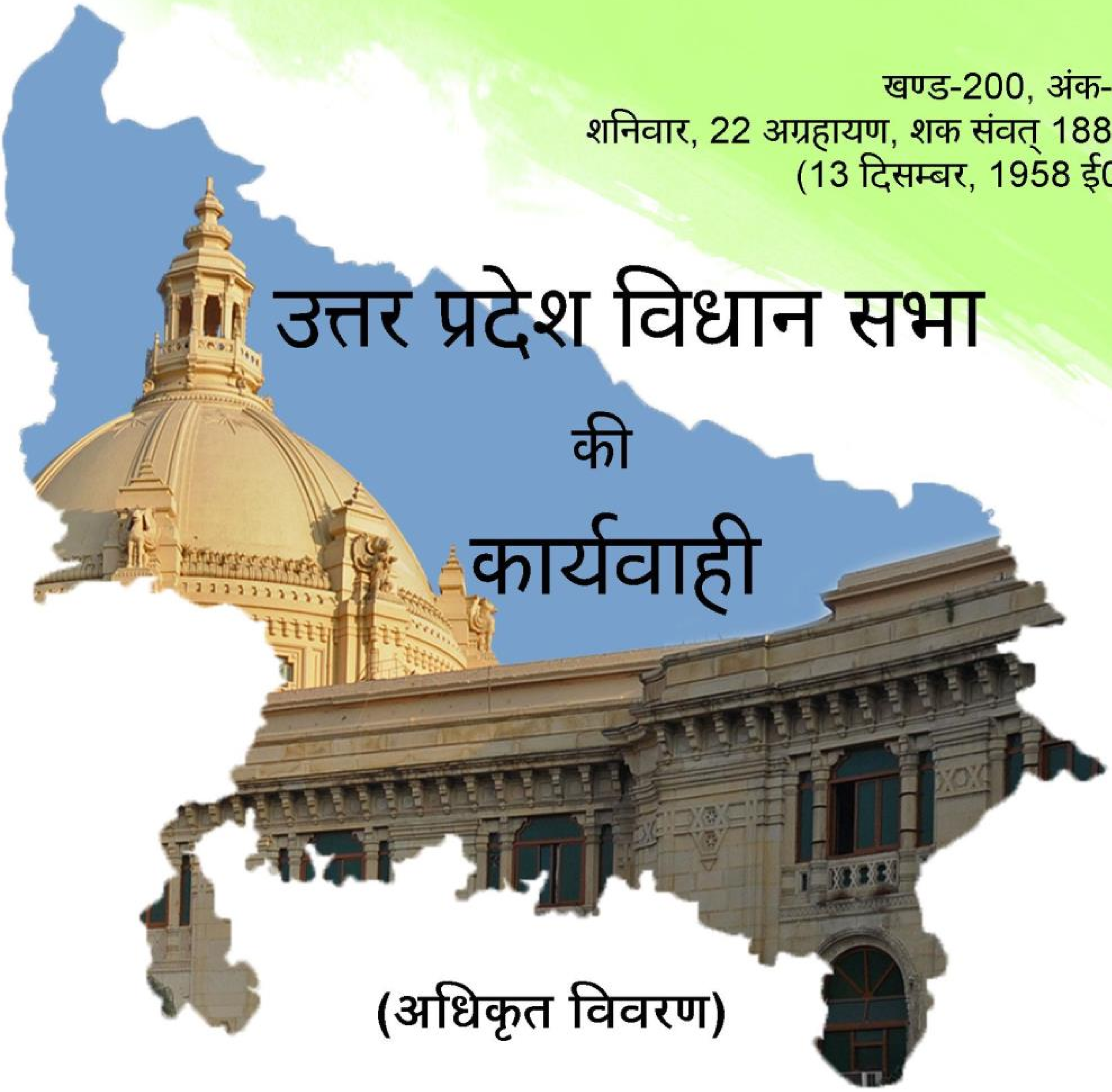

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 200 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३१३–३१७
प्रश्नोत्तर	३१७–३३८
५ दिसम्बर, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३३८–३३९
गन्ने का मूल्य न बढ़ाने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३३९–३४१
व्यक्तिगत विषय से संबंधित कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३४१
विभिन्न समितियों की नामजदगी से नाम वापस लेने की अवधि में वृद्धि की सूचना (जारी)	३४१
कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी	३४१
विभिन्न समितियों की नामजदगी से नाम वापस लेने की अवधि में वृद्धि की सूचना	३४१–३४२
फाइनैन्स एकाउन्ट्स १९५६–५७ ऐण्ड आडिट रिपोर्ट १९५७ तथा एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १९५६–५७ ऐण्ड आडिट रिपोर्ट, १९५८ (मेज पररखे गये)	३४२
उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचारोपरान्त पारित)	३४२–३७६
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (प्रस्ताव पर, कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार किया जाय, विवाद—जारी)	३७६–३८८
नत्थियां	३८९–३९८

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १३ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५५

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया , श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरग़ाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्द राम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह, भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह, राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री

रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शंम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शनिवार, १३ दिसम्बर, १९५८

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा परिषद् के स्कूलों का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में आदेश

**१—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा परिषद् के स्कूलों के निरीक्षण के संबंध में स्वायत्त शासन (क) संख्या ३७९८—बी/९—ए—१९ बी—७—५८, दिनांक २९ सितम्बर, १९५८ का पत्र जो जिलाधीशों के सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु जिलाधीशों के पास उनके विभाग द्वारा प्रेषित किया गया है उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—वांछित शासकीय आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३८९ पर)

श्री गंगाप्रसादसिंह—इस आदेश से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भूतपूर्व सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति लिये स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं । तो ऐसा किस विशेष परिस्थिति में किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, धारा १९८ जो इस संबंध में है वह यह है—"Any member of a board may inspect any work or institution constructed or maintained, in whole or part, at the expense of the board, and with the previous sanction of the president any register, book, accounts or other documents in the office of the board.
इसी के अन्तर्गत सदस्य निरीक्षण कर सकते हैं ।

श्री गंगाप्रसादसिंह—श्रीमन्, इस धारा में अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता स्कूलों के लिये नहीं है, रजिस्टर इत्यादि के लिए है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह आर्डर किस विशेष परिस्थिति में दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव--वह सेक्शन आज ही मैंने और मंत्री जी ने पढ़ा है। इस पर विचार किया जायगा। जैसा उन्होंने कहा है वैसा भी इन्टरप्रेटेशन हो सकता है। आवश्यकता होगी तो आदेश सही कर दिये जावेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस सरक्यूलर से ऐसा भी भ्रम हो गया है कि सदस्य अपने क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--धारा १९८ का जिक्र उस आदेश में है, उसे ठीक किया जा सकता है।

लक्ष्मी शुगर फैक्टरी, महोली, जिला सीतापुर का इंजिन फट जाना

**२--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि क्या लक्ष्मी शुगर फैक्टरी, महोली, जिला सीतापुर का बाइलर फट गया है जिससे फैक्टरी बन्द पड़ी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--इस फैक्टरी का इंजिन गत् २२ नवम्बर को फट गया था, परन्तु अब यह फैक्टरी १ दिसम्बर, १९५८ से पुनः चालू हो गई है।

तारांकित प्रश्न

[मुख्य मंत्री द्वारा ११ दिसम्बर, १९५८ के स्थगित प्रश्न]

इलाहाबाद का नाम प्रयाग रखने की प्रार्थना

*१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार इलाहाबाद का नाम प्रयाग रखने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--कृपया १ अगस्त, १९५७ के प्रश्न संख्या २९ के उत्तर को देखें।

*२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार के पास इलाहाबाद के नागरिकों की ओर से इलाहाबाद का नाम प्रयाग रखने की मांग आई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहले--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग था ? यदि हां, तो अब प्रयाग नाम रखने में क्या आपत्ति है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक मैंने सुना है, प्राचीन नाम प्रयाग था। आपत्ति का कोई खास सवाल नहीं है। इस समय प्रश्न उठा नहीं है और न हमारे सामने विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--जैसे बनारस का नाम वाराणसी रखा गया है वैसे ही क्या संस्कृत के आख्यानों को देखते हुए मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इलाहाबाद का नाम प्रयाग रखा जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बनारस का नाम वाराणसी तो विशेष अवस्था में रखा गया। बुद्ध की २५००वीं शति मनाई गई थी, उस मौके पर एक आल-इंडिया समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री थे। बहुत जगहों से, विशेष तौर से बौद्ध देशों से भी इस बात की इच्छा प्रकट की गई थी कि उस शहर का नाम वाराणसी कर दिया जाय और बौद्ध साहित्य

में भी वाराणसी ही है। चूंकि वह इंटरनेशनल चीज मनाई जा रही थी और खास तौर से बौद्ध सैण्टीमेंट को संतुष्ट करने के लिये उसका नाम वाराणसी रखा गया। हां, हम विचार करने के लिये तैयार हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---मुख्य मंत्री जी इस संबंध में कब तक अपना निर्णय दे देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह हमारे हाथ की बात नहीं है। नियम के मुताबिक जिस किसी शहर, तहसील या गांव का नाम डाकखाने वगैरह में आ गया है या नक्शों में आ गया है उनमें अन्तिम फैसला केन्द्रीय सरकार की होम मिनिस्ट्री करती है। हम नहीं करते हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या इलाहाबाद की विद्वत् समिति ने सरकार को इस नाम को बदलने के लिये लिखा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे याद नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय सरकार को इसका नाम बदलने के लिये लिखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त तो नहीं। आज से कई साल पहले हम लिख भी चुके हैं, उस वक्त बनारस और इलाहाबाद, इन सब की बाबत लिखा था और वह नामंजूर हो गया था। मुझे सन् ठीक याद नहीं है। फिर इसके लिये लिखा जा सकता है।

परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस

*३---श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने डी० आई० जी० पुलिस परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई नहीं।

*४---श्री हरदयालसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने सुपरिण्टेंडेंट पुलिस परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---क्रमशः १ तथा २ :

* * * *

गोरखपुर जिले की गुड़ विकास योजना

*८---श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की हर तहसील में गुड़ विकास योजना किन-किन स्थानों में खुली है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९० पर)

*९---श्री गौरीराम गुप्त---अगर हां, तो उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कितने वर्ष से कार्य हो रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सन् १९५६-५७ से।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में गुड़ विकास योजना तत्काल खोलने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस समय ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार को मालूम है कि फरेंदा तहसील में अन्य तहसीलों के अलावा गन्ने की खेती ज्यादा होती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसकी कोई निश्चित सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ बनाने के लिये कोल्हू प्राप्त करने की दरख्वास्तों पर पर्याप्त मात्रा में कोल्हू नहीं दिये जा रहे हैं और सरकार कठिनाई पैदा कर देती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह कहना नितान्त भ्रामक होगा कि सरकार कठिनाई पैदा करती है । सरकार तो मदद करती है, पैसा और तकावी देती है, लेकिन जितना उत्पादन कोल्हुओं का देश में है उसी हिसाब से मिलेंगे । अनगिनत नहीं बने हैं और न निकट भविष्य में बनने की सम्भावना है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि केवल १ लाख रुपया कोल्हू की तकावी के लिये इस वित्तीय वर्ष में दिया गया है और जिलों से इसे बढ़ाने की मांग की गई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सभी चीजों की मांग है और ज्यादा से ज्यादा धन कोल्हू के लिये भी निकाला गया ।

* * * *

वीविंग स्कूल, मेंहदावल, जिला बस्ती का बन्द हो जाना

*१८---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेंहदावल (बस्ती) में जो वीविंग स्कूल (कपड़ा बुनाई शिक्षण केन्द्र) चल रहा था वह पूरा कोर्स समाप्त होने के पहले ही बन्द कर दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---(क) जी हां ।

(ख) खादी विस्तारित योजना का बन्द किया जाना ।

*१९---श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बुनाई स्कूल में जो शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे थे उनको अपना बिनाई उद्योग चालू रखने के लिये सहायता देगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि यदि वे शिक्षार्थी नये स्थान पर शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो वहां उनको प्राथमिकता दी जायगी और उनका पाठ्यक्रम पूर्ण कर दिया जायगा ।

श्री राजाराम शर्मा---जो शिक्षार्थी वहां शिक्षा पा रहे थे क्या वे अपने काम को चालू करने के लिये सरकारी सहायता पा सकते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यदि उपयुक्त समय पर प्रार्थना की जायगी तो अवश्य ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---उक्त प्रकार के छात्रों द्वारा बनाये गये कपड़े के संरक्षण के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबंध किया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---खादी बने और बिके इसके संबंध में बड़ी लम्बी-चौड़ी योजनाएं हैं । सरकार उन योजनाओं को कार्यान्वित करने और फैलाने में मदद देती है । इसके अतिरिक्त जो संरक्षण खादी को प्राप्त है वे तो माननीय सदस्य की जानकारी में हैं ही ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मेंहदावल वीविंग स्कूल जो कोर्स समाप्त होने से पहले ही बंद हो गया था, उसके विद्यार्थी कहीं दूसरे स्थान पर भेजे जाने वाले हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हमारे जो दूसरे सेंटर्स हैं, अगर विद्यार्थीगण वहां जाना चाहेंगे तो उनको भेज दिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये जो दूसरे वीविंग सेंटर्स हैं वे पहले वीविंग सेंटर से कितने दूर हैं और इन लड़कों को कहां भेजा जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रदेश में जगह-जगह पर सेंटर्स हैं । ये लड़के जहां जाना चाहेंगे, उनको वहीं भेज दिया जायगा । खादी के सेंटर्स आजमगढ़, फैजाबाद व बस्ती में हैं । मैं नहीं जानता कि ये लड़के कहां जाना चाहेंगे । ये सेंटर्स अस्थायी रूप से बाढ़ के संबंध में खोले गये थे, लेकिन बाद में खादी कमीशन से सहायता न प्राप्त होने के कारण बंद कर देने पड़े ।

* * * *

मैनपुरी जिले में तीन वर्ष से अधिक रहने वाले गजटेड अफसर

*२१---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ऐसे गजटेड आफीसर जिन्हें इसी जिले में रहते तीन साल से अधिक हो गये हैं कितने हैं तथा उनके अब तक स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९१-३९२ पर)

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार की ऐसी नीति है कि जिन गजटेड आफिसरों को जिले में रहते हुये ३ साल से ज्यादा हो गये हों, उनका ट्रांसफर उस समय तक न किया जाय जब तक कि उनके लड़कों का इम्तहान न हो जाय ? और क्या यह भी सरकार की नीति है कि यदि कोई आफीसर एक जिले में ३ साल से अधिक से रह रहा है, लेकिन उसका कोई जाती मुकदमा चल रहा है, वह जब तक तय न हो जाय, तब तक उसको वहां से न हटाया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकारी आफीसर भी हमारे ही आदमी हैं, उनको ऐसी सुविधा दी जा सकती है जो अनुचित तरीके की न हो ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिला अधिकारियों के संबंध में कोई ऐसा नियम है कि वह कितने साल तक एक जिले में रह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं इसकी ओर तो प्रश्न पूछने वाले ने स्वयं ही इशारा कर दिया था ।

श्री भवानीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आफीसर्स के ट्रान्सफर्स केवल मई और जून के महीनों में ही हों और इस बारे में आज्ञा देंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अगर कोई इमर्जेंसी हो जाय तब तो ट्रान्सफर करना ही पड़ता है, लेकिन अधिकतर इस बात की कोशिश की जाती है कि उन्हीं महीनों में ट्रान्सफर किये जायं जब से साल शुरू होता है । जहां तक सुविधाएं हो सकती हैं, देने की कोशिश की जाती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में ऐसे अधिकारी कितने हैं जो तीन साल से ज्यादा से हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सात ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह नीति मैनपुरी के गजेटेड और नान गजेटेड सभी कर्मचारियों के लिये लागू है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रदेश भर में सभी के लिये लागू है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि महिलाओं के लिये ३ वर्ष वाले नियम का कड़ाई के साथ जो पालन नहीं किया जाता है उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहुत कुछ कयास करके ही सवाल कर रहे हैं, कोई निश्चित बात नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अभी गवर्नमेंट आर्डर निकला है कि ३ वर्ष से अधिक कोई भी अधिकारी एक जिले में नहीं रह सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुये सारे ट्रान्सफर अब ३१ अप्रैल से लेकर १ जुलाई तक करने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—योजना का सवाल नहीं है, वर्षों से इस बात का खयाल किया जाता है कि जहां तक हो सके उनका ट्रान्सफर ऐसे वक्त किया जाता है जब कि उनके बच्चों की पढ़ाई वगैरह का साल खतम हो जाता है ।

* * * *

गढ़वाल जिले में धान की फसल में रोग

*२५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष धानों की फसल को जिला गढ़वाल में एक रोग हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां । सूचना मिलते ही उद्यान एवं कृषि रक्षा सचल दल द्वारा कीड़ों का विनाश करके स्थिति काबू में कर ली गई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह क्या रोग था, कितने क्षेत्रफल में हो गया था और इसका निराकरण कब हो गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, वह पैडी लीव्ज हौपर है जिसे हिन्दी में धान की पत्तियों पर फुदकने वाला कीड़ा कह सकते हैं । करीब २०० एकड़ एरिया में यह रोग फैला हुआ था, उसको क्योर करने के लिये १५ दिन तक आपरेशन रहा जो काफी सक्सेसफुल रहा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या जिला गढ़वाल का कृषि के सम्बन्ध में जो सचल दल है वह उद्योग विभाग के अधीन है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह जो हार्टिकल्चर का कुछ काम है वह उद्योग विभाग के अन्तर्गत आता है, उसके डायरेक्टरेट में था इसलिये उनको आदेश हो गया था ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रोग से कितनी धान की फसल को नुकसान हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—नुकसान कितना हुआ यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिससे कोई बहुत बड़ा असर पड़ा हो । करीब २०० एकड़ की फसल को क्षति पहुंच सकता थी, लेकिन इस सचल दल ने उस रोग को फैलने से रोक दिया । इस तरह से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है ।

* * * *

देवरिया जनपद में ग्राम सेवकों की कथित ट्रेनिंग

*३०—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में सन् १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग दी गई थी ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—१९५३–५४ तथा १९५४–५५ में देवरिया जनपद में ग्राम सेवकों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी ।

*३१—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति ग्राम सेवक पद पर काम कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री सुल्तान आलम खां—प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में ग्राम सेवकों की अभी ट्रेनिंग हुई थी ?

श्री सुल्तान आलम खां—एक दो साल के मुताल्लिक माननीय सदस्य ने जानकारी हासिल करनी चाही थी कि इन दो सालों १९५३–५४ और १९५४–५५ में कोई ट्रेनिंग हुई या नहीं हुई । अगर वे किसी और साल के मुताल्लिक जानना चाहते हों कि ट्रेनिंग हुई या नहीं तो उसके लिये मुझे नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम सेवक पद पर ट्रेनिंग ले कर कुछ लोग बेकार पड़े हुये हैं और उनको काम पर नहीं लगाया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय सदस्य ने सवाल किया था कि जनपद देवरिया में दो वर्ष १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में ग्राम सेवकों की ट्रेनिंग हुई या नहीं, मैंने कहा कि कोई ट्रेनिंग नहीं हुई । लेकिन अगर उनके पूछने का मतलब यह है कि उस जगह के रहने वाले कितने लोग हैं जो ग्राम सेवकों की ट्रेनिंग पाये हुये हैं किन्तु बेकार हैं तो यह एक नया सवाल है, और इसके लिये नोटिस चाहिये ।

* * *

सेवरही, केन कोआपरेटिव यूनियन का गन्ना के दाम बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

*३६—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सेवरही (देवरिया) केन कोआपरेटिव यूनियन द्वारा गन्ना का अधिक मूल्य दिलाने के लिये कोई प्रस्ताव जो गत १ अक्तूबर, १९५८ को तमकुही रोड में स्वीकृत हुआ था सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां । ज्वाइंट शुगर केन बोर्ड फार यू० पी० एण्ड बिहार की बैठक १५ नवम्बर, १९५८ को विधान भवन, लखनऊ में हुई थी जिसमें गन्ने का अधिक मूल्य दिलाने के मामले में विचार हुआ था । और बोर्ड की सिफारिश से केन्द्रीय सरकार को अवगत करा दिया गया है ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री संक्षेप में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन कोआपरेटिव यूनियन ने क्या मांग की थी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उन्होंने यही मांग की थी कि मिनिमम केन प्राइस १ रुपया १२ आना कर देना चाहिये ।

श्री गेंदासिंह—क्या इसकी जानकारी उद्योग मंत्री को है कि उस कारखाने की रिकवरी ११ प्रतिशत हुई है जिस कारण काश्तकारों की भी उसके हिस्से में मांग है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह बात सही है कि गन्ने की रिकवरी की वजह से या और किसी वजह से यह एक मांग थी कि जो अधिक मुनाफा फैक्ट्री को हुआ है उसमें केन ग्रोअर्स को भी कुछ मुनाफे का हिस्सा मिलना चाहिये ।

श्री गेंदासिंह---इस प्रश्न पर सरकार ने क्या विचार किया?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्रश्न केवल गन्ने का मूल्य अधिक बढ़ाने के सम्बन्ध में था और बातें चूंकि इसमें थी नहीं इसलिये उत्तर इस समय में नहीं दे सकूंगा । नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को क्या सिफारिश की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सरकार यह मुनासिब नहीं समझी कि यह बात आपसे बतलाई जाय क्योंकि यह बोर्ड और केन्द्रीय सरकार के बीच में अपनी कांफिडेंशियल खतो-किताबत है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---केन्द्रीय सरकार को रेफर करने के बाद वहां से क्या उत्तर आया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---केन्द्रीय सरकार ने गन्ने को जो मिनिमम प्राइस थी वह फिक्स कर दी जिसे सभी माननीय सदस्य जानते हैं और कह दिया कि यही प्राइस रहेगी, इसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को वर्तमान सीजन में ही गन्ने की प्राइस को बढ़ाने के सम्बन्ध में सिफारिश की है या अगले वर्ष के गन्ने के सम्बन्ध में सिफारिश की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अगले सीजन के सम्बन्ध में बोर्ड ने कहा है कि इस पर मुनासिब वक्त पर विचार करना होगा ।

श्री प्रतापसिंह---सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव से अवगत करा दिया गया है तो माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार ने अपनी सिफारिश के साथ अवगत कराया है या सीधे-सीधे प्रस्ताव भेज दिया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह भी बात कांफिडेंशियल है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---बार-बार इस सदन में यह कहा गया कि चूंकि शुगर की रिकवरी कम होती है इसलिये दाम गन्ने के कम हैं और अब जब शुगर की रिकवरी बढ़ गयी तो क्या सरकार गन्ने की कीमत बढ़ाने की सिफारिश करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---हमारे पास इस वक्त सिफारिश करने का कोई मौका नहीं है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे जैसा कि पिछले वर्षों केन्द्रीय सरकार गन्ने की कीमत साल भर पहले निश्चित कर देती थी तो इस बार भी गन्ने की कीमत निश्चित करने की कोई सिफारिश सरकार ने की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि बोर्ड बैठता है, विचार करता है, सिफारिश भेजता है, लेकिन सारी बात आज बताने की गुंजायश नहीं है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिकवरी के अनुसार गन्ने का मूल्य बढ़ेगा तो क्या सेवरही यूनियन को मिलेगा या और भी जगह के लिये विचार किया जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा---यह मैंने कहा ही नहीं कि बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा और किस बुनियाद पर बढ़ेगा, लेकिन कोई चीज अगर होती है, किसी बात पर विचार होगा तो आम चीनी उद्योग के बारे में ही विचार हो सकता है एक फैक्ट्री के लिये तो विचार हो ही नहीं सकता।

* * * *

लखनऊ जिले में मोहनलालगंज व गुसाईंगंज ब्लाकों में हरिजन उत्थान के कार्य

*३९---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५७-५८ वर्ष में लखनऊ के मोहनलालगंज व गुसाईंगंज के ब्लाक से हरिजन के उत्थान के लिये किस गांव में और किस कार्य में कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां---इस विषय के विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३९३-३९४ पर)

श्री रामशरण यादव---उत्तर में सिर्फ हैंड पम्प और कूप मरम्मत वगैरह का जिक्र किया गया है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ब्लाक मोहनलालगंज और गोसाईंगंज, इन दोनों में मकानों के निर्माण के लिये हरिजनों को कोई रकम नहीं दी गई, ऐसा क्यों है ?

श्री सुल्तान आलम खां---जो आपके सामने स्टेटमेंट है उसमें हैंड पम्प, कूप मरम्मत और नये कूप पानी पीने के इन सबके लिये रुपया दिया गया है और उसका पूरा स्टेटमेंट आपके सामने है।

श्री रामशरण यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजनों के लिये दोनों ब्लाकों में मकान निर्माण के लिये अलग-अलग इस वर्ष कितनी रकम थी ?

श्री सुल्तान आलम खां---मेरे पास इस वक्त जो विवरण था वह आपके सामने है। अगर माननीय सदस्य इस किस्म का सवाल करेंगे तो उसका जवाब भी मंगा दिया जायगा।

बस्ती जिले में युवक मंगल दल की स्थापना

*४०---श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला में युवक मंगल दल की स्थापना कहां-कहां हो चुकी है और इनमें से प्रत्येक दल में कितने युवक सम्मिलित हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३९५ पर)

श्रीमती गेंदादेवी---क्या सरकार बतायेगी कि इन युवकों को किस-किस विषय की शिक्षा दी जाती है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसमें जो शिक्षा दी जाती है उसमें लोगों के अखलाक संभाले जाते हैं, उनको श्रम से मुहब्बत करने की प्रेरणा दी जाती है, काम करने की लगन पैदा की जाती है और यह कि अपने मुल्क से मुहब्बत किस तरीके से की जाय, किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव वर्क में हिस्सा ले सकें और इस बात की कोशिश की जाती है कि इसके जरिये से हमारी आइन्दा नस्लें इस किस्म की बन सकें जो मुल्क के साथ पूरी मुहब्बत और उसके निर्माण में पूरा हिस्सा ले सकें।

श्रीमती गेंदादेवी—इन युवकों के मनोरंजन तथा खेलकूद की भी कोई व्यवस्था है। यदि हां, तो किस प्रकार की ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां, इन सब का भी बन्दोबस्त किया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस युवक मंगल दल के कार्यों में महिलाओं को भी शामिल किया गया है विधान में ?

श्री सुल्तान आलम खां—जी हां, शुरू में कोशिश की गई कि मर्द शामिल हों, लेकिन इसकी भी कोशिश की जाती है कि महिलाओं के लिये यह तमाम सुविधाएं रखी जायं।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन युवक मंगल दलों के जो नायक हैं उनकी कहीं ट्रेनिंग भी हुई है, या उसकी व्यवस्था की जाती है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये हमने खास स्पेशलिस्ट की सेवाएं हासिल कर ली हैं उनके जरिये से इसे आर्गेनाइज किया जाता है और जो लोग इस काम को चलाते हैं उनको खास किस्म की ट्रेनिंग भी दी जाती है।

लखनऊ में विधायक निवास-विधान भवन मार्ग पर खाद जमा करने पर आपत्ति

*४१—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि विधायक निवास १ तथा २ (दारुलशफा) से जो मार्ग विधान भवन के लिये आता है, उसके किनारे खाद जमा करने तथा उसको सड़ाने और बेचने का स्टाक जमा रहता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विधायक निवास, १ तथा २ से जो मार्ग विधान भवन के लिये आता है उसके किनारे कुछ खाद विधान भवन के उद्यानों के लिये खरीद कर जमा की गई थी। यह कार्य अस्थायी तौर पर अन्यत्र स्थान की कमी के कारण किया गया था, मगर खाद वहां सड़ाई नहीं जाती है, न बेची जाती है।

*४२—श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह जानती है कि विधायकों को हर समय उस मार्ग से निकलने में असुविधा होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—विधायकों को हुई असुविधा के लिये खेद है।

*४३—श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)—क्या सरकार उस खाद को वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह जमा कराने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सचिवालय में हो रहे निर्माण कार्य के कारण इस खाद को अन्यत्र एकत्र करने के लिये उपयुक्त स्थान की कमी है, सदस्यों को होने वाली असुविधा के निवारणार्थ अब यह खाद मार्ग से काफी अन्तर पर गड्ढों में बन्द कर दी गई है।

हरदोई जिले में अल्प बचत योजना

*४४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सन् १९५७ से जुलाई, १९५८ तक हरदोई जिले में तहसीलवार अल्प बचत में कितना रुपया जमा किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अल्प बचत में जमा की गई धनराशि के आंकड़े तहसीलवार नहीं रक्खे जाते हैं।

मितरी ग्राम, जिला गाजीपुर में अशोक स्तम्भ की सुरक्षा दीवार की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*४५—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार को पता है कि जिला गाजीपुर के मितरी ग्राम में जो अशोक स्तम्भ की सुरक्षा की दीवार है वह टूट-सी गई है? यदि, हां तो क्या सरकार उसकी मरम्मत के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हां, यह केन्द्रीय सरकार की सुरक्षित स्मारक है और केन्द्रीय सरकार को इसकी सुरक्षा के लिए लिख दिया है।

श्री यमुना सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि यह सूचना केन्द्रीय सरकार को कब दी गई थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अक्तूबर की कोई तारीख है, मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन ८ नवम्बर को उनका जवाब आया था कि हमने अपनी मरम्मत की सूची में उसको शामिल कर लिया है और यथासमय उसकी मरम्मत होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दीवार कितने दिनों से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना भारतीय सरकार के पास होगी।

बदायूं जिले में तीन वर्ष से अधिक रहने वाले गजटेड अफसर

*४६—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में कितने ऐसे गजटेड अफसर हैं जिनका ट्रांसफर ३ साल से अधिक उक्त जिले में रहने पर भी नहीं किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दो।

श्री टीकाराम—इन दो के न हटाने का क्या कारण है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इनमें एक तो इंजीनियर हैं। उनका कार्य-काल समाप्त हो गया अगस्त में। अभी उनके स्थान पर रखने लायक कोई ठीक इंजीनियर नहीं मिला। जब मिल जायगा तो रख लिया जायगा।

दूसरी हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल। स्त्रियों के लिए ३ वर्ष का नियम कड़ाई से बरता नहीं जाता, इसलिए उनको वहां रख दिया गया है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—जिन इंजीनियर साहब का कार्य-काल अगस्त में समाप्त हो गया है, क्या उनका कार्य-काल बढ़ाया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कार्य-काल बढ़ाने का कोई सवाल नहीं होता। जब तक वह सर्विस में हैं तब तक हैं। हां, उस जिले में उनको ३ वर्ष हो गये। बढ़ाने-घटाने का सवाल नहीं होता।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन इंजीनियर महोदय का जिक्र किया गया है वह किस विभाग के हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के बिल्डिंग ऐण्ड रोड्स ब्रांच के हैं।

पीलीभीत चीनी मिल पर सरकारी बकाया

*४७—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पीलीभीत, शुगर फैक्ट्री के ऊपर सरकार का जो १३ लाख रुपया बकाया है उसके अब तक वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आर्थिक कठिनाइयां होने से इस मिल द्वारा सेस की मद के अन्तर्गत सरकार का केवल ९.८५ लाख रुपया १ नवम्बर, १९५८ तक भुगतान नहीं किया जा सका है।

*४८—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत शुगर फैक्ट्री पर किसानों का कितना रुपया बकाया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१६ नवम्बर, १९५८ को इस फैक्ट्री पर किसानों का ३.९० लाख रु० बकाया था।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १३ दिसम्बर, १९५८ तक ९.८५ लाख और ३.९० लाख रुपये की वसूली के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या कार्यवाहियां की गयीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार ने केन कमिश्नर को आदेश दिया कि वह यू० पी० शुगर केन ऐक्ट, १९५६ की धारा ३ के अधीन कार्यवाही करें। उसके मुताबिक सेस का पैसा समय पर न देने पर जुर्माना होता है और इस तरह से होता है कि फुल सेस जो देना होता है उसका १० परसेंट जुर्माना हो सकता है। केन कमिश्नर ने शो काज नोटिस दिया, जवाब लिया और जुर्माना अदा करने की तिथि लगा दी है कि अगर फलां तारीख तक अदा नहीं किया गया तो ५ परसेंट, फिर साढ़े सात परसेंट जुर्माना होगा।

जहां तक केन ग्रोअर्स के पैसे का सवाल है उसकी वसूली के लिये रिकवरी सार्टिफिकेट्स जारी कर दिये गये हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकार यह बतला सकेगी कि अब तक मिल-मालिक के ऊपर कोई कुर्की या वारंट गिरफ्तारी की कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वारण्ट गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। जो उनके ऊपर पैसा बांध दिया गया है वह जमा करते चले जा रहे हैं और वह जो जुर्माने की कार्यवाही की गयी है वह खत्म हो जायगी। अब गिरफ्तारी और अटैचमेंट आफ प्रापर्टी का सवाल आता नहीं है। रिकवरी की वसूली के संबंध में जो सार्टिफिकेट्स दिये गये हैं उनके संबंध में जो मुनासिब कार्यवाही है, वह होगी।

श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री बतलायेंगे कि कानून के मुताबिक यह रकम आज से १० महीने पहले ड्यू हो गयी थी तो १० महीने तक वह क्यों बाकी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—फैक्ट्री ने दिया नहीं, इसलिए बाकी है।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि पिछले वर्ष उस मिल के ऊपर कुर्की का वारंट गया था, उसके बाद फिर क्यों वसूली नहीं हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—पिछले साल कुर्की जाने न जाने की सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है इसलिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

नियोजन अधिकारियों के पास जीपें

*४९---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में नियोजन अधिकारियों के पास कुल कितनी सरकारी जीपें और मोटरें हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नियोजन विभाग के अन्तर्गत नियोजन अधिकारियों के पास कुल ४९० सरकारी जीपें और ४३ मोटरें हैं ।

* * * *

जौनपुर जिले में गजटेड अफसरों के विरुद्ध शिकायतें

*५१---कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५७ के आरम्भ से अब तक जौनपुर जिले के कितने गजटेड आफिसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हुईं ? उनमें से कितनी सत्य पाई गईं तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जनवरी, १९५७ ई० से ३१ जुलाई, १९५८ ई० तक जौनपुर जिले के ८ गजटेड आफिसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत हुई । इनमें से ५ शिकायतों में जांच समाप्त हो चुकी है, परन्तु कोई शिकायत सत्य नहीं पाई गई । शेष ३ शिकायतों में जांच समाप्त नहीं हुई ।

कुंवर श्रीपालसिंह---ये शिकायतें किन-किन अफसरों के खिलाफ थीं और मुख्य क्या थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, नाम भी पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष---वह तो आपके ऊपर निर्भर है, जिस तरह आप चाहें जवाब दें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं शायद माननीय सदस्य स्वयं इस बात को पसन्द न करेंगे कि नाम पढ़े जायं । वैसे नाम हैं मेरे पास । शिकायतें जिन लोगों के खिलाफ आयीं उनमें एक हैं जुडीशिल अफसर, एक बी० डी० ओ०, एक कंसालिडेशन आफिसर, ४ तहसीलदार, १ जेल सुपरिण्टेण्डेंट । ज्यादातर शिकायतें तो रिश्वत की हैं । एक साहब के खिलाफ शिकायत यह थी कि उन्होंने एक मुकदमा अपने किसी रिश्तेदार के कहने से फैसला कर दिया और एक साहब के खिलाफ यह शिकायत है कि उन्होंने सरकारी आदमियों से अपना निज का काम लिया और एक साहब के खिलाफ शिकायत यह है कि उन्होंने कुछ कैदियों को रिश्वत लेकर जमानत पर जाने दिया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---गजेटेड आफिसर्स के खिलाफ जांच करने की एजेन्सी क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आम तौर से जो उनके ऊपर के अफसर होते हैं वे करते हैं । इन केसेज में ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने की और जो जेल के आदमी हैं उनके लिये आई० जी० आफ प्रिजन्स है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन अफसरों के खिलाफ शिकायत होने के कितने दिन के बाद जांच शुरू हुई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो ब्योरा मेरे पास इस वक्त है नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इस बात पर सोच रही है कि इन गजेटेड अफसरों की जांच जिस प्रकार डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस (कम्प्लेन्ट्स) नान-गजटेड स्टाफ की करते हैं उसी प्रकार कोई विशेष अफसर उनकी जांच किया करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई विशेष स्थिति पैदा हो किसी खास मामले में तो विचार किया जा सकता है लेकिन साधारणतौर पर तो ऐसी कोई जरूरत मालूम नहीं होती नहीं तो ऐडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल गड़बड़ हो जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जिन तीन अफसरों के खिलाफ अभी भी जांच हो रही है उनके पद क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दो तो उसमें तहसीलदार हैं और एक जेल सुपरिन्टेंडेंट हैं।

कौन्सिल हाउस गार्ड्स

*५२---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौंसिल हाउस गार्ड्स की संख्या क्या है और उनके निवास की क्या व्यवस्था है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कौंसिल हाउस गार्ड्स की संख्या ४१ हैं। निवास के लिये उन्हें सरकारी क्वार्टर्स बिना कोई किराया लिये दिये जाते हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनका वेतन क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त तो मुझे खयाल नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन ४१ गार्ड्स में से कितनों को आवास की व्यवस्था उपलब्ध है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मुझे ज्ञात है उनमें से २५ को क्वार्टर्स मिल गये हैं बाकी को नहीं मिल सके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि कौंसिल हाउस के गेट्स तक हाउस के प्रिसिंक्टस डिक्लेअर कर दिये गये हैं तो कौंसिल हाउस गार्ड्स को लेजिस्लेचर के या स्पीकर के अधीन करने पर विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझा नहीं कि उनके मकान मिलने से और जो प्रश्न पूछा गया है उससे क्या सम्बन्ध है इसलिये उत्तर देने में असमर्थ हूं।

यू० पी० सिविल सर्विस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए राजनीतिक-पीड़ित छात्रों के प्रार्थना-पत्र

*५३---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मुख्य मंत्री के पास कुछ राजनीतिक पीड़ित छात्रों ने १८-७-५८ को आवेदन-पत्र भेजा है जिसमें यू० पी० सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने के लिये कुछ छूट मांगी है ? यदि हां, तो उसमें खास-खास कौन-सी मांगें हैं और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। खास मांग यह है कि राज्य की सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा (State Combined Competitive Examination) में बैठने के लिये तीन अवसरों का प्रतिबन्ध राजनैतिक पीड़ितों के लिए हटा दिया जाय जैसा कि हरिजन छात्रों के लिये किया गया है। सरकार इस पर विचार कर रही है।

*५४---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार के पास कुछ राजनीतिक पीड़ित छात्रों की मांग आई है जिसमें उन्होंने जो सुविधायें हरिजन छात्रों को दी गई हैं उन्हीं सुविधाओं की मांग की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार कब तक विचार करती रहेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बहुत तेजी से विचार नहीं हो रहा है इसलिये मैं ठीक नहीं कह सकता। फिर भी जितनी जल्दी संभव होगा, होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मांगें आई हैं उनमें खास-खास क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मैं जानता हूं मुख्य मांग तो यह है कि हरिजन छात्रों के बराबर हर चीज में कर दिये जायं।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि १८-७-५८ को इस उम्मीद से प्रार्थना-पत्र दिया है कि २९ दिसम्बर की होने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में बैठ सके तो क्या इससे पहले माननीय मंत्री जी निर्णय देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हर शख्स की उम्मीद को पूरा करने का जिम्मा हमने नहीं लिया है। हरिजन छात्रों की बात दूसरी है लेकिन हर एक के लिये वही सुविधा हो यह विचारणीय बात है।

* * * *

कुमायूं रीजन के ग्राम सेवकों का नैनीताल में साक्षात्कार

*५८---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या २७-२८ जनवरी, १९५७ को कुमायूं रीजन के ग्राम सेवकों का पदोन्नति करने के सम्बन्ध में साक्षात्कार किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति सम्मिलित हुये ? उनमें से प्रत्येक की अलग-अलग शिक्षा सम्बन्धी योग्यता क्या थी और जो चुने गये हैं उनकी योग्यता क्या है ?

श्री सुल्तान आलम खां---२८ जनवरी, १९५७ को, पदोन्नति के लिए, कुमायूं रीजन के ग्रामसेवकों का जो साक्षात्कार नैनीताल में हुआ था; उसमें २८ ग्राम-सेवक सम्मिलित किये गये थे। उनमें से सर्वोच्च अंक पाने वाले १५ व्यक्तियों को सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के पद के लिए चुना गया।

प्रसंगतः २८ ग्राम-सेवकों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३९६-३९७ पर)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो लिस्ट दी है उनमें बी० ए० तथा एम० ए० के लोगों को छोड़ दिया गया है और हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट लोगों को ले लिया गया है तो इसकी क्या वजह है ?

श्री सुल्तान आलम खां---असल में इंटरव्यू हाई लेविल कमेटी के सुपुर्द किया गया था और डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज कुमायूं डिवीजन इसके सदर थे उन्होंने तालीमी काब्लियत के अलावा और भी चीजों पर जैसे करेक्टर, एफीशियेन्सी तथा काम करने के ढंग आदि बहुत सी बातों पर गौर करने के बाद चुनाव किया है। इसमें इल्मी काब्लियत का लिहाज नहीं रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतायेगी कि जिस समय साक्षात्कार किया गया तो उस समय कौन से सिद्धान्त को सामने रखा गया कि कितने ग्रामसेवकों को किया जायगा और किस क्वालीफिकेशन के आधार पर किया जायगा ?

श्री सुल्तान आलम खां--मेरे सामने वह नहीं है जिस वक्त कि इसका एलान किया गया था। लेकिन मतलब यह है कि हम ऐसे लोग चाहते हैं जो हमारा काम कर सकते हों। इसीलिये हाई-पावर कमेटी बिठाई गई थी उनकी योग्यता, काम करने का ढंग, एफीशियेन्सी और करेक्टर वगैरह को देख कर चुनाव हुआ है और कमेटी का फैसला अन्तिम है।

जिला गृह उद्योग समिति, इटावा को सहायता

*५९--श्री भजनलाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गृह उद्योग समिति, इटावा, को जून सन् १९५२ से सन् १९५८ तक कितनी सहायता सरकार से दी गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२३,३४७ रुपये ५० नये पैसे की कुल आर्थिक सहायता इस सरकार से कथित समिति को मिली।

यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के अधिकारी

*६०--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स में कितने अधिकारी ३ साल से अधिक समय से कार्य संलग्न हैं? क्या सरकार उनकी नामावली सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(१) दो।

(ख) उनके नाम निम्नलिखित हैं--

(१) श्री एच० आर० वाधवानी, स्पेशल मैनेजर।

(२) श्री ब्रजेन्द्र बहादुर, एक्सपोर्ट ट्रेड डेवलपमेंट आफिसर, देहली श्री वाधवानी के स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

*६१--श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार इन कारणों को बताने की कृपा करेगी जिनसे प्रभावित होकर उपर्युक्त विभाग में नियुक्त अधिकारियों को ३ साल से अधिक समय के बाद भी स्थानान्तरित नहीं किया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- विशिष्ट पद होने के कारण उक्त अधिकारियों की नियुक्ति उन्हीं पदों के लिये की गई थी। अतः उनके ट्रान्सफर का प्रश्न नहीं उठा।

अब श्री वाधवानी को ट्रान्सफर कर दिया गया है और श्री ब्रजेन्द्र बहादुर का अभी एक्सपोर्ट ट्रेड डेवलपमेंट आफिसर के पद पर फिलहाल बना रहना सरकार जरूरी समझती है। उन्हें इस कार्य का विशेष अनुभव है और उन्होंने केन्द्रीय अधिकारियों के साथ जो सम्पर्क स्थापित किया है वह सराहनीय है।

बाराबंकी में रंगाई का कारखाना

*६२--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बाराबंकी शहर में कोई डाइंग फैक्टरी (रंगाई का कारखाना) सरकार की ओर से हैन्डलूम स्कीम के अन्दर खुली है? यदि हां, तो उस पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--(क) जी हां।

(ख) लगभग ९२,१०५ रुपया।

*६३—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त रंगाई के कारखाने में माहवारी सरकार का कितना रुपया खर्च हो रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—लगभग ५४८ रुपया ।

*६४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त फैक्टरी उद्योग (अ) में पिछले १ जुलाई, १९५७ से ३० जून १९५८ तक कितना सूत रंगा गया और उसे क्या आमदनी हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—रंगाई का काम अभी शुरू नहीं हुआ है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह फैक्टरी कब खुली है और इसमें कितने आदमी काम कर रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस फैक्टरी का काम नवम्बर, १९५६ में शुरू हो गया था और इसमें फिलहाल ५ आदमी काम कर रहे हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें रंगायी का काम कब से शुरू हो जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—बहुत कोशिश के बाद रंगायी का काम करीब-करीब मंजिल के करीब आ गया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द शुरू हो जायगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या यह सही है कि इस फैक्टरी में जो सूत रंगा जाता है वह बहुत रद्दी होता है और उसमें बहुत ज्यादा कास्ट पड़ती है इसलिए यह काम ठप्प है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—जी नहीं, यह बात बिल्कुल असंगत-सी है । मशीनों को खरीदने के लिए जो धन की आवश्यकता थी वह उपलब्ध नहीं था, इसलिए अरसा लगा, उस धन को लाने में और मशीनों को लगाने में । अब जुम्मे जुम्मे दो चार रोज हुए, उसका काम शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है कि रंगायी के सिलसिले में कोई शिकायत नहीं होगी । अगर माननीय सदस्य किसी खास आदमी की कोई खास शिकायत भेजेंगे तो हम उनके अनुगृहीत होंगे ।

पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना की मांगें

*६५—श्री मदन पांण्डेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसान प्रजा पार्टी के नेता प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना, संसद सदस्य द्वारा प्रेषित गोरखपुर, बनारस तथा फैजाबाद कमिश्नरियों की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन गत सप्ताह प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उक्त प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री शिब्बन लाल ने जो सुझाव दिये वह उन १३ मांगों के रूप में हैं जिनको सरकार द्वारा नामंजूर किये जाने पर उन्होंने आमरण अनशन करने का निश्चय प्रकट किया । खास-खास मांगों का संक्षिप्त वर्णन संलग्न नोट में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३९८ पर)

*६६—श्री मदन पांण्डेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित मांगों के सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन मांगों के सम्बन्ध में सरकार का जो निश्चय है वह सदन में कई बार प्रकट किया जा चुका है ।

* * * *

गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस, लखनऊ के कर्मचारियों का आवेदन-पत्र

*६९—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार को गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस, लखनऊ के कर्मचारियों का आवेदन गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद से भिन्न काम करने की पालियों (shift of work) के बारे में मिला है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं ।

* * * *

नौगढ़, जिला बस्ती के लिए चुर्क फैक्टरी का सीमेंट

*८०—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५७ ई० के पूरे वर्ष में बस्ती जिले के नौगढ़ कस्बे में चुर्क फैक्टरी के एजेन्टों को कुल कितनी सीमेंट मिली ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न में उल्लिखित कस्बे में फैक्टरी के स्टाकिस्ट सर्वश्री त्रिपाठी ब्रदर्स ऐंड कम्पनी को सन् १९५७ के पूरे वर्ष में २५३ टन सीमेंट भेजी गई ।

* * * *

मूल्यांकन एवं जन-सहयोग समिति की स्थापना पर व्यय

*८४—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि "मूल्यांकन एवं जन-सहयोग समिति" यू० पी० की स्थापना सरकार ने कब की और उसका कार्य-काल क्या है ?

श्री सुल्तान आलम खां—

(क) सरकार द्वारा मई, १९५८ के तृतीय सप्ताह में एक शासकीय आदेश के द्वारा "मूल्यांकन एवं जनसहयोग समिति" की स्थापना की गई । यद्यपि समिति की कतिपय प्रारम्भिक बैठकें मई के अन्त तथा जून, १९५८ में भी हुई, किन्तु समिति का कार्य वास्तविक रूप में जुलाई, १९५८ से प्रारम्भ हुआ ।

(ख) इस समिति का कार्यकाल साधारणतः छः माह रखा गया है ।

*८५—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि "मूल्यांकन एवं जन सहयोग समिति", यू० पी० की स्थापना यात्रिक भत्ता तथा वेतन आदि में अलग-अलग अब तक कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री सुल्तान आलम खां—"मूल्यांकन एवं जनसहयोग समिति" की विभिन्न मदों पर नवम्बर ३०, १९५८ तक निम्नलिखित व्यय हुआ है:—

		०
(१) वेतन	.. .. ..	६१५०·२३
(२) यात्रिक भत्ता	.. .. ..	७५८८·०९
(३) अन्य	.. .. ..	.. ..
	योग ..	१३,७३८.३२

*८६—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस "मूल्यांकन एंव जनसहयोग समिति," यू० पी० की रिपोर्ट सदन के समक्ष कब तक आ जावेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—ऐसी आशा की जाती है कि वैलुएशन (मूल्यांकन) एवं जन सहयोग समिति की रिपोर्ट सदन के समक्ष जनवरी १९५९ के अंत तक आ जावेगी ।

* * * *

श्री अध्यक्ष---देखिये, इसमें जो जवाब आया है मेरे पास वह किसी मंत्री की तरफ से नहीं आया है। यह श्री रामदास, संचालक विकास अन्वेषणालय की तरफ से आया है। इस तरह से नहीं आना चाहिये। किसी मंत्री की तरफ से आना चाहिए।

श्री सुल्तान आलम खां---गलती से ऐसा हो गया है।

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि इसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि जो उत्तर आया है उसमें लिखा है "मूल्यांकन" तो आपने अंग्रेजी में पढ़ दिया "वैलुएशन"। या तो "वैलुएशन" होना चाहिए या "मूल्यांकन"। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मुझे उत्तर दें उसमें की "मूल्यांकन" हो और आप पढ़ें "वैलुएशन।" अगर आप को "मूल्यांकन" नहीं कहना है तो अंग्रेजी में "वैलुएशन" लिखिए।

श्री सुल्तान आलम खां---जो आपके सामने है उसी को सही मान लिया जाय।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समिति ने किन-किन जिलों में दौरा किया ?

श्री सुल्तान आलम खां---कमेटी ने काफी जिलों में दौरा किया और बहुत से ब्लाक्स भी देखे। दौरे का काम अब खत्म कर चुकी है।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका कार्य-काल जो छः महीने का है क्या अभी और समय लगेगा ?

श्री सुल्तान आलम खां---मैंने सवाल के जवाब में बतला दिया है कि आशा की जाती है कि जनवरी के आखिर तक इसकी रिपोर्ट सदन के सामने आ जायगी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समिति ने कितने प्रश्नोत्तरों के बारे में प्रचार किया था और कितने वापस आ गये ?

श्री सुल्तान आलम खां---सब चीजें कमेटी से मालूम की जा सकती हैं। जब उसकी रिपोर्ट आ जायगी यह सब बातें सदन के सामने पेश हो सकती हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समिति में ग्राम सभाओं के सभापतियों में से भी कोई सदस्य है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी को मुकर्रर हुये ५, ६ महीने हुये हैं। उस समय भी इसका जिक्र आया था। माननीय सदस्य स्वयं इस बात को जानते हैं कि उसमें कौन-कौन शरीक हुये। इस समय ब्यौरेवार बात बताना हमारे लिये मुश्किल है। कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। जब तक हमारे सामने रिपोर्ट न हो तब तक ब्योरे की कोई बात बताना मुश्किल है।

* * * *

डाइरेक्ट्रेट आफ जियोलोजी ऐण्ड माइनिंग, यू० पी० लखनऊ की रिपोर्ट

*८८---श्री रामशरण यादव---क्या सरकार Directorate of Geology and Mining, U. P., Lucknow की १९५७-५८ की वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१९५७-५८ की छपी हुई† रिपोर्ट और संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

---

†रिपोर्ट छापी नहीं गई है।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि रिपोर्ट के पेज १२ में जो स्टाफ का ब्यौरा दिया हुआ है उसमें डाइरेक्टर का नाम या आफिस का पद क्यों नहीं शामिल किया गया। क्या डाइरेक्टर इस स्टाफ में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आपने केवल वार्षिक रिपोर्ट के लिये कहा। वह मेज पर रख दी गई। उसमें की एक-एक बात की पूछने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

टेहरी-गढ़वाल जिले में ऊन उद्योग योजना

*८९—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल में ऊन के व्यापार को उन्नत बनाने के लिये अब तक क्या किया गया है ? और सरकार आगे क्या करने जा रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—टेहरी-गढ़वाल जिले में ऊन उद्योग योजना चलाई गई है तथा मेड़ प्रजनन केन्द्र तथा मेंढ़ा केन्द्र खोले गये हैं। आने वाले वर्षों के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि अभी जो कार्य आगे होना है और अभी तक नहीं हो पाया है वह कब तक होने जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह जितना इस वक्त योजना में काम हम कर सकते हैं वह कर रहे हैं। भविष्य में इस योजना का फैलाव और विकास कितना होगा यह बजट के प्राविजन और उसकी अनुकूल परिस्थिति पर है। वह मिल सकेगा तो यह काम उस वक्त आगे बढ़ेगा।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टेहरी-गढ़वाल में कितने ऊन केन्द्र हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—२ उत्पादन केन्द्र चल रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बोर्डर एरिया स्पेशल स्कीम के मातहत केन्द्रीय सरकार से जो पया मिला है उसमें से कोई विशेष ऊन योजना प्रचालित करने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह उद्योग विभाग के अन्दर एक योजना है जिससे यह काम शुरू हो रहा है। वह जो बोर्डर वाली योजना है उसका इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मन्त्री जी अम्बर चरखे की तरह से ऊन कताई के लिये भी कोई योजना बनाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य अपने एरिया के जो विशेषज्ञ हैं उनकी यह राय दें। अगर वह बना दें तो बड़ी खुशी होगी। फिलहाल हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं हैं।

श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन केन्द्रों में क्या कोई विशेष शिक्षा दी जाती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ऊन के काम के सिलसिले में चाहे वह ऊन के उत्पादन का काम हो, चाहे बुनाई का काम हो और चाहे कताई का काम हो इस तरह की सब शिक्षा दी जाती है।

उद्योग विभाग का व्यपगत धन

*९०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी उद्योग विभाग के १९५७–५८ के अनुदान का कितना धन व्यपगत (lapse) हो गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—लगभग १,५७,१२,४०० पया।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि १,५७,१२,४०० रुपये के लैप्स होने का क्या मुख्य कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसके मान्यवर, ८, ९ कारण हैं। मुख्य २ बातें यह हैं कि एक तो कलेक्टर आफ कस्टम्स की तरफ से जो रुपया डेबिट आना चाहिये था वह हमको नहीं मिला और ४,४९,००० रुपया छूट गया। ६४,००० रुपया चुर्क सीमेंट फैक्टरी में उसके फैलाव आदि के लिये लगना था चूंकि उसका प्लान फाइनलाइज नहीं हुआ इसलिये वह भी लगने से रह गया। २५ लाख रूपया यू० पी० फाइनेंशियल कारपोरेशन के जरिये से खर्च होने की उम्मीद थी वह नहीं हुआ क्योंकि जितना पैसा लग सकता था उससे यह अधिक पड़ा। २४ लाख ७ हजार रुपया फाइनेन्स कारपोरेशन को जो हम मदद देते थे वह उसको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसको मुनाफा नहीं हुआ और जिसकी वजह से यह खर्चा अनावश्यक हो गया। इसी तरह से और लाइन्स वगैरह बैठाने के सिलसिले में या टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करने के लिये कुछ खर्च करना था। इस इंस्टीट्यूट के लिये पहले कुछ उद्योगपति इसमें शामिल होने वाले थे, बाद में वह हट गये और फिर बाद में बात होने के बाद राजी हो गये। तो यह पैसा इस तरह से खर्च नहीं हो सका। कोशिश होती थी कि हो जाय, लेकिन हुआ नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो कैपिटल ग्रान्ट्स हैं क्या उसकी हेल्प भी इसमें शामिल है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—चुर्क के सिलसिले में कैपिटल आउट-ले का ही पया था और किस-किस में कितना है वह मैं जल्दी में नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे ही रिसर्च इंस्टीट्यूट पर जो खर्च होना था वह भी कैपिटल आउटले का रुपया था।

गाजियाबाद में चमड़े का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की प्रार्थना

*९१—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजियाबाद में चर्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये अब तक उसने क्या किया है और क्या सरकार भविष्य में इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये किसी खास योजना पर विचार कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार की ओर से गाजियाबाद में अभी तक कोई चर्म केन्द्र नहीं खोला गया है। भविष्य में इस स्थान पर चर्म उद्योग स्थापित करने के लिये किसी खास योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। यदि वहां १५ से अधिक टैनर्स उपलब्ध होंगे तो अगले वित्तीय वर्ष में वहां एक चर्मशोधन केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री तेजासिंह—माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गाजियाबाद चमड़े की एक बड़ी मंडी है और हर इतवार को वहां दो, तीन लाख रुपये का चमड़ा खरीदा और बेचा जाता है वहां एक ऐसा ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की कृपा करेंगे कि जिसमें बच्चों को चमड़े का सामान बनाना सिखाया जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह तो सही है कि गाजियाबाद चमड़े की बहुत बड़ी मंडी है और यह आश्चर्य मुझे भी हुआ कि माननीय तेजा सिंह तथा दूसरे सदस्यों की दिलचस्पी के बावजूद भी अभी तक वहां कोई सहकारी समिति नहीं बनी। अगर बनी होती तो हमारे पास धन था और हम जरूर देते और मैं फिर कहता हूं कि अगर १५ टेनर्स को लेकर वहां कोई सहकारी समिति माननीय सदस्य बनवा सकें तो निश्चय ही हम उसकी पूरी-पूरी मदद करेंगे जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया गया है।

[सहकारिता मंत्री से सम्बन्धित १२ दिसम्बर, १९५८ का स्थगित प्रश्न]

* * * *

कृषि विभाग के अन्तर्गत पदों में वृद्धि

*६८---श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत पांच वर्षों में प्रदेश के कृषि विभाग में डिप्टी डाइरेक्टर्स की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और उसी काल में कृषि इंस्पेक्टर तथा कामदारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---

(क) डिप्टी डाइरेक्टर की संख्या में तीन की वृद्धि हुई है।

(ख) कृषि निरीक्षक श्रेणी प्रथम में १२४ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ग) कृषि निरीक्षक श्रेणी द्वितीय में १७० प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(घ) कृषि निरीक्षक श्रेणी तृतीय में १७८ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ङ) कामदारों में ६३ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

श्री शिवराज सिंह यादव---क्या कृषि मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जिनके तहत प्रति डिप्टी डाइरेक्टर इंस्पेक्टरों की संख्या में और प्रति इंस्पेक्टर काम-दारों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है?

श्री मोहनलाल गौतम---कारण तो यही है कि जितना काम बढ़ता गया और जैसे-जैसे काम के लिये आदमियों की जरूरत होती गयी, वैसे-वैसे उनकी संख्या बढ़ती गयी। अगर माननीय सदस्य का यह मत हो कि कामदारों में कम वृद्धि हुई तो वह केवल सीड स्टोर्स के लिये होते हैं और कामों के लिये नहीं होते। उनका काम करने वाले बिना पढ़े-लिखे होते हैं और उनका नाम दूसरा होता है। इसीलिये उनकी प्रतिशत वृद्धि में यह अंतर है।

५ दिसम्बर, १९५८ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन†

श्री अध्यक्ष---अब श्री वित्त मंत्री अपने एक प्रश्नों के उत्तर को दुरुस्त करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, ५ दिसम्बर, १९५८ को श्री प्रताप सिंह के एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १० से सम्बन्धित श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि वह मदद पहले साल की सन् १९५७-५८ में तो २ करोड़ १० लाख थी और बाकी हमने दिया।

यह उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर है "वह मदद पहले की, १९५७-५८ में तो १ करोड़ ४० लाख थी और बाकी हमने दिया।"

यह २ करोड़ १० लाख अध्यक्ष महोदय पूरी रकम थी। यह मैंने गलती से कहा था।

---

† नोट---५ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आपकी व्यवस्था यह थी कि जब कोई प्रश्न सही किये जायं तो उसकी सूचना पहले से दी जायगी जैसे और प्रश्नों के उत्तरों लिये सूचना पहले से मिलती है। अब इस प्रश्न के दुरुस्त उत्तर की सूचना पहले से नहीं मिली है और इसी समय उस सुना दिया गया है। इससे अनुपूरक प्रश्न इस सही उत्तर पर कैसे किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—जिस वक्त दुरुस्त किया हुआ उत्तर मिलता है उसी वक्त अनुपूरक प्रश्न तो नहीं किया जा सकता। अगर इस सही उत्तर की नकल आपके पास नहीं पहुंची है तो मैं उसे भिजवा देता हूं। फिर अगर आपको अनुपूरक प्रश्न उस पर पूछने हों तो एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करके पूछ लें।

गन्ने का मूल्य न बढ़ाने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब एक कार्यस्थगन प्रस्ताव श्री गेंदा सिंह जी का है :—

"इस विधान सभा ने अपने पिछले सत्र में गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में विस्तार से विचार करने के बाद १ रुपया १२ आने प्रति मन निम्नतम मूल्य रखने का प्रस्ताव किया था। केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री, श्री जैन ने इस महत्वपूर्ण तथा उचित प्रस्ताव को ठुकरा दिया और प्रादेशिक सरकार विधान सभा के निर्णय को कार्यान्वित कराने में न केवल विमुख ही रही है बल्कि वह राज्य के गन्ना उत्पादकों को बाध्य कर रही है कि वह विधान सभा के निर्णय किये हुये मूल्य से कम मूल्य पर मिलों को गन्ना बेचें। इससे क्षुब्ध होकर उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों में भारी असन्तोष फैला हुआ है। परिणामस्वरूप केन कोआपरेटिव यूनियन फेडरेशन, उत्तर प्रदेश जो प्रदेश के २९ जिलों के करीब १७ लाख गन्ना उत्पादकों की प्रतिनिधि संस्था है उसकी कार्यसमिति ने कल एक प्रस्ताव पास करके सरकार के वर्तमान रुख की भर्त्सना की है। और अगले २३ दिससबर को एक विशेष अधिवेशन बुलाकर ऐसा निर्णय लेने का इरादा किया है जिससे यह निश्चित सा हो गया है कि प्रदेश की ६७ चीनी मिलों को गन्ना उत्पादक अपना गन्ना देना बन्द कर देंगे। इस प्रकार चीनी के उत्पादन को तो गहरा धक्का लगेगा ही, शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न भी व्यापक रूप से खड़ा हो जाने का भय है।

अतः सदन इस महत्वपूर्ण तथा आवश्यक प्रश्न पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है।"

तो यह प्रश्न सम्बन्धित है केन्द्रीय सरकार से क्योंकि उसने कीमत को निश्चित किया है। इसमें प्रादेशिक सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिये कामरोको प्रस्ताव का तो यह विषय नहीं बन सकता।

लेकिन प्रश्न महत्व का है। वह सिर्फ इस दृष्टि से कि ६७ मिलों को जो गन्ना देने वाले उत्पादक हैं वे संभवतः गन्ना देना बन्द कर देंगे। यदि प्रस्ताव इस तरह का कोई हुआ है उससे भी जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वह गम्भीर होगी और यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है चाहे किसी का भी उससे सम्बन्ध हो। फिर जहां तक शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न है उसमें सम्बन्ध प्रदेशीय सरकार से आ ही जाता है तो इसलिये मैं यह उचित समझूंगा कि यदि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहें और सूचना देना चाहें तो दे दें। वैसे मैं इसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं लेकिन नये नियमों में यह दिया है कि अगर कोई महत्व का प्रश्न है तो अध्यक्ष यह कह सकते हैं कि उसके बारे में सूचना सम्बन्धित मंत्री जी सदन को दे दें। उसी नियम के अनुसार मैं मंत्री जी से कहता हूं कि अगर वह इस विषय में कोई सूचना देने को तैयार हों, तो वह सदन को दे दें. इसक लिये उन्हें मैं इजाजत देता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, सिर्फ आपका ध्यान में इस ओर दिलाना चाहता हूं कि प्रादेशिक सरकार से इसका सम्बन्ध कितना है?

श्री अध्यक्ष---उसके सम्बन्ध में तो मैंने निर्णय दे दिया। जहां प्रदेशीय सरकार का सम्बन्ध आता है वह उतना ही हिस्सा है। बाकी फैसला करने का जो सवाल है उसमें तो केन्द्रीय सरकार ने फैसला दे ही दिया। वह तो पहले ही दिन मालूम हो गया था और आज भी प्रश्नों के उत्तर में उसका जवाब दिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में मैं और कुछ कहने की इजाजत नहीं दूंगा। वह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह प्रश्न कई बार किसी न किसी रूप में आ चुका है और अब तक जो कुछ कहा गया है उसके सिवाय कुछ सूचना देना हमारे लिये असंभव-सा है। जैसा कि आपने स्वयं कहा कीमतें तो केन्द्रीय सरकार ही नियत करती है, हम निश्चित करते नहीं। इसके साथ ही साथ इसमें यह भी जिक्र है कि हाल में ही २३ दिसम्बर को मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में शायद ऐसा निर्णय होगा कि सारी ६१ मिलों को काश्तकार लोग गन्ना देना बन्द कर दें। हम नहीं जानते कि कोई मीटिंग होगी भी या नहीं और न यह कह सकते हैं कि उस मीटिंग में क्या होगा। लेकिन जो लोग काश्तकारों के हितू हैं, उनसे मैं यह आशा प्रकट करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में ऐसा न होने देंगे क्यों कि दूसरी मिलों और गन्ने की मिलों की स्थिति भिन्न है। कपड़े की मिलें अगर महीनों बन्द पड़ी भी रहें तो भी थोड़ा ही नुकसान हो सकता है और मुनाफे में कुछ कमी हो सकती है। लेकिन जहां तक गन्ने के रोजगार का प्रश्न है अगर वह दो-तीन महीने बन्द रहा तो गन्ना सूख जायगा। यह रोजगार भी सीजनल है और उसके बन्द होने की आशंका पैदा हो जायगी। इसलिये मुझे आशा है कि काश्तकारों के हितू उनको ऐसा करने की सलाह न देंगे। जहां तक बातचीत करने की बात है हम मिल मालिकों, काश्तकारों और केन्द्रीय सरकार सब से बातें कर सकते हैं और चाहते हैं कि शांतिपूर्वक मामला तय हो जाय। लेकिन हम किसी भी प्रकार से यह नहीं चाहते कि कोई ऐसा कदम उठायें जिससे काश्तकारों का गला कट जाय। वैसा फैसला कर लेना तो बड़ी भयानक बात होगी।

एक चीज और है जिसकी ओर माननीय गेंदासिंह जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, इसके बारे में आज सुबह ही मुझसे जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कानून है कि अगर उसको रद्द कर दिया जाय तो हमारे यहां के काश्तकार स्वतंत्र हो जायेंगे कि वे जहां चाहें अपना गन्ना बेंचे। वह मैंने अभी देखा नहीं है। उस पर विचार भी नहीं किया है। हम कह नहीं सकते कि वह कानून रद्द हो सकता है या नहीं। रद्द करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। उसको रद्द करने से पहले केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने की आवश्यकता होगी भी या नहीं। इसलिये जब तक उस पर पूरे तौर से विचार न हो जाय, उसके बारे में कोई बयान देना या कुछ निश्चित रूप से बताना मेरे लिए असंभव है।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, आज यहां बोनस की मीटिंग के सम्बन्ध में चीनी उद्योग के मुख्य-मुख्य उद्योगपति एकत्रित हैं। इसके सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र भी भेजा है कि वह बाम्बे सरकार की तरह बीच में पड़ कर, बावजूद इसके कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ भी फैसला किया है, उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ समस्या का हल निकाल लें। मैं समझता हूं कि इस मामले में तुरन्त ही कदम उठाया जाना चाहिये ताकि वह स्थिति न आने पावे। मैं आशा करता हूं कि इस तरफ कोई कदम उठा कर माननीय मुख्य मंत्री जी उस स्थिति को बचाने का प्रयास करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---अब आप इसको यहीं समाप्त कर दें। जैसा कि उन्होंने (माननीय मुख्य मंत्री ने) अभी कहा कि वे सब से बात भी कर सकते हैं। यह संकेत है और आप ही के लिये संकेत है। आप मुख्य मंत्री से बातें करके कोई रास्ता निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं लेकिन सदन में इसको अधिक चर्चा होने की आवश्यकता नहीं है।

व्यक्तिगत विषय से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री ब्रजनारायण जी का एक काम रोको प्रस्ताव है उसको मैं पढ़-कर नहीं सुनाता हूं क्योंकि वह व्यक्तिगत है और एक आफीसर के खिलाफ है। ऐसे व्यक्तिगत मामलों में कार्यवाही के लिये अदालतें खुली हुई हैं। जहां जिसे भी शिकायत हो वह कर सकता है। दूसरे अगर कोई अदालत में कोई कार्यवाही करवा सकता है तो मैं ज्यादा उचित समझता हूं कि वह वहीं करे लेकिन जो विषय अदालत के सुपुर्द हो सकता है उसके ऊपर सदन में चर्चा पहले से हो जाना मैं अनुचित समझता हूं। इसलिये मैं इजाजत नहीं देता हूं कि यह उपस्थित किया जाय।

विभिन्न समितियों की नामजदगी से नाम वापस लेने की अवधि में वृद्धि की सूचना

श्री अध्यक्ष---कुछ समितियों की नामजदगी के सम्बन्ध में सब पार्टी के सचेतकों ने मुझसे निवेदन किया है कि चुनाव से बचने के लिये नाम वापसी का समय कुछ और बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिये आज १ बजे तक का समय जो नाम वापसी के लिये था, उसे ५ बजे तक कर दिया जाय। तो मैं आज ५ बजे तक का समय उसके लिये बढ़ा देता हूं क्योंकि इससे चुनाव के सम्बन्ध में सदन का समय भी बच जायगा।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक सूचना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके यह बतला दें कि यह सदन कब तक बैठेगा। कल माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में विद्यमान नहीं थे, इसलिये सदन को मालूम नहीं हो सका कि यह सदन कब तक बैठ रहा है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैंने यह कहा था कि हम सोमवार को बैठेंगे बाकी जहां तक कार्यक्रम बतलाने की बात है वह तो सोमवार को ही बतलाया जाता है माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से। तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि हम सोमवार को जरूर बैठेंगे? और अगर मेरे उत्तर में कहीं कोई गलती हो और सदन आज ही खतम होने को हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी उसे अभी बतला देंगे। मैंने सोमवार के लिये कहा था कि हम सोमवार को बैठ रहे हैं। क्या यही बात सही है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य इस प्रकार से मदद करें कि आज ही कार्यवाही खतम हो सके तो हम सभी उनके बड़े अनुगृहीत होंगे। नहीं तो सोमवार को बैठक होगी।

विभिन्न समितियों की नामजदगी से नाम वापस लेने की अवधि में वृद्धि की सूचना---(क्रमागत)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैंने आज बहुत से माननीय सदस्यों को स्टेशन की तरफ रिक्शे पर जाते हुए देखा जिनको नामों के विदड्राल के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होगी। अगर उनकी सुविधा के लिये नामों की वापसी का समय सोमवार के सुबह तक के लिये बढ़ा दिया जाता तो बड़ा अच्छा होता। मैं उनकी सुविधा के लिये ही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है? मैं सब पार्टी के सचेतकों से पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी तक वे लोग नामों की वापसी के सम्बन्ध में अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके हैं। तो अगर सोमवार के सबेरे वाला सुझाव मैं मान लेता हूं तो एक दिक्कत यह है कि उस दिन चुनाव नहीं हो सकेगा क्योंकि बैलट पेपर्स नहीं छप सकेंगे।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--चुनाव की नौबत ही नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष--लेकिन यह सोच कर हम नहीं चल सकते कि चुनाव होगा ही नहीं। इसलिये मैं आज ५ बजे तक का समय ही नाम वापसी के लिये रखना ठीक समझता हूं, उसे बदलना उचित नहीं समझता। तो आज ५ बजे तक का समय ही नामों की वापसी के लिये रहा।

फाइनेंस एकाउन्ट्स १९५६-५७ ऐंड आडिट रिपोर्ट, १९५७ तथा एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १९५६-५७ ऐंड आडिट रिपोर्ट, १९५८*

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--मैं फाइनेन्स एकाउन्ट्स १९५५-५७ एंड दी आडिट रिपोर्ट, १९५७ तथा एप्रोप्रियेशन एकाउंट्स १९५६-५७ एण्ड दी आडिट रिपोर्ट, १९५८, पार्ट २, को सदन की मेज पर रखता हूं।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम २८१ की ओर दिलाता हूं जिसके अनुसार संविधान के उपबन्धों के अधीन सभा की कार्यवाही हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होना चाहिये और ये जो पुस्तिका आज मिली हैं ये अंग्रेजी में हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि देवनागरी लिपि में इसका प्रतिवेदन कब तक उपस्थित कर दिया जायगा?

श्री सैयद अली जहीर--हिन्दी की कापी अभी तैयार नहीं हुई है। १ महीने के अन्दर वे तैयार हो जायंगी और फिर उन्हें बांट दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--हिन्दी में बाद में आ जायंगी। पब्लिक एकाउट्स कमेटी की रिपोर्ट आने के पेश्तर ही वह आ जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--यह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी हुई मानी जायगी?

श्री अध्यक्ष--जी हां, यह ए० जी० की तरफ से अंग्रेजी में आती है। उनको हम बाध्य नहीं कर सकते। यहां पर बाद में सरकार की तरफ से इसका हिन्दी में अनुवाद करके इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये उसे बांट दिया जाता है। माननीय सदस्यों को बहुत देर तक उसका रास्ता न देखना पड़े, इसीलिये अंग्रेजी में ही वह पहले बांट दी जाती है ताकि वे पहले से उसे पढ़ रक्खें और बाद में हिन्दी में अनुवाद कर दिया जाता है उससे दुबारा समझ लें।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८--(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८, पर विवाद जारी रहेगा। कल श्री सैयद अली जहीर उत्तर दे रहे थे।

---

* छापे नहीं गये।

† १२ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, जैसा कल मैं अर्ज कर रहा था जहां तक इस कानून का ताल्लुक है मैंने बतलाया कि इसकी यह हरगिज मंशा नहीं है कि न्याय का दरवाजा, जो लोग वहां जाना चाहते हैं, उनके लिये बन्द कर दिया जाय। यह जरूर है कि हमारे यहां न्याय को जो इस्तैमाल किया जाता है न सिर्फ न्याय को हासिल करने के लिये बल्कि दूसरे अगराज से---बाज-बाज वक्त लोगों को परेशान करने के लिये, बाज वक्त जुआरी की तरह से कि शायद काम हो जाय और रिट एप्लिकेशंस का उन अगराज के लिये देना---जो न्याय चाहते हैं उसके लिये हमारी ख्वाहिश अवश्य है कि उसका दरवाजा बन्द हो जाय तो अच्छा है।

रिट एप्लिकेशन के लिये यह कहा गया कि जो फीस रखी गयी है उससे बहुत से लोगों को कठिनाई होगी इसलिये एक जो आगे तजवीज इस सिलसिले में आ रही है, उसको गालिबन हम मंजूर कर लेंगे। इसी तरह से बहुत से मुकदमें जिनका ताल्लुक कहा जाता है जनता से है उनके मुताल्लिक भी कुछ तरमीमें सरकार मंजूर कर लेगी। मसलन जो डिक्लेरेटरी सूट्स होते हैं और जब वे किसी और रिलीफ के साथ होते हैं तो उनमें मुद्दई उसकी कीमत मुकर्रर करता है और उस बुनियाद पर उन पर कोर्ट फीस लगती है। हमने यह तय किया था कि यह ५०० रुपया होनी चाहिये और वह इस वजह से कि मद्रास का जो कानून है उसमें दो सूरतें इसके लिये हैं एक तो डिक्लेयरेटरी सूट्स जिनमें कांसिक्वेंशल रिलीफ मांगी गयी है उनके लिये ३०० रुपया कीमत है और कुछ के लिये ५०० रुपया कीमत है, लेकिन चूंकि यह समझा जाता है कि ऐसे दावों में मुमकिन है कि बहुत छोटी सी मालियत की कोई चीज हो और उसके लिये कोई डिक्लेरेशन कराना चाहे, जैसा परनाला है या और कोई छोटी सी मालियत की चीज है, तो उसके लिये भी ५०० रुपये की अगर हद होगी तो उस पर कोर्ट फीस ६५ रुपया पड़ जायेगी शायद यह मुनासिब नहीं होगा। चुनांचे सदन में जो ख्यालात जाहिर किये गये उनका लिहाज रखते हुये हम तजवीज रखने वाले हैं वह यह है कि उसकी मियाद ३०० रुपये कर दी जाय ५०० रुपये न हो, जिसकी कोर्ट फीस कोई ३५ रुपये के करीब होगी। इसके अलावा जो और डिक्लेयरेटरी सूट्स हैं उनको आप देखेंगे तो इस वक्त १८ रुपये १२ आना कोर्ट फीस है इसको बढ़ा करके सिर्फ २५ रुपये कर रहे हैं। कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाया है। लेकिन उसके बाद बढ़ते-बढ़ते यह २०० रुपये तक जायगा ग्रेजुएटेड स्केल में १,०००, ५,०००, १०,००० रुपये तक और जब २०० रुपये तक पहुंच जायगा तब उस वक्त जाकर जितनी भी मालियत हो डिक्लेयरेटरी सूट की उसकी फीस २०० रुपये की ही रहेगी।

इसी तरह से जो सालसी दावे हैं उनमें कोर्ट फीस इस वक्त १८ रु० १२ आने है। इसको बढ़ा करके सिर्फ २० रुपये कर रहे हैं ५,००० रुपये तक। लेकिन ५,००० रुपये से ज्यादा हो और १०,००० रुपये तक हो तब इसकी कोर्ट फीस १०० रुपये होगी। और १०,००० रुपये से बढ़ जाय तो कोर्ट फीस २०० रुपये पड़ेगी चाहे फिर उसके बाद मालियत कुछ भी हो। तो आप देखेंगे कि इसमें जो कुछ वृद्धि हुई है वह कुछ बहुत ज्यादा नहीं है बल्कि मामूली तौर से फीस बढ़ायी गई है। और जैसा मैंने कहा अगर मद्रास से आप मुकाबला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पहले ही से यह चीज है। इसी तरह से स्पेशल मैरिजेज ऐक्ट में जो पहले मुस्तस्ना थे उनके ऊपर कोई अलग कोर्ट फीस नहीं थी तो उनके लिये ३७ रु० ५० नये पैसे रखी जा रही है।

अब देखना यह है कि हमारे यहां जो आमदनी जुडीशियल और नान जुडीशियल स्टैम्प्स से है वह कितनी है और दूसरे सूबों में कितनी है? मसलन बम्बई और मद्रास जो करीब-करीब हमारे बराबर आते हैं, आप देखेंगे कि हमारी जनसंख्या उनसे बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी बम्बई में १९५८-५९ में जो नान जुडिशियल स्टैम्प्स से आमदनी हुई है वह ५,५७,००,००० रुपया है। इसी तरह से मद्रास में जो आमदनी हुई है वह ३,५३,००,००० रुपया है और हमारे यहां इस वक्त १९५८-५९ में २,९०,००,००० रुपया की आमदनी है। तो इसमें अगर आप ३०,००,००० रुपया बढ़ा दें तो भी ३,२०,००,००० रुपया के करीब आमदनी बैठती है जो कि फिर भी बम्बई और मद्रास की आमदनी से कम रहेगी। तो यह किसी तरह से नहीं कहा जा सकता कि हमने जो इजाफा किया है, या जो इस वक्त कोर्ट फीस लगी हुई है वह इन दोनों सूबों से ज्यादा है।

[श्री सैयद अली जहीर]

जहां तक इनके अखराजात का ताल्लुक है वह इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। लेकिन मैंने कल तफसील से बतलाया कि हमारे यहां की जो स्कीम हैं, प्लान्स हैं ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के इम्प्रूवमेंन्ट और डेवलपमेंन्ट के लिये, वह अगर आप देखेंगे और खास तौर से उन अखराजात को लेंगे जो जुडीशियल आफिसर्स पर किये जा रहे हैं तो आपको अन्दाजा होगा कि हमारी जो कुछ आमदनी होगी उसमें कोई बचत का सवाल नहीं है। यह करीब करीब उसी तक पहुंच जायगी जो हमारी आमदनी इस बढ़ोत्तरी से होगी।

बहरहाल कोई अलग फंड, कांस्टीटूयशन की दफा २६६ के होते हुए तो है नही, वह तो एक कंसोलिडेटेड फंड आफ दी स्टेट होता है उसी में सारी आमदनी की मदें जाती हैं और उसी में से खर्चा होता है। अब यह दूसरी बात है कि कितना खर्च किया जाय। लेकिन जो अन्दाजा होता है वह यह है कि करीब-करीब वही अखराजात होंगे। अब ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के लिए नहीं कह सकता कि इसके लिये वह मिनिस्टर साहब, ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस, करेंगे या नहीं, लेकिन मेरे सामने की जो स्कीम्स बनी हैं अगर उनको इम्पलीमेंन्ट किया जायग तो गालिबन वही खर्चा होगा।

इसी सिलसिले में मैं यह अर्ज कर दूं कि जैसे मद्रास है जो कम से कम जन संख्या में हमसे बहुत कम है, लेकिन उनके यहां इतनी ज्यादा आमदनी क्यों है? मैं मिसाल दूं कि बावजूद इसके कि बहुत सी मदें हैं जिनके ऊपर वहां कोर्ट फीस ली जाती है, लेकिन हमारे यहां जब इस किस्म की तजबीज आयीं तो हमने उनको मंजूर नही किया, इसलिए कि वह गैर मामूली भार जनता के ऊपर पड़ जायगा। मसलन, वहां जो बेल की दरख्वास्तें होती है उसके ऊपर डेढ़ रुपया कोर्ट फीस है, हमारे यहां एक रुपया था। तजवीज थी कि उसको बढ़ा दिया जाय, लेकिन हमने गौर किया कि एक मुल्जिम होता है वह परेशानी में होता है, अगर उसकी दरख्वास्त के लिए कोर्ट फीस बढ़ा दी जाती तो उसका बुरा असर होता और अच्छा नहीं मालूम होता, लिहाजा उसको मंजर नहीं किया। इसी तरह से आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि गवर्नमेंन्ट में जो दरख्वास्ते गुजरती हैं, हमारे माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक ला-तादाद दरख्वास्तें होती है, मद्रास में उनपर २ रुपया कोर्ट फीस ली जाती है, लेकिन हमनें मंजूर नहीं किया कि जहां तक सरकार का ताल्लुक है, यह जनता की सरकार है और जनता की ही दरख्वास्तें आवें, चाहे सही या गलत, उसको देखना है और फैसला करना है, उसको हम बन्द नहीं करना चाहते, उस पर फीस नहीं लेना चाहते। इसी तरह से उनके यहां यह कायदा है कि कोई एग्जिक्यूटिव आर्डर की अपील की जाय गवर्नमेन्ट में तो उसके ऊपर ५ रुपया कोर्ट फीस लिया करते हैं और उसकी वजह से उनके यहां अपीलें शायद कम होती हैं, या रुक जाती हैं, लेकिन हमने अपने यहां कोई इस किस्म की कोर्ट फीस रखना मजूंर नहीं किया। तो इन बातों से आप देखेंगे कि हमारी जो तजवीजें हैं वह किसी तरह से नहीं कहा जा सकता कि नामुनासिब हैं या उनमें कोई ज्यादती है।

इसी सिलसिले में हवाला दिया गया कांस्टीट्यूशन का और और यह कहा गया कि साहब जस्टिस तो कांस्टीट्यूशन में भी गांरटी किया गया है और आप उसमें भी रोक थाम कर रहे हैं। तो मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि आप जरा गौर से देखें कि कांस्टीट्यूशन में किस किस्म के जस्टिस का तजकिरा है। उसमें न्यायालय वाले जस्टिस का तजकिरा नहीं किया गया है। उसमें है जस्टिस तीन किस्म का, सोशल, इकानामिक और पोलिटिकल। तो वह ऐसा नहीं है कि जिसका न्यायालय से कोई ताल्लुक हो। सोशल जस्टिस उसको कहते हैं, जैसा कि हरिजन, अछूतों, का मामला था कि सोशली उनको नीचा समझा जाता था उसको मिटाने का हमने वादा किया है कि हम हर एक को बराबर समझेंगे, उसमें कोई फर्क या इमतियाज नहीं होगा। इसी तरीके से इकनामिक जस्टिस से यह मुराद है कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसे अफराद हों जो दौलतमन्द बने रहें, बल्कि हर एक शख्स को आर्थिक आजादी हासिल होगी कि वह अपनी मेहनत काबलियत, और अक्ल से दौलत हासिल कर सके। इसी तरह से पोलिटिकल जस्टिस यह

है कि यहां हर एक शख्स को हक होगा कि अपनी सियासी राय रखे और उसके मुताबिक अमल करे और उसके साथ इंसाफ होगा ।

तो जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है उसमें कोई दलील कांस्टीट्यूशन की नहीं आयद होती । वह जस्टिस बिलकुल अलग है । हमारी अदालतों में, अगर आप गौर करें तो आपको महसूस होगा कि वह एक आर्टिफिशियल किस्म का जस्टिस है । कानून ऐसे हैं जिनको हमारे मासेज और जनता बिलकुल नहीं समझती है और वह इसके मोहताज होते हैं कि वह लाइयर्स के पास जायं और वह जैसा चाहें उनको मंजूर करना पड़ता है । इसको रफा करने के लिये हमने पंचायतें बनायी । मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह चीज तब जा सकती है जब हम अपने अवाम में ऐसी भावना पैदा करें कि हम हर झगड़े को जो आपस में हो उसको अदालत में लेकर भागेंगे नहीं । जिनको अदालत का तजुर्बा है, खासकर मुझे, वह जानते होंगे कि जो अदालत में आते हैं, ऐसा मालूम होता है कि अपनी सेल्फ-रेस्पेक्ट खोकर आते हैं । वकील की हैसियत दूसरी है, मगर मवक्किल जो आते हैं, जिनको गवाही देनी पड़ती है, पैरवी करनी पड़ती है, जो जो काम करने पड़ते हैं और जिस तरह से अपने मुकदमें की पैरवी में जायज और नाजायज काम करने पड़ते हैं, वह यकीनन कोई खुशी की बात नहीं है । हमें तो इस भावना को फैलाना है कि जहां तक हो सके लोग अपने झगड़ों को सच्चाई और इन्साफ के साथ आपस में तय करें । बल्कि मैं तो कहता हूं कि बजाय कोर्ट फीस बढ़ाने के अगर मुकदमें बाजी हमारे यहां इतनी कम हो जाय कि हमारी ३० लाख रुपये की आमदनी घट जाय तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा । ये अदालतें हमारे यहां आयीं कैसे । एक माननीय सदस्य ने जहांगीरी अदल का जिक्र किया । उससे भी पहले जाइये, हमारे पुराने देश में कैसे इन्साफ होता था । वहां तो दो आदमी एक शख्स के पास चले गये और अपना अपना मामला उसके सामने रखा । उसने दोनों की बात सुनी और फैसला कर दिया जिसकी दोनों पाबन्दी करते थे । अब तो एक गुस्सा दूसरे फरीक के लिये पैदा होता है । एक दफा मुकदमेंबाजी होने से पुश्तों तक झगड़ा चला आता है । हम यह फिजां अपने मुल्क में नहीं चाहते । हमें तो इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हर गांव में एक जहांगीर पैदा हो जाय जो वहां का बड़ा बूढ़ा हो और वहां के आपस के झगड़ों को मिटा सके । शहर वालों को छोड़िये, उनके पास पैसा है, वे खर्च कर सकते हैं । असल में तो जो हमारी ८५ फीसदी ग्रामीण जनता है उसकी भलाई हम देखना चाहते हैं ।

एक चीज और अर्ज कर दूं । एक तजकिरा आया जुडीशरी के सेपरेशन का । बिलकुल ठीक है । हमारे डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में सेपरेशन आफ एग्जीक्युटिव ऐंड जुडिशरी लिखा हुआ है । लेकिन देखना यह है कि कहां तक हमारा सूबा उसके लिये तैयार है और कहां तक हम क्राइम सिचुएशन को कंट्रोल में कर सके हैं । आये दिन हमारे यहां के माननीय सदस्य जा कर लोगों को कानून तोड़ने के लिये आमादा करते हैं । जब तक यह भावना है तब तक हमको ऐसा इन्तजाम रखना पड़ता है कि जल्द से जल्द ला ऐंड आर्डर को हम अपने यहां कायम कर सकें । जाहिर है कि आप अगर जुडिशरी और एग्जीक्युटिव को अलग कर देंगे तो उसमें देर लगेगी । हमारे जुडिशल अफसर अलग हैं लेकिन अगर कहीं आपने मुन्सिफ या सब-जज के यहां ऐसे मामले को ट्रान्सफर कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी ताखीर और देर होती है । ला ऐंड आर्डर के मामले में अगर इपनी देर और ताखीर होने लगे तो उससे हर शख्स की जान खतरे में पड़ सकती है । तो सवाल यह है कि आप लोग किस चीज को पसन्द करते हैं, या तो एक आइडियलिस्टिक प्रिन्सिपिल कि सेपरेशन हो जाय चाहे नतीजा कुछ भी हो या यह कि हमारे यहां ला ऐंड आर्डर पहले बेहतर हो तब हम सेपरेशन लायें ? मेरे ख्याल में हर समझदार आदमी इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि पहले हम ला ऐंड आर्डर कायम करें, लोगों में स बात की भावना हो कि हम जानबूझ कर कानून शिकनी नहीं करेंगे और जो ऐसा करेगा उसको हर शख्स कन्डेम करेगा । जब ऐसा हो जाय तो उस वक्त यकीनन आप सेपरेशन कर सकते हैं ।

[श्री सैयद अली जहीर]

दूसरी चीज में यह अर्ज करूंगा कि आप यह देखें कि आज भी क्या पोजीशन है । छोटे-छोटे मुकदमें मैजिस्ट्रेट के यहां जाते हैं । जो बड़े-बड़े मुकदमें हैं वह सेन्शस कोर्टस में होते हैं और वह हाईकोर्ट के मातहत हैं और वह ऐक्जीक्यूटिव के मातहत नहीं है । हां, इंक्वायरी जरूर एक्जीक्यूटिव के जरिये होती है तो सीरियस औफेन्सेज ऐक्जीक्यूटिव से कम्पलीटली सेपरेट हैं लेकिन छोटे-छोटे नहीं हैं । हमारे यहां जनतंत्र में अभी लोगों की यह भावना नहीं है कि ला ऐण्ड आर्डर को मेनटेन करने के लिये जो कानून बनें हैं उनकी कानून शिकनी न करें । लोगों को चाहिये कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो उसके खिलाफ भले ही प्रोपेगंडा करें पर कानून शिकनी न करें । जब तक यह भावना नहीं होगी तब तक हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं जिससे ला ऐंड आर्डर के मेनटेन करने में मुश्किल हो ।

अभी मैं बम्बई गया था । वहां जुडिशरी का ऐक्जीक्यूटिव से सेपरेशन १९५४ से है । मैं वहां के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तथा जजेज से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि हम इससे बिलकुल खुश नहीं हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें हो रही हैं, री की वजह से दिक्कतें हो रही हैं । बहरहाल उनके यहां ला ऐण्ड आर्डर की सिचुएशन हमारे यहां से कहीं ज्यादा बेहतर है लेकिन उनको दिक्कतें पड़ रही हैं और शायद उनको रिवाइज करना पड़े । हालां कि यह कदम ऐसा है कि एक दफा उठाने के बाद फिर पीछे नहीं करना पड़ता है । बंगाल, बिहार और पंजाब को ले लीजिये किसी को इस तरफ कदम उठाने के हिम्मत नहीं पड़ रही है । इसकी वजह यह है कि ला ऐण्ड आर्डर को मेनटेन करने का प्राबलम देश की तरक्की के लिये, जनता की भलाई के लिये और अपने यहां डेवलपमेंट प्लान्स को चलाने के लिये बहुत जरूरी है और हम इसके लिये कोई बड़ा कदम इस तरफ नहीं उठा सकते हैं ।

इन चीजों को देखते हुये हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि जहां तक हो सके मुकदमें अदालतों के बाहर हो जिससे बढ़ी हुई कोर्ट फीस न अदा करनी पड़े । लेकिन अगर कोई इस लक्जरी में शामिल होना चाहता है तो उसे पे करना चाहिए । अक्सर ऐसी दरख्वास्तें होती हैं जो मैजारिटी में खारिज हो जाती हैं और उसका भार उस शख्स पर पड़ता है जो गलत दावा करता है । इस वजह से यह कह देना कि अन्याय हो रहा है, बजा नहीं है ।

एक साहब ने शिकायत की कि कमिश्नरों की जरूरत नहीं है आपने क्यों उनको मुकर्रर कर दिया है । हमारी भी एक जमाने में यही राय थी कि उनकी जरूरत नहीं है और हमने उनको खत्म कर दिया सिर्फ कुल सूबे में ३, ४ रह गये थ । लेकिन बाद को महसूस हुआ कि जरूरत है कि यह सूबा इतना बड़ा है कि इसके मुख्तलिफ जिलों में जो काम होता है उसकी अलग-अलग रिपोर्ट्स इतनी कामयाब नहीं होती हैं और हम लोग यहां बैठकर उनको ठीक तरह से अटैंड नहीं कर सकते हैं । इसलिये जरूरी है कि एक सीनियर आफिसर वहां रहे और ३, ४ जिलों में मुकामी हालात को देखकर मामले तय कर दे और वहां की हालत ठीक रखे । इसलिये उनको दुबारा कायम किया गया और वे इस हाउस की मंजूरी से हुये ।

इसी तरह से आनरेरी मैजिस्ट्रेटों पर भी ऐतराज किया गया इसका कोर्ट फीस से क्या ताल्लुक है यह तो मैं नहीं जानता लेकिन जहां तक इनका ताल्लुक है तो आप देखेंगे कि यह कितने मुकद्दमे फैसल करते हैं और इनको उसका कुछ मुआवजा नहीं दिया जाता है सिर्फ जिसमें उनकी पोजीशन बनती है और लाखों रुपया बचता है इन मुकद्दमों के लिये अगर हम जुडिशियल आफिसर या मैजिस्ट्रेट रखें तो उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी । इसलिये जो जिले में अच्छे आदमी हैं. . . . . .

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--उनमें कितना करप्शन है ?

श्री सैयद अली जहीर---मालूम नहीं उनमें करप्शन है या नहीं। हमारे खयाल में नहीं है। जिनके खिलाफ इत्तला आती हैं उनको हटा दिया जाता है। मैंने खुद कइयों को हटाया है जिनके खिलाफ सबूत मिल गया है या ससपीशन हुआ है। जब कभी किसी रिसपाँसिबिल आदमी ने कहा है कि ऐसा हो रहा है और मुझे रिजनेबिल मालूम हुआ है कि यह शिकायत सही है तो उनको फौरन हटा दिया गया है दो वर्ष या तीन वर्ष के लिये, कोई मुश्तकिल नौकर नहीं है, जिनको हटाने में कोई मुश्किल हो। कोई वजह नहीं है कि अगर वाकई आर्थेटिक इनफार्मेशन दें तो उनको हटाया न जाय। यह बराबर होता रहा है। मैं यह किया है। यह कह देना कि करप्शन है, करप्शन की वजह से कितनी चीजें बदल सकते हैं, वह तो साबित करने की चीज है। यह भी जिक्र आया कि पुअर मैन एड के लिये इन्तजाम होना चाहिये, उनकी मदद होनी चाहिये। आप यह जानते हैं पापर सूट्स का पहले से हमारे सिविल प्रोसीड्योर कोड में प्राविजन है। मुझे याद नहीं है लेकिन गालिबन इसके मुताल्लिक तरमीमें हो चुकी हैं या होने वाली हैं। इसको हम ज्यादा लिबरलाइज कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि मैजारिटी आफ क्रिमिनल केसेज में प्रासीक्यूट करने वाली स्टेट होती है। अगर दूसरे फरीक को स्टेट खर्चा दे तो बड़ी अनामलस पोजीशन हो जाती है। बहरहाल, मुमकिन है कि बाज-बाज ऐसे केसेज होते हों जिनको वकील देना चाहिये, आप जानते हैं कि मर्डर केसेज में हर मुलजिम को वकील दिया जाता है, अगर वह डिफेंड नहीं कर सकता है। मुमकिन है कि हम उसको कुछ और जुर्मों या बाज क्लास के लिये एक्सटेंड कर दें। बहरहाल, इस पर सेंटर में और हमारे यहां भी गौर हो रहा है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन वह एक अलग चीज है। उसका ताल्लुक कोर्ट फीस के मामले से नहीं है।

जहां तक हो सका है मैंने कोशिश की है जो-जो शकूक हमारे माननीय सदस्यों के दिलों में थे उनको मैं रफा करूं और उनका जवाब दूं। इससे हमारा हरगिज यह मंशा नहीं है कि हम न्याय का दरवाजा बन्द कर दें या कोई ऐसी बात करें जिससे यह ख्याल पैदा हो हम किसी पर अन्याय करने जा रहे हैं। यह हमारी मंशा बिलकुल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस बिल को जैसे कि यह पेश है, सदन पास करेगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ को जनमत जानने के लिये एक माह तक जनता में घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---५३,

विपक्ष में---७६।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ इसी सदन की प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन इसी सत्र के अन्त में सदन में प्रस्तुत करे और उसे परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की धारा ७ का संशोधन।

२--उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० (जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ७ की---(१) उपधारा (४) में--

(क) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"Provided, further, that in all suits falling under clause (*a*), such amount shall in no case be less than Rs.500" ; और

(ख) वर्तमान द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "further" के स्थान पर शब्द "also" रख दिया जाय।

(२) उपधारा (४-बी) में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"Provided that such amount shall not be less than one-fifth of the market value of the property involved in or affected by the relief sought or Rs.200 whichever is greater ;

"Provided, further, that in the case of suits falling under clauses (*a*) and (*b*), the amount of court-fee leviable shall in no case exceed Rs.500".

(३) उपधारा (४-सी) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

*श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (क) के प्रतिबंध में अंक '500' के स्थान पर अंक '300' रख दिया जाय।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मन्त्री ने अपने भाषण में इसका तात्पर्य समझाया था इसका मतलब सिर्फ यही है कि उपखंड २ का मतलब डिक्लेरेटरी सूट्स से है ताकि उसकी कांसिक्वेन्शियल रिलीफ दी जा सके। आप देखेंगे कि पेज ७ में जो सूची है उसमें यह दिखाया गया है कि ३०० रुपये वाले को ३५ रुपया फीस होती है और ५०० रुपये वाले को ६५ रुपये हो जाती है तो यह ६५ रुपये बहुत ज्यादा समझ कर और हाउस की भी यह राय देखी गई तो विचार करने के बाद सरकार इस नतीजे पर आई कि यह ज्यादा है। उसे कम करने के लिये यह संशोधन है। मुझे आशा है मन्त्री जी से स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड २ के उपखंड (१) (क) के प्रतिबन्ध में अंक "500" के स्थान पर अंक "300" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) के दूसरे proviso में शब्द "Rs. 500" के स्थान पर अंक "Rs. 300" शब्द रखे जायं।

श्रीमन्, देखेंगे कि ऊपर भी ५०० रुपये के स्थान पर ३०० रुपये कर दिया गया है। करीब-करीब रिलीफस भी दोनों में उसी तरह की हैं। इसको मानने में मंत्री जी को किसी तरह का एतराज नहीं होना चाहिये। इसमें तो उनको और सहूलियत हो जायगी। जो सिद्धान्त वह मान चुके हैं वैसा ही यह है। आशा है माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, यह मुझे स्वीकार नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले में कोई लिमिट थी नहीं। वह बहुत थोड़ी रकम भी हो सकती थी इसलिये निर्धारित करना कुछ जरूरी था। उसमें ५०० रुपये के बजाय ३०० रुपये कर दिया कि मिनिमम रकम जो है इससे वह कम नहीं होगी। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है सेकेण्ड प्रोवाइजो का, जिसमें आप तरमीम चाहते हैं उसमें पहले से ही २५० रुपये है। उसको हम बढ़ा कर ५०० रुपये कर रहे हैं, तो बजाय २५० रुपये के वह ५०० रुपये तक जायगी और उसके आगे कुछ नहीं बढ़ेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--इसमें पहले था "does not exceed 250" और मंत्री जी संशोधन लाये हैं "shall not be less than 500" तो मैं अर्ज करूंगा .....

श्री अध्यक्ष--"shall in no case exceed 500" है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--तो मैं अर्ज करूंगा कि इसमें एक तो ईजमेंट के केसेज आते हैं, जैसे किसी गरीब का रास्ता रोक लिया जाता है, तो वह अदालत में जाने से रह जायगा, अगर उसके पास इतना धन कोर्ट फीस लगाने के लिये नहीं है तो। या किसी का पानी रोक दिया गया या किसी के घर के आगे किसी ने दीवार बना दी और उसकी हवा और रोशनी रुक गयी तो यह ऐसी चीजें हैं कि जिनके लिये माननीय मंत्री जी को इस संशोधन को मान लेना चाहिये। दूसरा है इंजेक्शन। अगर कोई आदमी किसी का रास्ता रोकने वाला है, या किसी तरह की मदाखलत करता है उसकी प्रापर्टी में तो उसके लिये अगर दूसरा आदमी हुक्म इम्तनाई दीवानी हासिल करना चाहता है तो उन सबके लिये भी माननीय मंत्री जी को इस "valuation" को मान लेना चाहिये। यह ऐसी चीजें हैं कि जिनका ज्यादा-तर संबंध गरीबों से ही रहता है और देहातों में ८० फीसदी किसान ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरह के दावे दायर करने की जरूरत पड़ती है। शहर के रहने वालों के तो एक आध दावे होते हों तो हों, ज्यादा नहीं होते। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि वह इसे मानने की कृपा करें। वैसे उनके पास यहां सदन में बहुमत है, अगर वे जिद पर अड़े रहें तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको गरीबों का भला करना है तो इसे मानने में उन्हें कोई हिचक नहीं होनी चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, आप अगर देखेंगे तो पांच किस्म के मुकदमे लिखे हुये हैं दफा ४ (बी) में जिसमें है--

(1) Right to some benefit arising out of land, (2) to obtain injunction, (3) to establish adoption, (4) to set aside the adoption, (5) to set aside the award.

पहले में २५० रुपये की रकम है यानी २५० रुपये से ज्यादा की रकम नहीं होगी। इसके माने यह हैं कि अगर कोई शख्स ज्यादा कम रखेगा तो उसको २५० रुपया देना पड़ेगा लेकिन इसमें

[श्री सैयद अली जहीर]

५०० रुपये की हद की जा रही है यानी ५ सौ रुपये से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। जब ५०० रुपये की हद पहुंच जायगी तब उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसमें कोई अन्याय नहीं है और न कोई गलत बात है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ में उपखंड (२) के दूसरे "proviso" में "Rs. 500" शब्दों के स्थान पर "Rs. 300" शब्द रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरे संशोधन का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--आपका नाम पुकारा गया था लेकिन आप चले गये थे और अपने स्थान पर नहीं थे।

खंड ३

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की अनुसूची १ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की अनुसूची (Schedule I) में--

(१) अनुच्छेद (Article) १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"1. Plaint, written statement, pleading, a set-off or counter claim or memorandum of appeal (not otherwise provided for in this Act) presented to any Civil or Revenue Court except those mentioned in section 3.	When the amount or value of the subject-matter in dispute—	
	(i) does not exceed one hundred rupees ;	fifty naye paise for every five rupees or part thereof.
	(ii) exceeds one hundred rupees but does not exceed three hundred rupees ;	on one hundred rupees, the fee payable under clause (i) and on the remainder, one rupee and twenty-five naye paise for every ten rupees or part thereof.
	(iii) exceeds three hundred rupees but does not exceed five hundred rupees ;	on three hundred rupees, the fee payable under clause (ii), and on the remainder, one rupee and fifty naye paise for every ten rupees or part thereof.

(iv) exceeds five hundred rupees but does not exceed one thousand rupees ;	on five hundred rupees, the fee payable under clause (iii), and on the remainder, two rupees and twenty-five naye paise for every ten rupees or part thereof.
(v) exceeds one thousand rupees but does not exceed five thousand rupees ;	on one thousand rupees, the fee payable under clause (iv), and on the remainder, twelve rupees for every hundred rupees or part thereof.
(vi) exceeds five thousand rupees but does not exceed ten thousand rupees, and	on five thousand rupees, the fee payable under clause (v), and on the remainder, twenty rupees for every two hundred rupees or part thereof.
(vii) exceeds ten thousand rupees.	on ten thousand rupees, the fee payable under clause (vi), and on the remainder, thirty-seven rupees and fifty naye paise for every five hundred rupees or part thereof."

(२) अनुच्छेद ६ में शब्द "fifty-naye paise", "one rupee" और "two rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "seventy-five naye paise", "one rupee and fifty naye paise" और "three rupees" रख दिये जायं;

(३) अनुच्छेद ७ में शब्द "one rupee", "two rupees" तथा "five rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and fifty naye paise", "three rupees" तथा "seven rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(४) अनुच्छेद ८ में शब्द "eight annas" तथा "one rupee" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee" तथा "one rupee and fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(५) अनुच्छेद ८-ए में शब्द "one rupee" के स्थान पर शब्द "one rupee and fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(६) अनुच्छेद ९ में शब्द "seventy-five naye paise" के स्थान पर शब्द "one rupee" रख दिये जायं ; और

(७) वादों के निदेशन (institution of suits) पर उद्ग्राह्य मूल्यानुसार यथामूल्य शुल्क (*ad valorem* fee) की दरों की सारिणी के स्थान पर संलग्न अनुसूची में दी गई सारिणी रख दी जाय।

SCHEDULE

[*See* SECTION 3(vii)]

Table of rates of ad valorem *fees leviable on the institution of suits*

Where the amount or value of the subject-matter exceeds	But does not exceed	Proper fee		Where the amount or value of the subject-matter exceeds	But does not exceed	Proper fee	
1	2	3		1	2	3	
Rs.	Rs.	Rs.	nP.	Rs.	Rs.	Rs.	nP.
..	5	0	50	410	420	53	00
5	10	1	00	420	430	54	50
10	15	1	50	430	440	56	00
15	20	2	00	440	450	57	50
20	25	2	50	450	460	59	00
25	30	3	00	460	470	60	50
30	35	3	50	470	480	62	00
35	40	4	00	480	490	63	50
40	45	4	50	490	500	65	00
45	50	5	00	500	510	67	25
50	55	5	50	510	520	69	50
55	60	6	00	520	530	71	75
60	65	6	50	530	540	74	00
65	70	7	00	540	550	76	25
70	75	7	50	550	560	78	50
75	80	8	00	560	570	80	75
80	85	8	50	570	580	83	00
85	90	9	00	580	590	85	25
90	95	9	50	590	600	87	50
95	100	10	00	600	610	89	75
100	110	11	25	610	620	92	00
110	120	12	50	620	630	94	25
120	130	13	75	630	640	96	50
130	140	15	00	640	650	98	75
140	150	16	25	650	660	101	00
150	160	17	50	660	670	103	25
160	170	18	75	670	680	105	50
170	180	20	00	680	690	107	75
180	190	21	25	690	700	110	00
190	200	22	50	700	710	112	25
200	210	23	75	710	720	114	50
210	220	25	00	720	730	116	75
220	230	26	25	730	740	119	00
230	240	27	50	740	750	121	25
240	250	28	75	750	760	123	50
250	260	30	00	760	770	125	75
260	270	31	25	770	780	128	00
270	280	32	50	780	790	130	25
280	290	33	75	790	800	132	50
290	300	35	00	800	810	134	75
300	310	36	50	810	820	137	00
310	320	38	00	820	830	139	25
320	330	39	50	830	840	141	50
330	340	41	00	840	850	143	75
340	350	42	50	850	860	146	00
350	360	44	00	860	870	148	25
360	370	45	50	870	880	150	50
370	380	47	00	880	890	152	75
380	390	48	50	890	900	155	00
390	400	50	00	900	910	157	25
400	410	51	50	910	920	159	50

अमर उजाला सभा

Where the amount or value of the subject-matter exceeds	But does not exceed	Proper fee	Where the amount or value of the subject-matter exceeds	But does not exceed	Proper fee
1	2	3	1	2	3
Rs.	Rs.	Rs. nP.	Rs.	Rs.	Rs. nP.
920	930	161 75	6,800	7,000	857 50
930	940	164 00	7,000	7,200	877 50
940	950	166 25	7,200	7,400	897 50
950	960	168 50	7,400	7,600	917 50
960	970	170 75	7,600	7,800	937 50
970	980	173 00	7,800	8,000	957 50
980	990	175 25	8,000	8,200	977 50
990	1,000	177 50	8,200	8,400	997 50
1,000	1,100	189 50	8,400	8,600	1,017 50
1,100	1,200	201 50	8,600	8,800	1,037 50
1,200	1,300	213 50	8,800	9,000	1,057 50
1,300	1,400	225 50	9,000	9,200	1,077 50
1,400	1,500	237 50	9,200	9,400	1,097 50
1,500	1,600	249 50	9,400	9,600	1,117 50
1,600	1,700	261 50	9,600	9,800	1,137 50
1,700	1,800	273 50	9,800	10,000	1,157 50
1,800	1,900	285 50	10,000	10,500	1,195 00
1,900	2,000	297 50	10,500	11,000	1,232 50
2,000	2,100	309 50	11,000	11,500	1,270 00
2,100	2,200	321 50	11,500	12,000	1,307 50
2,200	2,300	333 50	12,000	12,500	1,345 00
2,300	2,400	345 50	12,500	13,000	1,382 50
2,400	2,500	357 50	13,000	13,500	1,420 00
2,500	2,600	369 50	13,500	14,000	1,457 50
2,600	2,700	381 50	14,000	14,500	1,495 00
2,700	2,800	393 50	14,500	15,000	1,532 50
2,800	2,900	405 50	15,000	15,500	1,570 00
2,900	3,000	417 50	15,500	16,000	1,607 50
3,000	3,100	429 50	16,000	16,500	1,645 00
3,100	3,200	441 50	16,500	17,000	1,682 50
3,200	3,300	453 50	17,000	17,500	1,720 00
3,300	3,400	465 50	17,500	18,000	1,757 50
3,400	3,500	477 50	18,000	18,500	1,795 00
3,500	3,600	489 50	18,500	19,000	1,832 50
3,600	3,700	501 50	19,000	19,500	1,870 00
3,700	3,800	513 50	19,500	20,000	1,907 50
3,800	3,900	525 50	20,000	20,500	1,945 00
3,900	4,000	537 50	20,500	21,000	1,982 50
4,000	4,100	549 50	21,000	21,500	2,020 00
4,100	4,200	561 50	21,500	22,000	2,057 50
4,200	4,300	573 50	22,000	22,500	2,095 00
4,300	4,400	585 50	22,500	23,000	2,132 50
4,400	4,500	597 50	23,000	23,500	2,170 00
4,500	4,600	609 50	23,500	24,000	2,207 50
5,600	4,700	621 50	24,000	24,500	2,245 00
4,700	4,800	633 50	24,500	25,000	2,282 50
4,800	4,900	645 50	25,000	25,500	2,320 00
4,900	5,000	657 50	25,500	26,000	2,357 50
5,000	5,200	677 50	26,000	26,500	2,395 00
5,200	5,400	697 50	26,500	27,000	2,432 50
5,400	5,600	717 50	27,000	27,500	2,470 00
5,600	5,800	737 50	27,500	28,000	2,507 50
5,800	6,000	757 50	28,000	28,500	2,545 00
6,000	6,200	777 50	28,500	29,000	2,582 50
6,200	6,400	797 50	29,000	29,500	2,620 00
6,400	6,600	817 50	29,500	30,000	2,657 50
6,600	6,800	837 50			

and the fees increases at the rate of thirty-seven rupees and fifty naye paise for every five hundred rupees or part thereof, for example :

Value Rs.	*Proper fee* Rs.	nP.		Rs.	nP.
40,000	3,407	50	2,00,000	15,407	50
50,000	4,157	50	3,00,000	22,907	50
60,000	4,907	50	4,00,000	30,407	50
75,000	6,032	50			
1,00,000	7,907	50	5,00,000	37,907	50

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड ३ के नये उपखंड (१) के तीसरे कालम में निम्नांकित संशोधन किये जायं :

(*a*) लाइन ९ व १० के शब्द "and twenty-five" निकाल दिये जायं।

(*b*) लाइन १८ में "fifty" के स्थान पर "twenty-five" शब्द रक्खे जायं।

पंक्ति ३७, ३८ व ३९ में से शब्द "and twenty-five naye paise" निकाल दिये जायं।

(*c*) इसी खंड (३) के कालम ३ के आखरी पैराग्राफ की आखरी लाईन व विधेयक के पृष्ठ (३) में शब्द "twelve rupees" के स्थान पर शब्द "ten rupees" रक्खा जाय।

पृष्ठ (३) पर छपे कालम (३) के दूसरे पैराग्राफ में "Twenty rupees" के स्थान पर "nineteen rupees" शब्द रक्खे जायं।

विधेयक के खंड (३) के उपखंड २, ३, ४, ५ व ६ निकाल दिये जायं।

उपखंड (७) में दी अनुसूची (Schedule) में प्रारम्भ से अंक 990— 1,000 142—8—0 तक को मूल अधिनियम की सारिणी के अनुसार रहने दिया जाय। पृष्ठ ७ व उससे आगे दी गई अनुसूची 1,000—1,100 189.50 से लेकर पृष्ठ ९ के अन्त तक ५ विधेयक के अनुसार ही रहने दी जाय, कवल पृष्ठ ९ के प्रारम्भ में शब्द "thirty-seven" के स्थान पर "fifty" रक्खा जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आप देखेंगे कि इन चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी की गयी है। पहला तो यह कि अगर कोई सेट आफ "Set off" मांगता है जैसे किसी मामले में मुद्दालह चाहता है कि उसमें कुछ रुपये की मिन्हा हो जाने चाहिये या मुद्दालह का मुद्दई की तरफ फलां हिसाब बाकी है, तो उसमें महंगे रट्स से कोई कोर्ट फीस नहीं लगनी चाहिये क्योंकि जिन्होंने पहले कोर्ट फीस ऐक्ट बनाया उन्होंने इसी विचार से कम रेट्स रक्खे थे। लेकिन आज रेट बहुत बढ़ाया जा रहा है। मैंने जो रट्स रक्खे हैं वे पुराने रेट्स से ज्यादा हैं

और मंत्री जी को यह शिकायत नहीं हो सकती है कि हमने ओरिजिनल रेट्स को भी घटा दिया। इसके बाद यही हो सकता है कि आपके साथ हांथ ज्यादा है इसलिये आप कह दें कि हम अब इस प्रश्न को स्वीकार नहीं करते। उनके पास ताकत है और ताकत में आदमी दूसरे की बात नहीं मानता है जब तक कि उसे अपनी ताकत के जाने का डर न हो। श्रीमन्, इसमें खास चीज उपखंड २, ३, ४, ५ व ६ को निकालने की है। यह गवर्न करती है आर्टिकिल ६, ७, ८ और ९ को जो अर्जियों के लिये हैं। पहले फीस के ३ आने थे, फिर ४ आने किये और सन् १९५२ में मंत्री जी ने ८ आने कर दिये। आज ८ आने को तो ८ आने ही रखा गया है लेकिन मामूली अर्जियां जो रोजाना लगती हैं, उनके लिये मंत्री जी ने मद्रास का हवाला दिया कि वहां २ रुपये लगते हैं, लिहाजा हम भी रखना चाहते हैं। जहां फीस सबसे ज्यादा है उसी को क्यों वह मानते हैं। अपने नजदीक राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह में उन्हें देखना चाहिये न कि हवाई उड़ान लेकर एक दम मद्रास पहुंच जावें। मंत्री जी के मुखारविन्द से यह भी सुनने को मिला कि मद्रास में बढ़ाने से मुकदमे कम हो गये हैं। उन्होंने फिर प्रिविलेज के मोशन के डर से उस क्वालीफाई कर दिया कि हकीकत कहीं और न हो या और किसी वजह से। तो यह क्यों नहीं माना जाय कि वहां एफीसेन्सी ज्यादा है और एरियर्स कम हैं? मेरे एक सवाल के जबाव में आज ही यह उत्तर मिला था कि बी० ए० तथा एम० ए० पास वालों को न छांटकर ग्राम-सेवक से ए० डी० ओ० के चुनाव में मिडिल पास या हाई स्कूल वालों को छांटा गया। तो हर जगह, इस विधेयक, में भी उसी राह से सबको नापा गया है। जिस राज्य में तरक्की देने के योग्यता के अलावा कोई और मापदंड हो उसका भगवान ही मालिक है। इसमें क्रिमिनल केसेज भी आ जाते हैं। मान लो कोई पीटा जाता है, किसी औरत की इज्जत ली जाती है और पुलिस कुछ नहीं करती है तो उसे कोर्ट में जाना ही पड़ता है उसके पास कफन के लिये कौड़ी भी नहीं है, तो वह बढ़ी हुई फीस कहां से लावेगी? कोई किसी जमीन में घुस गया, या किसी औरत को मेन्टीनेंस का दावा करना है, उसके पास खाने के लिये होता तो वह क्यों दावा करती? भारतीय संस्कृति के अनुसार वैसे ही भारतीय औरतें कचहरियों में जाना पसन्द नहीं करती हैं। इस प्रकार से यह टैक्स बेवाओं, यतीमों और गरीबों से वसूल होगा। पूंजीपतियों के लिये, सेठों के लिये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

मंत्री जी ने शैड्यूल तय्यूनदावी का रेट दिया है। यह पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, २०० से ऊपर ज्यादा बढ़ाया गया है। मैंने मांग की है कि १,००० रुपये तक पुराने रेट्स रक्खे जावें क्योंकि गरीबों के और मिडिल क्लास वालों के मुकदमे ज्यादा के नहीं होते हैं। जहां पर पूंजीपतियों का मामला है, वहां पर आप अपने विधेयक जैसा ही रखें। ५०० रुपये तक का जुरिस्डिक्शन न्याय पंचायतों के पास है, तो २०० से ५०० में रेट बढ़ाने से कोई ज्यादा आय नहीं होगी। ५०० से १,००० तक की जो रेवेन्यू बढ़ेगी उसे सरकार छोड़ दे क्योंकि यह साधारण तबके के लोगों से वास्ता रखता है। जहां ३०,००० से ऊपर लिखा है मेरी गुजारिश है कि वहां ३७ रुपये के बजाय ५०० पर ५० रुपये कर दें। अगर किसी आदमी के फालतू चरबी है तो ले लीजिये मगर गरीबों की हड्डियां न खुरचिये। डाईवोर्स में या जैसे मैरिज ऐक्ट वगैरह में है, उसके लिये मैं आगे कहूंगा।

*स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, यह संशोधन स्वीकार नहीं है। वह गरीबों की इतनी दुहाई देते हैं तो फिर क्यों ४३० में केवल १६ ही आ सके? आज वास्तविकता यह है कि वकील साहबान अपनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं और कोर्ट फीस पर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। १९४० में कोर्ट फीस साढ़े सात रुपये थी सौ रुपये पर, जब कि वकीलों की फीस ५ रुपये थी। वकीलों की फीस ५ रुपये से साढ़े सात रुपये कर दी गई, लेकिन मैं गोविन्द सिंह जी से पूंछूगा कि क्या वकील साहबान साढ़े सात रुपये के हिसाब से लेते हैं? अगर हम गरीबों पर ही लगा रहे हैं तो उसका अन्जाम भी हम ही भुगतेंगे। ५०० रुपये तक को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप यादव]

दावे अदालती पंचायतों में जाते हैं जिनसे गरीबों का ज्यादातर सम्बन्ध होता है। उन पर इसका कोई असर नहीं है। अभी डाईवोर्स का वह कहने लगे कि उस पर कोर्ट फीस बढ़ानी चाहिये। क्या डाईवोर्स करने वाली स्त्री दुखी नहीं होती है? इसमें वैलुएशन के अनुसार रेट बढ़ाया जा रहा है।

श्री सुरथबहादुर शाह--मैं एक बात पूछना चाहता हूं। यहां गरीब शब्द के ऊपर दोनों शख्स खून बहा रहे हैं। लेकिन इसकी कोई लाइन आफ डिमार्केशन तो हो कि कौन गरीब है और कौन नहीं है?

श्री अध्यक्ष--आप जिसको गरीब कहना चाहें कहें जिसे वह चाहें वह कहें। इसकी व्याख्या के लिये आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। इसका वह उत्तर नहीं दे सकते हैं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मुझे दुख है कि मैं कुछ मिनटों के लिये आवश्यकता से बाहर चला गया और मेरा एक आवश्यक संशोधन छूट गया। मुझे उसके सिलसिले में एक कहानी याद आ गयी कि एक आदमी कचहरी में हाजिर था और हाजिर होते हुए भी लघु शंका करने के समय में ही अपना मुकदमा खो देता है। मैंने भी आज उसी प्रकार से अपना मुकदमा खो दिया।

मुझे श्रीमन्, इस खंड ३ के सम्बन्ध में कुछ बातें रखनी हैं। खंड ३ में कई अनुच्छेदों की चर्चा है और अनुच्छेद १ में जो सारिणी दी हुई है.....

श्री अध्यक्ष--आप अपना जो संशोधन उपस्थित करना चाहते हैं पहले आप उसको उपस्थित कर दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अध्यक्ष महोदय, इस खंड के सिलसिले में मेरे दो संशोधन संख्या ४ और ५ पर हैं। आपकी आज्ञा से मैं दोनों को एक साथ रख देना चाहता हूं। वह इस प्रकार हैं --

खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित अनुच्छेद (Article) (१) के कालम ३ की पंक्ति ८, ९, व १० के शब्द "One rupee and twenty five naye paise" के स्थान पर शब्द "One rupee"

तथा

उसी कालम की पंक्ति १७, १८, व १९ के शब्द "One rupee and fifty naye paise" के स्थान पर शब्द "One rupee and twenty-five naye paise" रख दिये जायं।

खंड ३ के उपखंड (२), (३), (४), (५), (६), व (७) निकाल दिये जायं।

मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण खंड ३ के सम्बन्ध में अपनी बात रखूंगा। प्रथम अनुच्छेद में जो ड्यूटी दी गयी है उसके सम्बन्ध में यह बताया गया कि इसमें बढ़ोत्तरी की गयी है उसका सम्बन्ध छोटे तबके से नहीं है। क्योंकि छोटे मुकदमें पंचायतों में आ जाते हैं। लेकिन स्मालकाज कोर्ट आदि में भी छोटे मुकदमें होते हैं। अतः यह जो बढ़ोत्तरी की गयी है वह छोटे मुकदमों और छोटे लोगों पर भी अपना असर डालेगी। आप देखेंगे कि १०० रुपया तक बढ़ोत्तरी नहीं है, वही आठ आने की बात कायम है। लेकिन ज्यों ही १०० रुपया से ३०० रुपया होते हैं कि एक रुपये से सवा रुपया हो जाता है। पंचायत के मुकदमों को छोड़ दें तो जो लोग इन मुकदमों में आयेंगे उन पर यह असर डालेगा और छोटे तबकों के लोगों पर उसका असर पड़ेगा।

मैं माननीय मंत्री जी की उन बातों को गौर से सुनने के बाद कुछ परेशानी में पड़ गया। जब हम लोगों ने अपने संशोधन में यह बात रखी कि इस टैक्स से छोटे लोगों पर असर पड़ेगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो उनकी तर्कना बड़ी दिलचस्प रही। उन्होंने कहा कि छोटे आदमियों पर असर पड़ेगा तो उनको कचहरियों में आने की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्योंकि उनको कहानी सुनने में दिलचस्पी है इसलिये मैं उनको एक कहानी भी सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमान अधिष्ठाता महोदय, मैं खंड ३ के सम्बन्ध में कह रहा था कि इसके उपखंड (१) के भाग (क) को निकाल दिया जाय। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपनी जवाबी स्पीच में बहुत-सी बातें रखीं जिनको मैंने बहुत गौर से सुना, हालांकि वे बातें अपनी प्रारम्भिक स्पीच में नहीं रख पाये थे। उन्होंने विशेष तौर से इस बात पर जोर दिया है कि यह लग्जरी की चीज बन गयी है।

श्रीमन्, थोड़े में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री के मुंह से यह बात सुन कर कि कोर्ट लग्जरी हो गयी है कुछ आश्चर्य हुआ। यदि कोर्ट लग्जरी है और जस्टिस भी लग्जरी है तो इस स्वतंत्रता के काल में किसी भी आदमी को न्याय पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिये। यह जस्टिस नेसेसिटी है। आवश्यकता के लिये हर आदमी जीता और मरता है। ऐसा कहा भी गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इसी बात को देख कर, इस जस्टिस की आवश्यकता को देखकर और यह समझ कर कि जस्टिस इतना सस्ता और सरल हो सरकार के मस्तिष्क में पंचायत सिस्टम की उपयोगिता दिखलाई पड़ी और इसी खयाल से पंचायत सिस्टम रखा गया कि न्याय सुलभ और सस्ता होगा। उसको लक्जरी नहीं माना गया और इसी खयाल से आज संविधान में भी उसका प्राविजन है कि यह पंचायतें अधिकाधिक बढ़ें किन्तु जब इस रूप में कहा जाता है कि यह हमारी लग्जरी इसलिये बन चुकी है कि लोगों में आदत अदालतबाजी की हो गई है। क्या मैं मंत्री जी से जान सकूंगा कि यह आदत हमारी अभी हाल की है या बहुत पहले की है? अगर यह पहले की आदत नहीं है, जैसा इतिहास बताता है, ह्वांगस्वांग, चीनी यात्री ने लिखा है कि घरों में ताले नहीं लगते थे और इतनी अदालतबाजी नहीं थी मुस्लिम काल तक, यह तो मानना पड़ेगा। इसलिये यह लग्जरी की हैबिट हाल की है और विशेष तौर से पराधीनता के काल की ही उपज है जिसकी लीगेसी आज भी हमारे सब के साथ है। तो क्या मंत्री जी इस लीगेसी की जड़ों को ढूढने की कोशिश करेंगे? उन्होंने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर यह आदत बिगड़ी तो क्यों? हैबिट इज़ दी नेक्स्ट नेचर। तो उनसे मैं प्रार्थना करूं कि हर एक आदमी का जो स्वभाव पड़ जाय वह जल्दी दूर नहीं होता है, इसको शायद वह मानते होंगे। देश में मद्यनिषेध के बारे में बहुत कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं। प्राहिबिशन है, कानूनन बन्द है, तो भी क्या कमी कर पाये हैं। जिस चीज की आदत चाहे समाज में हो या व्यक्ति में पड़ी हो वह जल्दी हटती नहीं है। आज जब हम लिटीगेशन में इतने बंधे पड़े हैं, आज जब हमारा सारा धन इसमें दुरूपयोग हो रहा है, उस समय हमें सदुपदेश देना कि आपस में समझौता क्यों न कर लें और लड़े ही क्यों और लड़ेंगे तो फीस लेंगे, यह एक ऐसी कल्पना है जो 'जबरदस्त का ठेंगा सिर पर' की सी बात है। पहले तो हमारी आदत बिगाड़ी गई ब्रिटिश ला से मुकदमेबाजी सिखायी गयी, यह चीज हमारी नस्ल में घुसेड़ी गई कि इससे कोई न कोई लाभ निकलेगा। फिर हमें अब सदुपदेश दिया जाय कि स्वभाव को बदलें, मेरी समझ में यह नहीं आता।

मंत्री जी ने जब ऐग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के सेपरेशन की चर्चा की उस समय मुझे बड़ा अफसोस पैदा हुआ। अनुच्छेद ६ ७, ८ और ९ में कितने परिवर्तन हैं उन सब की बात अलग-अलग आपके सामने रखूंगा क्योंकि इनमें उन लिटीगेन्ट्स की बात है जो बहुत छोटे तबके के हैं और जिनको कुछ राहत मिलनी ही चाहिये। इसके लिये यह सब से जरूरी है कि जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो। इस सम्बन्ध में मंत्री जी ने एक बात बार-बार कही कि ला एन्ड आर्डर के लिये यह इतना जरूरी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

नहीं है कि सेपरेशन को हम करें। उन्होंने अपना एक अनुभव भी बताया जो बाम्बे गवर्नमेंट के एक आफिशियल से बात-चीत हुई थी। बाम्बे गवर्नमेंट के आफिशियल से अनुभव पाना एक बात है और जनता से पाना दूसरा बात है। आफिशियल्स तो अपने ढंग से अपना काम करवाने की सोचा करते हैं। और उस रूप में पूरा न होने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। यह तर्कनाएं देना कि सेपरेशन से हम स्पीडी जस्टिस नहीं कर पायेंगे तो उनकी बुद्धि पर हमें तरस आता है। स्पीडी जस्टिस तो सेपरेशन से ही सम्भव है जिसमें फ्री फ्राम इनफ्लुएंस भी होगा। मुझे निज का अनुभव है। राजनीतिक जीवन में कई मर्तबा इन कानूनों को तोड़ने का मौका मिला लेकिन वहां मैजिस्ट्रेट डी० एम० के इशारे पर चलते है। एक केस में, मेरे ही एक साथी का था, उसमें एक ला प्वाइन्ट इनवाल्व्ड था। मैजिस्ट्रेट ने लंच के बहाने डी० एम० के पास जाकर सलाह ली और उनके आर्डर के मुताबिक फैसला किया।

सबसे दयनीय अवस्था तो यह है जब हमारे वित्त मंत्री जी कानून शिकनी की बात कहते हैं। उन्होंने बार बार "कानून शिकनी" शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मंत्री जी को मजा नहीं मालूम, उन्होंने कभी कानून-शिकनी नहीं की, लेकिन सौभाग्यशाली बड़े हैं कि बिना कानून शिकनी किये हुए ही इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं। यह उन कानून शिकनी करने वालों के परिणाम स्वरूप ही वह वहां पर बैठे हैं। यह कानून शिकनी करने वालों का ही सौभाग्य है कि उन्होंने बड़े बड़े विप्लव इस देश में करके विदेशियों को हटाया। अब यह तर्कनाएं पेश की जाती है कि हम ला ब्रेकर्स हैं। हम ला ब्रेकर्स नहीं है, हम पीस मेकर्स है, हम जस्टिस चाहते हैं और हम यह चाहते है कि जस्टिस फ्री फ्रार्म इंफ्लुएंस हो। ये जो आपकी दफा १८८ या क्रिमिनल ला अमेंडमेंट की दफा १०७ या १४४ है, इनको आपको उस ट्यून में लाना पड़ेगा जिसको एक फ्रीडम लविंग पीपुल पसंद करें। तो श्रीमन् कानून शिकनी की बात वित्त मंत्री जी न किया करें, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, क्योंकि उसको जन्म देने वाले महापुरुष महात्मा गांधी थे जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया कि जहां कहीं ये कानून अमान्य हों उनको तोड़ना सबका परम कर्त्तव्य है और उन्हीं आधारों पर हम चलते है, अपने विश्वास से। माना कि हमारा विश्वास गलत हो, लेकिन आप हमें अपने रास्ते पर चलने दीजिये, आप हमारा उपहास न करें।

हमारे वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि ये गवाह और यह प्रतिपक्षी जो होते हैं, इनका झूठ बोलने का एक तरीका हो गया है, इसलिए लिटिगेशन बढ़ गया है। इसी के साथ-साथ वकीली पेशे को भी छोड़ कर अपने लिए बिल्कुल ही सफाई रखी और अपनी पोजीशन साफ रख कर यह कहना चाहा कि हम गवर्नमेंट फीस लेने के मुस्तहक हैं जो कुछ करप्शन और बरबादी है वह उन गवाहों और प्रतिपक्षियों की वजह से है। श्रीमन्, न यह ला होता न ये वकील होते। इन गवाहों की नैतिकता जो इतनी गिरी हुई है इसकी जिम्मेदारी इन कानून के सलाहकारों पर ही है। क्या कोई गवाह अपने घर से ही असत्य बोलना सीख कर आता है? क्या उसे इन वकीलों द्वारा असत्य बोलने पर बाध्य नहीं किया जाता है? उनकी नैतिकता गिरने का कारण हम खुद हैं या हमारे ब लीगल ऐडवाइजर्स हैं जो हमको झूठ बोलने के लिये बाध्य करते हैं। तो आपका यह कथन कि हम जो फीस लेते हैं तो कहते हैं कि न आओ हमारी अदालतों में, ३० लाख पये चाहे हमें न मिलें, कुछ बहुत उचित नहीं मालूम पड़ता। अगर आप खुले दिल से चाहते हैं कि लिटिगेशन कम हो तो पंचायत सिस्टम को थोड़ा डेवलप कीजिये।

श्री अधिष्ठाता--आप तो जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। आप अपने संशोधन के पक्ष में तर्क दीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन् मेरा संशोधन खंड ३ के प्रत्येक अनुच्छेद से है और इस प्रत्येक अनुच्छेद में अनेक चीजें समाविष्ट हैं। मैं वह प्रत्येक चीज ही आपके सामने लाना चाहता हूं। इसमें जो पहला अनुच्छेद है उसमें कुछ कम्प्लेन्ट्स के बारे में जिनका एमाउन्ट आफ वैल्यू ५ पये से लेकर कई हजार रुपये तक हो उन्हीं की फीस की

बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में है और यह येन-केन प्रकारेण इस बात पर पहुंचती है कि फीसें जो इतनी लम्बी हैं उनके प्राप्त करने के लिये जो कारण वित्त मंत्री की तरफ से बताये गये हैं वे अमान्य हैं और उसी के कारण मैंने आपके सामने रखे और बताया कि लिटिगेशन फीस बढ़ा से नहीं बल्कि ला और लीगल ऐडवाइजर्स के सिस्टम को बदलने से ही कम हो सकता है। लेकिन पंचायत सिस्टम में भी जो आपने नामजदगी करने का तरीका अख्तियार किया है उसमें भी वही नुक्स पैदा हो गया है, क्योंकि नामजद किया हुआ आदमी उसी प्रकार का हो जाता है जैसे आपकी जुडिशियरी की मशीनरी है। होना तो यह चाहिये कि पंचायत सिस्टम में जनता का खुलकर हाथ होता बजाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा नामिनेट करने के।

श्रीमन्, अनुच्छेद (६) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। इसमें कहा गया है कि कापी और ट्रांसलेशन आफ जजमेंट और आर्डर नाट बींग आर हैविंग दि फोर्स आफ ए डिक्री (copy or translation of judgement or order not being or having the force of a decree) यानी ऐसी कापी जो किसी जजमेंट या आर्डर की नकल हो जिसमें डिक्री का अमल न हो। अनुच्छेद (७) में लिखा है, कापी आफ डिक्री आर आर्डर हैविंग दि फोर्स आफ ए डिक्री। कापी लेने के सम्बन्ध में ५० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है और इसमें हर प्रकार की चीजें शामिल हैं। अनुच्छेद ८ में जो कापी आफ डाक्युमेंट लायएबिल टु स्टैम्प ड्यूटी है अभी दो दिन भी नहीं गुजरे हैं हमने स्टैम्प ड्यूटी में इसी मद में बढ़ोत्तरी कर दी है। एक तरफ तो हमने स्टैम्प ड्यूटी एक पये की जगह डेढ़ रुपया किया और इसी चीज पर दुबारा ८ आने की जगह पर एक रुपया और एक रुपया की जगह पर डेढ़ पया कर दिया है। आप देखें कि यह दुहरी बढ़ोत्तरी है और स्टैम्प भी दुगना लगाइये और फीस भी दुगनी देनी पड़ी तो यह अन्यायपूर्ण हो जाया करता है। इसके बाद अनुच्छेद ८ (ए) में पावर आफ अटार्नी है जिसमें एक पये से डेढ़ पया किया गया है तो यह भी लोगों को परेशान करने वाला है। अब अनुच्छेद (९) में....

श्री बालक राम--श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम होने पर पुनः सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन् आप देखें कि इस अनुच्छेद (९) में ३६० वर्डस् का रेट मुकर्रर है और इसमें अभी तक ७५ नये पैसे लिये जाते थे, लेकिन अब एक पया किया जा रहा है। इसका किस पर बार होगा यह सोचने की बात है। यह नकल लेने का तरीका जो हमारे यहां प्रचलित है और जहां रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि समय पर नकल नहीं मिल सकती जब तक कि उनको चढ़ौती न चढ़ाई जाय जो वहा बैठे हुये हैं।

अब आप देखें कि एक तो स्टैम्प में बढ़ोत्तरी हुई और फिर फीस में हुई और ऐसे सीग में हुई जिस में प्रत्येक आदमी को काम पड़ता है। यह देखने लायक है। यह कैसे आम जनता पर नहीं पड़ेगा? पावर आफ अटार्नी से लगा कर जो बढ़ोत्तरी है सबका असर आम जनता पर पड़ता है जो न्याय पाने के लिये अदालत में जाय।

श्रीमन्, यह बताया गया कि हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया और जरूरत इस बात की है कि कचहरियां ज्यादा हों और मुलाजिमान के बढ़ाने की बात है। यह भी कहा गया है कि प्रेस्टिज के कारण लोग ज्यादा मुकदमेबाजी करते हैं। मैं आपसे कहूंगा....

श्री अधिष्ठाता--माननीय विकल जी, आपके पास बड़े जोरों से बातचीत हो रही है जिससे सदन के काम में गड़बड़ी होती है। कृपया शान्ति रखें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मुकदमेबाजी के बढ़ने के सम्बन्ध में यह कहा गया कि जनता प्रस्टिज के कारण मुकदमेबाजी करती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि धन से जो

[श्री मोतीलाल अग्रवाल]

विभूषित लोग हैं वह जब निर्धनों को परेशान करने लगते हैं और वह निर्धन जो न्याय पाने का मुस्तहक है उसको कचहरी में जाना पड़े, तो क्या उस पर इसका बार नहीं पड़ेगा? आज प्रेस्टिज के कारण तो जो सरकारी पक्ष में मंत्री के पदों पर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लोग बड़ा-बड़ा त्याग करते हैं। निर्धन तो न्याय पाने के लिये अदालत में जाते हैं।

श्रीमन्, बड़ी भारी परेशानी हमारे सामने रिट के सम्बन्ध में भी है। लेकिन इसके सम्बन्ध में इस समय में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वह तो खंड ४ में आयेगी। सरकार का यह कहना कि लोग खामख्वाह मुकद्दमेबाजी करते हैं यह अनुचित है। जब तक सिस्टम बदला न जायगा या ला में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक लोग अपने झगड़ों को आपस में नहीं तय कर सकेंगे। नियमों में ऐसा परिवर्तन हो कि लोग अपने झगड़ों को समझौतों द्वारा तय करने के लिए बाध्य हों। लेकिन जब तक आप का मौजूदा कानून है, तब तक यह कहना कि लोग अदालतों में न आएं---हम कब कहते हैं कि आयें। लेकिन लोग आते हैं। यह जो ३० लाख रुपये की रकम ले रहे हैं इसमें छोटे-छोटे मामले भी सम्मिलित हैं। इस ३० लाख की धनराशि के लिए कहा गया कि हम मद्रास और बम्बई के मुकाबले में कम ही ले रहे हैं। लेकिन आपका टोटल १३० करोड़ का होता है। इतना टोटल मद्रास और बम्बई का है? आप तो जहां माइनस मिलता है उसको दिखाते हैं जहां प्लस होता है वह नहीं दिखाते हैं। इस बढ़ोत्तरी में निर्धन से निर्धन का पैसा भी सम्मिलित है और वह कहते हैं कि हमको इन कोर्टों में बड़े-बड़े मुलाजिमों की तनख्वाहों को रेगुलेट करने के लिए यह पैसा चाहिए।

इन बातों को कह कर मैं प्रार्थना करूंगा कि इसमें जो मेरे संशोधन हैं उन पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय। पहला संशोधन यह है कि आर्टिकिल (१) के कालम ३ की पंक्ति ८, ९ व १० में सवा रुपये के स्थान पर एक रुपया रखा जाय। इसी प्रकार उसी कालम की पंक्ति १७, १८ व १९ में एक रुपया और २५ नये पैसे के स्थान पर एक रुपया और २० नये पैसे रखा जाय। इसके बाद मैंने खंड ३ के उपखंड (२),(३),(५),(६) व (७) को निकाल देने की बात रखी है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार का रेट है वह कायम रहे। बढ़ोत्तरी न हो पायेगी। हम इस बढ़ोत्तरी के किंचिन्मात्र भी पक्ष में नहीं हैं। देश की जैसी स्थिति है उसमें यह देश बिल्कुल समर्थ नहीं है, इसको देने में। देश हैविली टैक्स्ड है। नाकों तक टैक्सों से बोझिल हो चुका है। कहते हैं कि हम तो बड़ों से पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन बड़ों की आड़ में अगर छोटों पर एक रुपये से सवा रुपया या डेढ़ रुपया भी करते हैं वह भी उसे देना दुस्तर हो जायगा। छोटे तबके के लोग अधिक हैं और हमेशा यह देखा जाता है कि छोटे तबके के लोगों से थोड़ी थोड़ी आमदनी होकर कहीं ज्यादा हो जाती है बजाय उनके जो बड़ा टैक्स देने वाले होते हैं। अतः उनकी तरफ स मैं कहना चाहता हूं कि उनसे सरकार का बढ़ोत्तरी का रुपया मांगना किसी भी हालत में उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इसको पास करे और जैसा मूल है वैसा पास न करे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने यह कहा कि आज जो कोर्ट फीस बढ़ायी जा रही है इससे लिटिगेशन कम होगा लेकिन कहने को तो वे यह कहते हैं कि हम मुकदमे घटा रहे हैं मगर उन्होंने पंचायत राज बना कर घर-घर अदालत कायम कर दी है और मुकदमों की संख्या बढ़ा दी है। अगर मियां बीबी का भी घरेलू झगड़ा हो गया या किसी सब्जी या खेत का भी झगड़ा है वह पंचायत के सामने जाकर दायर करा लेते हैं। न्याय-पंचायतों के खुलने से पेश्तर ज्यादातर ऐसे झगड़ों से पैदा हुआ गुस्सा, अदालत के दूर होने से और कुछ समय लग जाने से, ठंडा हो जाता था और बहुत कम मुकदमे आज की तुलना में होते थे। अब गांव गांव

में अदालत खोल कर सरकार ने लोगों को सहूलियत कर दी है कि गुस्सा ठंडा होने से पहले ही वे दावा दायर कर लें।

मंत्री जी ने कहा कि ७०, ८० फीसदी मुकदमे व अपीलें खारिज हो जाती हैं इसलिए भी हम मुकदमे होने देना नहीं चाहते हैं और वे ज्यादातर झूठे होते हैं। माननीय मंत्री जी को लगता है कि ऐसे मुकदमों का तजुर्बा है। मैंने तो पहाड़ों पर देखा कि ९० प्रतिशत मामले सही होते हैं। मगर मंत्री जी बड़े बैरिस्टर हैं और उनका उल्टा तजुर्बा है। माननीय मंत्री तो अपने पास फेहरिस्त रखते होंगे। जहां तक फौजदारी मुकदमों के छूटने का सवाल है, हम सब जानते हैं कि ला का सिद्धान्त यह है कि भले ही ९ कसूरवार छूट जायं लेकिन एक बे-गुनाह को सजा नहीं होनी चाहिये। जितना भी पुलिस का फोर्स है या रूल आफ ला को स्टैब्लिश करने के लिये अथारिटी वगैरा है वह अदालत में जाकर गलती करते हैं तो फिर यह सभी गलत है। हमारा सारा कानून भी गलत हो जाता है और यहां पर का काम भी गलत हो जाता है। मंत्री जी को शिकायत है कि मुकदमे प्रेस्टीज के लिए भी लड़े जाते हैं। किसी को अगर defame कर दिया जाय तो वह निश्चय ही अपनी प्रेस्टिज कायम रखने के लिये मुकदमा लड़ेगा। सरकार ने तो जनसेवकों की मानहानि को cognizable offence बना दिया है। जर, जमीन और जोरू संसार में यही तीन लड़ाई की जड़ मानी गई हैं। इन सब के लिये ही कानून है। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी ऐसा क्यों कहते हैं?

एक बात यह कही गई कि विरोधी लोग ज्यादा कानून तोड़ते हैं। यही बात अंग्रेज कहा करते थे। पहले अंग्रेज जूडिशियल और एग्जिक्यूटिव का विरोध करते थे अब आप करते हो। जब आप खुद पहले जिनके पीछे चलते थे जो हमारे बड़े नेता थे, उन्होंने भी अंग्रेज के गलत व अन्यायी कानूनों को तोड़ा। तो अब आपकी गलत बातों का हमें भी विरोध करना पड़ता है। इसके लिये अंग्रेज भी जुर्माना करते थे। सरकार उस बात की ताईद नहीं करती थी। आज आप सरकार में हो गये हैं और उसी बात में आपने अंग्रेजों को रिप्लेस कर दिया है।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है मंत्री जी ने कहा कि वह हम लोगों के दिमाग में है। उसी भ्रष्टाचार की बात को मैं बताऊं कि आपके जो कल तक मंत्री थे और आज भी कांग्रेस के चीफ ह्विप हैं, वह क्या कहते हैं। मंगलाप्रसाद जी ने हाल ही में कहा है जो अखबार में इस तरह छपा है: "The former Minister alleged that corruption was so rampant in the country that if there was any development work costing Rs.40 crores the people would be benefited to the extent of Rs. 20 Crores only and the rest would go waste in corrupt. If this was the spirit of sacrifice and service people could be benefited to the extent of Rs. 80 crores work."

वह कल तक मिनिस्टर थे। जो कल ही छोड़ कर यहां से गये हैं वह यह बात कहते हैं।

मंत्री जी कह रहे थे कि जो मुद्दई जीतेगा लड़ेगा तो उसको खर्चा (cost) मिलेगा। मगर जब उसके पास लड़ने के लिये कोर्ट फीस ही नहीं होगी तो फिर वह मुकदमा कसे लड़ेगा? जब उसकी शुरूआत ही नहीं होगी तो फिर उसका फल ही कैसे मिलेगा? जब वह अपना मुकदमा शुरू करेगा तब ही कोर्ट फीस की उसे जरूरत होगी। आपने फीस को ऊंचा कर दिया है। मेरा आपसे यह सजेशन है कि आप एक हजार रुपया कीमत तक कोर्ट फीस छोड़ दें। बड़े लोगों पर आप फीस बढ़ा दीजिये हम आपका साथ देंगे। मैंने इसमें एक संशोधन रखा है कि ३० हजार से ऊपर आपने ३७ १/२ रुपया फी ५०० रुपये पर रखा है। अगर यह ५० रुपया कर दिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इसको आप गरीबों के लिये छोड़ दें। बड़ों से आप लेंगे तो आपको कुछ मिलेगा और जिनके पास हड्डी है उससे आप खुरचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मेरी बात तो अलग रही, उसे मंत्री जी न मानें, लेकिन कल माननीय न्याय मंत्री जी को तसलीम करना पड़ा था कि उनके सारे साथी हमारी

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

जैसी बात ही कहने लगे थे एक श्री रामेश्वर प्रसाद जी को छोड़ कर, जो शायद कोई उम्मीदवार हों, क्योंकि इस समय दस्तखत कंपेन बड़ी जोर से चल रहा .....

श्री अधिष्ठाता---यह तो रेलीवेंट नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, जो जवाब उन्होंने दिया मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं। अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं और न रिपीटीशन कर रहा हूं। जो मुक्तिनाथ राय जी ने कहा उसे कर दीजिये। पुराने प्रतिनिहित विधायन कमेटी के चेयरमैन बुजुर्ग मदनमोहन जी वर्मा ने जो कहा, उनकी बात मानिये। पुराने वकील जगदीशरण जी अग्रवाल हैं उनकी बात मानिये। आप गोविन्द सिंह और मोतीलाल अवस्थी की बात न मानिये। जिनके बूते पर आप खड़े हैं वे सब हमारी बात कह रहे हैं। आप अपनी बात किस तरह जस्टीफाई करते हैं। श्री गोविन्दवल्लभ पन्त और श्री भूलाभाई देसाई जब पार्लियामेंट में लड़ते थे तो तत्कालीन अंग्रेज वित्त मंत्री श्री जेम्स ग्रिग उनसे यही बात कहते थे। कहावत ठीक है कि "पावर मेक्स...." मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। श्रीमन्, एक बात मंत्री जी ने कही, जनसंघ के बारे में उनका मतलब था कि अगर हमारी बात सही होती तो ४०० के हाउस में हम लोग १६ न होते। श्रीमन् उनको जानना चाहिये कि पिछले आम चुनाव के २, ३ महीने पहले जनसंघ की स्थापना हुई थी फिर भी हमने यहां एक सीट पायी। और इसी सरकार के कामों से हम एक की जगह १६ हो गये हैं, १६ गुने बढ़ गये हैं। और जब से यह कोर्ट फीस बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसका असर यह हुआ कि अफजलगढ़ में जिसके बगल में ही हम कुछ पहले हारे थे, वहां अब की बार जीते हैं। जब वहां के लोगों ने सुना कि टैक्स बढ़ गये हैं और उसकी शोहरत हुई तो उसका असर यह हुआ कि हम जनसंघ वाले जीत गये। और आइन्दा बराबर यही हुआ करेगा।

श्रीमन् मेरी इल्तजा है कि आप गरीबों को छोड़ दें। आप इसमें बड़ों को पकड़ें, टाटा, बिड़ला और सिंहानिया से रुपया लें। जिनके बड़े दावे होंगे उन पर आप रहम कर रहे हैं। गरीब के ऊपर प्रपोर्शनेटली क्यों ज्यादा बोझ पड़ रहा है? वैसे तो मैं बड़े वकीलों की तारीफ करता हूं, लेकिन मैं श्रीमन्, छोटी जगह से आया हूं और जानता हूं कि हमारे यहां तो ज्यादा फीसदी मुकदमे सच्चे ही होते हैं। मुझे तो झूठे मुकदमे देखने में ज्यादा आये नहीं। ज्यादा मुकदमे होने का मुख्य कारण और है, यह जो आप गलत कानून बनाते हैं हेस्टी लेजिस्लेशन बनाते हैं, उसका ही यह नतीजा है। सामान्य प्रशासन की १९५५ की जो रिपोर्ट छपी है उसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि उस वर्ष जमींदारी उन्मूलन कानून के कारण अधिक मुकदमे दायर हुए। आज आपने कानूनों का जाल क्या जंजाल बना दिया है और इतने कानून हैं कि अगर कोई सब कानून जाने तो उसके एक-एक मिनट के काम के लिए वह कानून के चंगुल में फंस जायगा।

अन्त में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कानून के अन्दर गरीब और अमीर को बराबरी का हक मिलना चाहिये। लेकिन आप कोर्टफीस का एक्जारबिटेंट रेट्स लगा कर गरीबों और अमीरों में बड़ा गहरा मतभेद उत्पन्न कर रहे हैं। कांस्टीट्यूशन हमारा कहता है कि हर एक आदमी को कानून के अन्दर ईक्वलिटी प्राप्त होनी चाहिये। उसके अन्दर एक मारल फोर्स है लेकिन माननीय मंत्री जी उस सिद्धान्त को खत्म कर रहे हैं, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। गरीब और अमीर के भेद को बढ़ा रहे हैं। गरीब बेचारा कोर्ट में जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है।

यह कहा गया कि वकील लोग ज्यादा फीस लेते हैं। शायद उनको अपना तजुर्बा हो लेकिन मैं अपनी तरफ की बात कहता हूं कि हर वकील में ऐसी बात नहीं है। इतनी बात तो मैं मंत्री जी की जरूर तसलीम करता हूं कि जरूर कुछ लोग ज्यादा लेते हैं तो वह भी आपकी ही

तरफ के वकील ज्यादा लेते हैं, विरोधी पार्टी के वकीलों को वह भी ज्यादा नहीं मिलता। आप अपनी तरफ तो पहले देख लीजिये फिर दूसरे के लिये कहिये।

"Those who live in glasshouses should not throw stones on others." तो गरीबों को बचाइये, शहरों और देहातों दोनों में गरीब भी रहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामस्वरूप यादव--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस विषय के ऊपर जो कि आम बहस में बातें कहनी चाहिये थी वह एक संशोधन के ऊपर माननीय गोविन्द सिंह जी और श्री अवस्थी जी की नसीहतों को सुनने का मुझे मौका मिला। वैसे तो हमारे साम्राज्यवादी आस्थाओं में विश्वास रखनेवाली पार्टी के उपनेता आज गरीबों की बातें करते हैं और वही बात अवस्थी जी कहते हैं यह बात हमारी समझ में नहीं आती। हमारे गोविन्दसिंह जी को गरीबों की हड्डियां ही दिखाई पड़ती हैं क्योंकि राजा लोगों को तो उनको कभी सरसब्ज होते देखना पसन्द नहीं। लिहाजा जो पुराना सपना है उनको दिन में भी दिखलाई देता है।

श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)--इससे कोर्ट फीस बिल का क्या ताल्लुक है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जो उधर से कहा गया है उसी का जवाब है।

अवस्थी जी ने बहुत बड़ी नसीहत हमको दी। वह नसीहतें बहुत देते हैं जिसको बहुत ध्यान से सुनने की चेष्टा करता हूं [किन्तु मैं कभी समझ नहीं पाता हूं। मैं छात्र की तरह उनको चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पाता कि वह क्या कहते हैं। शायद उनको कचहरियों का अनुभव नहीं है उनको छात्रों को पढ़ाने का ही अनुभव है। अब मैं उन सज्जनों को आपके द्वारा इस बात की चुनौती देता हूं कि वे कोई भी आंकड़े बतावें जो इस प्रदेश में कोर्टफीस की वजह से कचहरी के दरवाजे से लौट आया हो ? कोर्ट फीस से ज्यादा वकील अपनी फीस लेते हैं इसके बारे में इस बात की चुनौती देता हूं कि कोई मेरी इस कही हुई बात के खिलाफ साबित कर दीजिये जहां तक छोटी मालियत के केसेज का सम्बन्ध है। विष्ट जी ने यह कहा कि कांग्रेसी वकील ज्यादा फीस लेते हैं तो फिर ज्यादा फीस लेने का असर उनके ऊपर पड़ेगा इससे उनको परेशानी नहीं होनी चाहिये। श्रीमन्, मुझे बड़ा दुःख होता है जब राजाओं के हिमायती लोगों की ओर से गरीबों की दुहाई दी जाती है। जो बढ़ोत्तरी हुई है वह इस प्रकार से हुई है। १०० रुपये से २०० रुपये तक साढ़े बारह प्रतिशत, २०० रुपये से ३०० रुपये तक १५ प्रतिशत, ३०० रुपये से ५०० रुपये तक १८ प्रतिशत, ५०० रुपये से १,००० रुपये तक २५ प्रतिशत, १,००० रुपये से १०,००० रुपये तक २९ प्रतिशत, १०,००० रुपये से ५०,००० रुपये तक ८७ प्रतिशत, और ५०,००० रुपये से १,००,००० रुपये तक ९४ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय गोविन्द सिंह जी को तो शिकायत होनी चाहिए कि राजा लोगों को आगे झगड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत ज्यादा फीस देनी होगी। हमारे अवस्थी जी बिला वजह की शिकायत करते हैं। एक ओर तो वे कहते हैं कि क्लर्कों की तनख्वाह बढ़ाना चाहिये, तनख्वाह कम मिलती है इसलिये वे रिश्वत लेते हैं, इमारत बनाने के लिये रुपया चाहिये। अब यह रुपया कहां से आयेगा ?

मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि कोई इस बात को साबित कर दे कि कोई व्यक्ति कोर्ट फीस न देने की वजह से मुकदमा दायर न कर सका। यह ठीक है कि मुकदमा दायर करने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। यह नहीं कि बहुत से झूठे मुकदमे भी दायर होने लगें। माननीय गोविन्द सिंह जी ने कहा कि उनके यहां झूठे मुकदमे होते ही नहीं। किस की ओर से ? मुद्दई की ओर से या मुद्दाले की ओर से ? वकील दोनों ही करते हैं। अगर मुद्दई सच है तो मुद्दाले अवश्य झूंठा होगा। उसको मुकदमा नहीं लड़ना चाहिये और मान लेना चाहिये।

[श्री रामस्वरूप यादव]

एक बात और कही गयी कि ऐसे मुकदमे बढ़ने के कारण कहा जाता है कि आमदनी बढ़ गयी है। लेकिन सच बात यह है कि जिस वक्त से हमारी आय बढ़ी है उस वक्त से मुकदमे बहुत ज्यादा हो गये हैं। हमारे किसान भाई इस बात को बरदाश्त नहीं कर सके कि वह रुपया जो बचता है उसको बचत करके रखते। जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, अगर वे सही तरह से देश की भलाई करना चाहते हैं, गरीबों और किसानों की भलाई करना चाहते हैं तो उनको चाहिये कि लोगों में यह प्रचार करें कि वे मुकदमा न लड़ें। इससे कई फायदे होंगे। गरीब लोग बच जायेंगे। सरकार को कोर्ट फीस न मिलेगी और उसकी वजह से यह सरकार भी फेल हो जायगी।

जिक्र किया गया कि पिछले दिनों में भी कानून भंग किये गये। लेकिन वे आजादी प्राप्त करने के लिये भंग किये गये, समाज में अव्यवस्था पैदा करने के लिये भंग नहीं किये गये। इसलिये नहीं किये गये कि पंचवर्षीय योजना का काम न चल सके, ऐसी व्यवस्था हो जाय कि लोगों को परेशानी हो जाय। वह कानून भंग किया था उन लोगों ने देश की आजादी के लिये और उन लोगों ने जिनको अपने देश से प्रेम था। वह कानून भंग करने की बात नहीं थी। वह देश की आजादी की बात थी। अगर आप आज चाहते हैं कि जनतंत्र कायम रहे तो आपको कानूनों का आदर करना चाहिये। बहुमत से बनाये गये कानून का आदर करना चाहिये इन शब्दों के साथ में जो संशोधन पेश किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ३ के नये उपखंड (१) के तीसरे कालम में निम्नांकित संशोधन किये जांय :

(*a*) लाइन ९ व १० के शब्द "and twenty-five" निकाल दिये जायं।

(*b*) लाइन १८ में "fifty" के स्थान पर "twenty-five" शब्द रखे जायं। पंक्ति ३७, ३८ व ३९ में से शब्द "and twenty-five naye paise" निकाल दिये जायं।

(*c*) इसी खंड (३) के कालम ३ के आखिरी पैराग्राफ की आखिरी लाइन व विधेयक के पृष्ठ (३) में शब्द "twelve rupees" के स्थान पर शब्द "ten rupees" रखा जाय।

पृष्ठ ३ पर छपे कालम (३) के दूसरे पैराग्राफ में "twenty rupees" के स्थान पर "nineteen rupees" शब्द रखें जायं।

विधेयक के खंड (३) के उपखंड २, ३, ४, ५, व ६ निकाल दिये जांय।

उपखंड (७) में दी अनुसूची (schedule) में प्रारम्भ से अंक ९००–१,००० १४२-८-० तक को मूल अधिनियम की सारिणी के अनुसार रहने दिया जाय, पृष्ठ ७ व उससे आगे दी गयी अनुसूची १,०००–१,१००, १८९·५० से लेकर पृष्ठ ९ के अन्त तक ५ विधेयक के अनुसार ही रहने दी जाय, केवल पृष्ठ ९ के प्रारम्भ में शब्द "thirty-seven" के स्थान पर "fifty" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—अब माननीय अवस्थी जी का जो संशोधन है उसको मैं सदन के सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित अनुच्छेद (Article) (१) के कालम ३ की पंक्ति ८, ९ व १० के शब्द "One rupee and twenty-five naye paise" के स्थान पर "One rupee"

तथा

उसी कालम की पंक्ति १७, १८, व १९ के शब्द "one rupee and fifty naye

paise" के स्थान पर शब्द "one rupee and twenty-five naye paise" रख दिय जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पश करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित अनुच्छेद (Article) १ क अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय :

"Provided that the maximum fee leviable on a plaint or memorandum of appeal shall be fifteen thousand rupees".

श्री अधिष्ठाता—नम्बर ५ पर श्री मोतीलाल अवस्थी जी का एक संशोधन रह गया है, उसको अभी मैं सदन के सामने रख देता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२), (३), (४), (५), (६) व (७) निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । श्री मोतीलाल अवस्थी का संशोधन उपखंड (२), (३), (४), (५), (६) व (७) सबके लिये है और अभी खंड ३ के उपखंड (१) पर ही संशोधन चल रहा है, इसलिये उसको तो बाद में आगे चल कर लेना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—ऐसी कोई बात नहीं है । ऐसा हो सकता है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस आधार पर अपने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है कि ओरिजिनली १२,५०० पये की मैक्जिमम लिमिट थी लेकिन आज की व्यवस्था के अनुसार उसकी लिमिट बहुत ज्यादा यानी ३७,९०७ रुपये ५० नये पैसे हैं जो बहुत ज्यादा मालूम होती है और इससे एक भ्रम भी पैदा हो सकता है । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इसके बजाय १५,००० ० को मैक्जिमम लिमिट रख दी जाय । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विधान सभा की कार्यवाही हिन्दी में होनी चाहिये, लेकिन संशोधन द्वारा जो नये शब्द बढ़ाये जा रहे हैं ये अंग्रेजी में हैं । पुराना ऐक्ट तो अंग्रेजी म ह, लकिन नये शब्द जो संशोधन द्वारा बढ़ाये जा रहे हैं वे अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में होने चाहिये । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता—चूंकि ऐक्ट अंग्रेजी में है तो उसका संशोधन भी अंग्रेजी में ही होगा । इसीलिये यह संशोधन अंग्रेजी में रखा गया है । अगर ओरिजिनल ऐक्ट हिन्दी में होता तो संशोधन भी हिन्दी में रखा जाता । यह संशोधन ठीक है ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के अनुसार संशोधन ३६ घंटे पहले आना चाहिये, उसके बाद यदि विरोधी दल की तरफ से कोई संशोधन आता है तो वह नहीं लिया जाता है और सरकारी पक्ष से कोई संशोधन बाद में भी आता है तो ले लिया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता—यह तो स्पीकर को अधिकार है कि वह उसको एलाऊ कर सकता है । आपकी तरफ से भी अक्सर ऐसे संशोधन आखिरी वक्त पर आते हैं । एक घंटा, आध घंटा पहले संशोधन आते हैं और व एलाऊ होते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आपकी व्यवस्था पर कुछ नहीं कहता लेकिन अभी परसों व्यवस्था दी गयी है कि ये संशोधन जभी आ सकेंगे जब हाउस को एसेंट मिल जाय। स्पीकर के डिस्क्रिशन पर नहीं रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—परसों जो स्पीकर साहब की रूलिंग थी उसकी ओर मैं श्री अधिष्ठाता महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। व्यवस्था अध्यक्ष महोदय ने यह दी थी कि वही संशोधन चाहे सरकारी हो या गैर-सरकारी हो, लिया जायगा जिसके बारे में हाउस सर्वसम्मत हो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाय।

श्री अधिष्ठाता—उनके कहने का मतलब हो सकता है कि अगर मिनिस्टर साहब एक्सेप्ट कर लें और उनको संशोधन पर एतराज न हो तो वह संशोधन लिया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप तो स्वयं जानते हैं कि माननीय अध्यक्ष इस सदन में किसी मिनिस्टर या किसी दूसरे सदस्य के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। मिनिस्टर भी सदस्य की हैसियत से बैठते हैं जैसे दूसरे सदस्य बैठते हैं। इसलिये संशोधनों को स्वीकार करने के लिये उन्होंने एक ही नीति अपनायी है। मुझे आशा है कि माननीय अधिष्ठाता भी उसी नीति को अपनायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—माननीय तिवारी जी काफी समय से इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे हैं। अगर उनके कथनानुसार व्यवस्था कायम की जाय तो फिर काम कैसे चलेगा। उस में तो वोटिंग हो जायगी। फिर क्या सवाल रह जाता है?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा रखे गये संशोधन का विरोध करता हूं। अब तक जो मैक्जिमम कोर्ट फीस लगती थी वह थी ३७,९०७ रुपये ५० नये पैसे और अब कांग्रेस व्हिप माननीय नरेन्द्र सिंह बिष्ट जी यह चाहते हैं कि इसको घटा कर १५,००० रुपये कर दिये जायं.....

श्री सैयद अली जहीर—मैं एक बात कह दूं कि अगर माननीय मित्रों का इस पर एतराज हो तो इस संशोधन को वापस लिया जा सकता है। उधर से ही माननीय मित्रों को यह एतराज था कि बहुत ज्यादा कोर्ट फीस बढ़ाई जा रही है, अगर वे चाहते हैं कि हम न घटायें तो हमको कोई एतराज नहीं है। आप कह दें कि हम नहीं चाहते हैं तो फिर इसके लिये प्रेस नहीं किया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—मैं इतना अर्ज कर दूं कि एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमारे एक्सचेकर में पया ज्यादा होना चाहिये। १ रुपये की जगह सवा रुपया फीस वे करना चाहते हैं.....

श्री अधिष्ठाता—अभी जो स्पीच आप दे रहे थे उसी का यह असर पड़ा कि ३७ हजार से घटा कर १५ हजार कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—यह शायद आपके बैठने का प्रभाव है, मेरी वजह से तो असर जैसा पड़ना था वह पड़ चुका था, लेकिन आपका भी प्रभाव पड़ा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि आर्ग्युमेंट चाहे जो कुछ दिया जाय लेकिन माननीय मंत्री जी अब बुरे फंस गये। एक तरफ तो पब्लिक एक्सचेकर के लिये वे ज्यादा रुपया चाहते हैं और उससे चाहते हैं जिसके पास खाने को कुछ नहीं और पहनने को सिवा लंगोटी के कुछ नहीं, उस पर टैक्स बढ़े। दूसरा तर्क वे सेठों के बड़े दामों पर फीस कम कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—जिसके पास कुछ नहीं होगा वह तो माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये पेज ए पापर सूट फाइल करेगा।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--श्रीमन्, छोटा किसान जिसके पास कोर्ट फीस लगाने को नहीं होती है जब कहीं वह अपने बैल भी बेच देता है तो गरीबी के कारण वह दावा भी नहीं कर सकता है। यह ३० हजार पर दावे किस के होंगे ? क्या गरीबों के होंगे ? किसान के होंगे ? ३० हजार तो उसके खेत में गेहूं के दाने भी नहीं होते। शान्ति प्रसाद जैन को ब्रायलर खरीदने के लिये १० करोड़ और दिया जा रहा है। यह सरमायेदारों की सरकार है, इससे स्पष्ट हो गया कि क्या रहस्य है ? जिनके पास रुपया है, जो टैक्स दे सकते हैं उनका पक्ष किया जाय, यह सरकार की मंशा है। जो गरीब है, कुछ नहीं कर सकता बेचारा, उसके ऊपर बढ़ाया जाय। इसलिये यह सरकार जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का नारा दे रही है वह गलत है। मैं इसलिये कह रहा हूं कि इस संशोधन से सरकार का पर्दाफाश होता है। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि इसे वापस ले लेंगे। मेरा प्रस्ताव है कि ३७ ० ५० नये पैसे नहीं ५० रुपया करें क्योंकि ऐसा करने से थोड़े दावों में भी बहुत कोर्ट फीस हो जायगी। लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है--क्योंकि अगर टाटा, बिड़ला, डालमिया नाराज हो गये तो इलेक्शन के लिये चंदा कहां से मिलेगा ....

श्री सैयद अली जहीर--जनसंघ के राजा से।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--गिन लें कितने राजा आपकी तरफ हैं और कितने हमारी तरफ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय विष्ट जी यह तो आपके पक्ष की बात है, आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--मान्यवर, मंत्री जी को अपना कसूर कुछ नहीं दिखाई देता, दूसरे का दिखाई देता है। हमारी पार्टी के सदस्य एक राजा थे उनका सब कुछ ले लिया और आपके राजाओं के पास ५, ५ हजार एकड़ के तराई भावर में फार्म जो हैं उनको कोई नहीं छूता, वहां कुमायूं जमींदारी अबालीशन कानून भी लागू नहीं होगा। जब चीनी २९ रुपये मन थी तो गन्ने के दाम १ रुपये ४ आना थे और जब चीनी की कीमत ४० रुपये हो गई तो भी गन्ने की कीमत १ रुपये ५ आना रक्खी गई ....

श्री अधिष्ठाता--आप असंगत हो रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--यह सरकार सरमायेदारों की है और समाजवाद का गलत नारा लगाते हैं यह इससे स्पष्ट होता है। मैं कहूंगा मंत्री जी ३० हजार से ऊपर कोर्ट फीस बढ़ायें; ३७ रुपये ५० नये पैसे की जगह ५० रुपये करें।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी के शब्दों का स्वागत करता हूं जो उन्होंने कहा कि अगर इसका विरोध किया जायगा तो वह वापस ले लेंगे। श्रीमन्, आप देखेंगे १५,००० रुपये पहले २,००,००० रुपये पर था। और यदि यह मान लिया जाय कि मैक्सिमम लिमिट १५,००० पये हुई, तो १५,००,००० रुपये पर अब ३७,००० रुपये है इसके माने यह हैं कि २,००,००० रुपये के ऊपर के जितने मुकदमे होंगे उन सब में सब को लाभ होगा। २, ३, ४, ५ लाख वाले जितने मुकदमे होंगे पूंजीपतियों के होंगे। अतः नरेन्द्र सिंह विष्ट जी का संशोधन ग्राह्य नहीं होना चाहिये। मैं इसके लिये मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्रीमन्, आप क्षमा करें, कभी-कभी आपके द्वारा भी कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमें सदस्य की हैसियत से खटक जाते हैं। जब माननीय विष्ट जी बोल रहे थे तो आपके यह शब्द थे कि यह तो आपके पक्ष की बात है आप विरोध क्यों करते हैं, यह शब्द इधर से कहने चाहिये.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवस्थी जी मैं अपने कर्त्तव्य को अच्छी तरह समझता हूं। मगर एक ह्यूमर की बात थी इसलिये मैंने कहा। वह चाहते हैं कोर्ट फीस में रिडक्शन हो और वह रिडक्शन कर रहे थे। इसलिये मैं कह रहा था कि यह तो आपके पक्ष की बात है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—लेकिन श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा है, मानता हूं कि कहा है, लेकिन अन्त तक वह कहते रहेंगे इसमें शक है। क्योंकि हाउस के अन्दर यह तो टैक्टिक्स होती हैं। मैंने उस पक्ष से बड़े फिरोशस, बड़ी भयंकर गूंज देने वाले भाषण सुने हैं और बड़े स्पष्ट शब्दों में सुने हैं, लेकिन जब विभाजन का समय आता है तो लोग तटस्थ हो जाते हैं या गैर-हाजिर हो जाते हैं, विरोध करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तो उसी आधार पर मैं मंत्री जी के आफर का स्वागत करता हूं। हम नहीं चाहते कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों को यह सुविधा मिल जाय कि २ लाख के दावे में वही फीस पड़े और ५ लाख में भी वही पड़े। बल्कि उन्हें तो पये की जरूरत है, हम तो उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि जिनके पास अन्याय द्वारा प्राप्त पया हो वह उनसे लेकर गरीब के पक्ष में लगाया जाय। यह मैं नहीं कहता कि अदालतों के बनने के पक्ष में हो, बल्कि जनता के किसी वेलफेयर के कार्य में खर्च हो तो उचित होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि संशोधन माना नहीं जायगा।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि अभी मेरे विरोधी दल के पूर्व वक्ता ने उसका विरोध किया तो मैं उसको वापस लिये लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पूरे खंड ३ का विरोध करता हूं। विरोध करने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा एक संशोधन इसी के सम्बन्ध में है, वह उस में शरीक कर लिया जायगा, वह गलती से १३ नम्बर पर छप गया है, लेकिन खंड ३ के ही साथ है।

श्री अधिष्ठाता—आपका मतलब अनुसूची से है ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जी हां।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है, पहले आप इसी पर बोलिये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस टैक्स की बढ़ोत्तरी के सिलसिले में ही मेरा विरोध है। मुझे यह सुनकर दुःख हुआ जब न्याय मंत्री जी ने यह कहा कि जुआ खेलने के लिए, किसी को दबाने के लिए मुकदमा दाखिल किया जाता है और यह भी कहा कि मुकदमे के शौकीन लोग ज्यादा मुकदमा लड़ते हैं, इसलिए टैक्स बढ़ाने में जनता पर असर नहीं पड़ेगा। यह भी कहा कि अगर मुकदमे कम दाखिल हों तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि कोर्ट फीस कम की जाय। मैं आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस सरकार की नीयत नहीं है कि मुकदमे कम दायर किये जायं। ११ वर्ष के शासन के बाद अगर देश के लोगों की नैतिकता और सोचने का ढंग इसी प्रकार का है कि मुकदमा इसलिए दाखिल किया जाय कि दूसरे को परेशानी उठानी पड़े, या जिसका उचित हक है वह न मिल सके, तो श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। इस भावना का सृजन करने और जन्म देने का श्रेय इसी सरकार को है। अगर श्रीमन्, आप चाहते हैं कि न्याय सस्ता मिले, कोर्ट फीस न देनी पड़े, या नैतिक स्तर न गिरे तो क्यों नहीं इन पंचायतों का निर्णय अपने मुकदमों में मान लें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी दरख्वास्त जो आदमी चाहे फौजदारी के सिलसिले में या अन्य प्रकार की हो दे, सादी दरख्वास्त देने पर प्रार्थी के पास यह सूचना तक नहीं जाती कि उसकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दरख्वास्त खारिज हो गयी या वह दरख्वास्त कहां है। तो कैसे आप सस्ता न्याय दिला सकेंगे? जब बिना कोर्ट फीस दिये हुये कोई सुनवाई नहीं होती तो मजबूरन उसे लड़ना पड़ता है। आपकी कोर्ट्स की जो यह प्रणाली है यह अंग्रेजों के जमाने की है और मैं समझता हूं कि १८७० का पुराना ऐक्ट भी है। उनकी मन्शा यह नहीं थी कि हमारा और आपका नैतिक स्तर ऊंचा हो और इसी आधार पर एक आदमी को अधिकार है कि वह झूठा मुकदमा दायर कर सकता है और एक आदमी झूठी गवाही दे सकता है और जिसके खिलाफ दावा दायर किया जाय उसको सफाई देने का हक तो है ही। लेकिन बाद में तीनों छूट जाते हैं और तीनों बरबाद हो जाते हैं। तो कोर्ट में झूठ बोलने की आजादी है, सच बोलने का कोई महत्व नहीं है। आजकल आपस में बातचीत के दौरान में लोग कह देते हैं कि यह कोई कोर्ट नहीं है जो झूठ बोलते हो। इसका मलतब यह है कि कोर्ट केवल झूठ बोलने के लिये बना हुआ है। इसके अलावा जैसे आपकी कोर्ट फीस बढ़ेगी उसी अनुपात में रिश्वत बढ़ेगी, वकीलों और मोहर्रिरों का मेहनताना बढ़ेगा।

अभी एक संशोधन आया तो मंत्री जी ने जनसंघ के नेता साहब के प्रति इशारा करते हुये बड़े जोरों से कहा कि यह तो आपके माफिक है। देहात के लड़ने वाले सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिये कानून ऐसा होना चाहिये जिसको प्रत्येक आदमी समझ सके। आपकी आज्ञा से मैं थोड़ा पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता—मैं गिलोटिन अप्लाई करने जा रहा हूं इसलिये आप उसे पढ़ें नहीं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—बहुत अच्छा। इसमें दिया हुआ है कि १०० रुपये तक फलां अनुपात से लगेगा और १०० रुपये से ऊपर इस अनुपात से लगेगा। जैसे इसमें है कि १०० तक फी ५ पये पर ८ आने। १०० पये से अधिक होगा तो १० पये पर सवा पया। मैं कहता हूं कि आप ऐसा कानून लाइये जिसे गंवार से गंवार आदमी भी समझ ले। इसमें मुझे भय है कि जब किसी मुकदमा दाखिल करने वाले से कोर्ट फीस चार्ज किया जायगा तो उसकी समझ में नहीं आयेगा। अगर एक हिसाब से टैक्स लगायें तो मालूम भी हो कि एक ढंग है। इसमें १०० पर १० प्रतिशत के हिसाब से है, बीच में १५ प्रतिशत के हिसाब से है और ५०० से १,००० तक साढ़े २२ प्रतिशत और फिर १,००० से ५,००० तक घटती है। तो बीच में घटने बढ़ने का सवाल नहीं आना चाहिये। आप एक ही अनुपात से देखें और उसी के आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि हमारा जो संशोधन है उसको भी ले लें.....

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया। अब माननीय ब्रजनारायण तिवारी जी का संशोधन इस प्रकार है कि.....

श्री ब्रजनारायण तिवारी—श्रीमन्, इसमें गलत छप गया है १ रुपये के स्थान पर १० होना चाहिये और १० पये के स्थान पर १ रुपया होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (७) में प्रस्तावित अनुसूची को निम्न रूप में रख दिया जाय:—

१	२	३	१	२	३
रुपये	पये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१	१०	१	१००	२००	२०
१०	२०	२	२००	४००	४०
२०	३०	३	४००	८००	८०
३०	४०	४	८००	१,०००	१००
४०	५०	५	१,०००	२,०००	२००

[श्री अधिष्ठाता]

१	२	३	१	२	३
५०	६०	६	२,०००	४,०००	४००
६०	७०	७	४,०००	६,०००	६००
७०	८०	८	६,०००	८,०००	८००
८०	९०	९	८,०००	१०,०००	१,०००
९०	१००	१०	..	..	..

और आगे प्रति सैकड़ा १०,००० से १,००,००० तक १५ रुपये प्रति सैकड़ा तथा १,००,००० से आगे २० रुपये प्रति सैकड़ा रहेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि पृष्ठ ७ में छपी पूरी.....५०५० से लेकर ९१०, ९१०, १५९, ५० तथा पृष्ठ ८ पर छपी ९९९, १०००, १७७.५० शब्दों तक छपी अनुसूची निरसित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

* * * *

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की अनुसूची २ का संशोधन।

४---मूल अधिनियम की सूची २ (Schedule II) में---

(१) अनुच्छेद १ के खंड (ए) से (डी) तक में शब्द "twenty-five naye paise", "one rupee", "two rupees" तथा "three rupees and seventy-five naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "fifty naye paise", "one rupee and twenty-five naye paise", "two rupees and fifty naye paise" तथा "five rupees" रख दिये जायं।

(२) अनुच्छेद १ के खंड (ई) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"Application or petition	(e) When presented to a High Court—	
	(1) under the Indian Companies Act, 1956, for the winding up of a company;	one hundred rupees.
	(2) under Article 226 of the Constitution for a writ other than a writ in the nature of Habeas Corpus;	one hundred rupees.
	(3) for probate or letters of administration to have effect throughout India;	twenty-five rupees.

(4) under section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908, for revision of an order; and	ten rupees.	
(5) in any other case not otherwise provided for.	five rupees"	

(३) अनुच्छेद १ के खंड (एफ) में शब्द "two rupees" और "three rupees and seventy-five naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "two rupees and fifty naye paise" तथा "five rupees" रख दिये जायं ।

(४) अनुच्छेद ५ में शब्द "one rupee" के स्थान पर शब्द "two rupees" रख दिये जायं ।

(५) अनुच्छेद १० में—

(क) प्रथम स्तम्भ में शब्द "Mukhtar nama or vakalatnama" के स्थान पर शब्द "Mukhtarnama, Vakalatnama or any paper signed by an advocate signifying or intimating that he is retained by a party." रख दिये जायं; और

(ख) तीसरे स्तम्भ में शब्द "one rupee", "two rupees" तथा "three rupees and seventy-five naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and twenty-five naye paise", "two rupees and fifty naye paise" तथा "five rupees" रख दिये जायं ।

(६) अनुच्छेद ११ में शब्द "one rupee", "two rupees and fifty naye paise" तथा "three rupees and seventy-five naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and fifty naye paise", "three rupees" तथा "five rupees" रख दिये जायं ।

(७) अनुच्छेद ११ के पश्चात् निम्नलिखित को अनुच्छेद ११-ए के रूप में बढ़ा दिया जायः

"11-A. Memorandum of Appeal under section 39 of the Arbitration Act, 1940.	(*a*) When the appeal is from an order in a case where the value for purposes of jurisdiction does not exceed five thousand rupees ;	fifteen rupees.
	(*b*) if any other case.	one hundred rupees"

(८) अनुच्छेद १७ में—

(क) तीसरे स्तम्भ में खंड (१) तथा (२) के सामने शब्द "eighteen rupees and seventy-five naye paise" के स्थान पर शब्द "twenty-two rupees" रख दिये जायं; और

(ख) खंड (३) स (६) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं:

"(iii) to obtain a declaratory decree where no consequential relief is prayed in any suit, not otherwise provided for by this Act ;	(*a*) when the value of the suit or appeal, for purposes of jurisdiction, does not exceed one thousand ruppees ;	twenty-five rupees.
(iv) and (v) (deleted by U. P. Act XIX of 1938) ;	(b) when such value exceeds one thousand rupees but does not exceed five thousand rupees ;	fifty rupees.
(v) for relief under section 14 of the Religious Endowments Act, 1863 or under section 91 or section 92 of the Code of Civil Procedure, 1908 ;	(*c*) when such value exceeds five thousand—rupees but does not exceed; ten thousand rupees; and	on hundred rupees
	(d) when such value exceeds ten thousand rupees.	two hundred rupees
(vi) every other suit not otherwise provided for by this Act.		Provided that in a suit filed before a High Court unde rits original jurisdiction, the fee chargeable in all cases under this article shall be two hundred and fifty rupees."

(९) अनुच्छेद १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

'18. (i) Application under section 14 or section 20 of the Arbitration Act, 1940, or an application to set aside an award under the said Act.	(*a*) When the value of the subject -matter of the award does not exceed five thousand rupees ;	twenty rupees.
	(b) When such value exceeds five thousand rupees but does not exceed ten thousand rupees ; and	one hundred rupees
	(*c*) When such value exceeds ten thousand rupees.	two hundred rupees.
(ii) Other applications under the Arbitration Act, 1940.		twenty rupees".

(१०) अनुच्छेद १९ में शब्द "eighteen rupees and seventy-five naye paise" के स्थान पर शब्द "twenty-two rupees" रख दिये जायं ।

(११) अनुच्छेद २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

21 memorandum of Appeal under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936.;	thirty seven rupees and fifty naye paise."

(१२) अनुच्छेद २१ के पश्चात् निम्नलिखित को अनुच्छेद २१-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"21-A. Application or petition under the Special Marriage Act, 1954, or the Hindu Marriage Act, 1955.		thirty seven rupees and fifty naye paise".

(१३) अनुच्छेद २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"22. Election petition questioning the election of any person,	(*a*) as a President, Chairman or Mayor of a Municipal Board, District Board, Corporation or any other local body except those mentioned in clause (*c*);	one hundred and fifty rupees.
	(*b*) as a member of a Municipal Board, District Board, Corporation or any other local body except those mentioned in clause (*d*) ;	one hundred and twenty-five rupees
	(*c*) as a President or Chairman of a Notified or Town Area Committee ;	fifty rupees.
	(*d*) as a member of a Notified or Town Area Committee.	twenty-five rupees"

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड ४ के उपखंड (१) की लाइन ५ व ६ में "and twenty-five naye paise" and "fifty naye paise" क्रमशः निकाल दिये जायं तथा शब्द "five" के स्थान पर "four" शब्द रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित भाग (ई) के अंश (२) में शब्द "one hundred rupees" के स्थान पर शब्द "five rupees" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) में प्रस्तावित अनुच्छेद १ के खंड (ई) के भाग (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(2) Under article 226 of the Constitution, not being for a writ in the nature of Habeas Corpus, or under Article 227 of the Constitution ;

fifty rupees."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ४ की प्रस्तावित अनुसूची (२) (Schedule के उपखंड (१) से उपखंड (७) तक निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि---खंड ४ के उपखंड (८) के भाग (क) की पंक्ति ३ में शब्द "Twenty- two rupees" के स्थान पर शब्द "twenty rupees"

तथा

भाग (ख) के प्रतिबन्ध की अन्तिम पंक्ति में शब्द "two hundred and fifty rupees" के स्थान पर शब्द "two hundred rupees" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ४ की प्रस्तावित अनुसूची २ (Schedule II) के उपखंड (८), (९), (१०), (११) निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि नये अनुच्छेद ११ ए के कालम ३ में "fifteen" के स्थान पर "ten" शब्द रक्खा जाय तथा शब्द "one hundred" के स्थान पर "fifty" शब्द रक्खा जाय ।

उपखंड (८) में जो अंग्रेजी में तीन कालम में इबारत छपी है उसमें तीसरे कालम में शब्द "Twenty-five rupees", "fifty rupees", "one hundred rupees" व "two hundred rupees" के स्थान पर "twenty rupees", "thirty rupees", "fifty rupees" "one hundred rupees" रक्खे जायं ।

उपखंड (९) के तृतीय कालम में क्रमशः शब्द "twenty-five", "one hundred", "two hundred", "twenty" के स्थान पर शब्द "fifteen", "fifty", "one hundred", "fifteen" रक्खे जायं ।

उपखंड (११) व (१२) में जहां-जहां शब्द "thirty-seven rupees and fifty naye paise" आया है वहां पर "fifty rupees" रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१२) में प्रस्तावित धारा २१-ए के कालम ३ में शब्द "thirty-seven rupees and fifty naye paise" के स्थान पर शब्द "twenty rupees"

तथा

उपखंड (१३) के कालम (३) में शब्द "one hundred and fifty rupees ; one hundred and twenty-five rupees ; fifty rupees" तथा "twenty-five rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "hundred rupees"; "fifty rupees"; "twenty rupees", तथा "ten rupees" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१३) में शब्द "one hundred and fifty rupees," "one hundred and twenty-five rupees", "fifty rupees", तथा "twenty-five rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one hundred and twenty-five, rupees" "one hundred rupees," "twenty-five rupees" तथा "fifteen rupees" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित अनुसूची २ (schedule II) का उपखंड (१३) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२६,
विपक्ष में--७०।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८

कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधित करने का — ऐक्ट सं० ७, १८७०।

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० में और संशोधन किया जाय, — ऐक्ट सं० ७, १८७०।

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

१-(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित करे।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप यादव--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि इस विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था यह चाहता हूं कि जो आपने गिलोटिन अप्लाई किया वह तो शिरोधार्य है, लेकिन इसमें मेरा संशोधन था उसको नहीं पढ़ा गया।

श्री अधिष्ठाता--सब पढ़ दिये गये, कोई नहीं रहा। आप बतलाइये कि कौन-सा संशोधन आप कहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन और नोटिफाइड एरिया के मेम्बरों पर जो फीस लगी है उसके सम्बन्ध में मेरा संशोधन था। वह १२ पेज पर नम्बर १३ (क) है।

श्री अधिष्ठाता---यह १३-क ले लिया गया है । जब माननीय ब्रजनारायण तिवारी बोल रहे थे तो उनका एक संशोधन खंड ३ को निकाल देने के लिये था । वह संशोधन अनुसूची पर था । आपने उसको सुना नहीं । मैंने वह संशोधन पढ़ा है और यह १३-क ले लिया गया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं तृतीय वाचन में इसका विरोध कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८†

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, प्रक्रिया नियमावली के पेज ३७ पर (घ) में यह लिखा हुआ है कि--"वे विधेयक जिनके संबंध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया जा चुका हो, को सापेक्ष पूर्वता शलाका द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे ढंग से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, निर्धारित की जायगी ।" तो व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कार्यसूची पर कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक पहले से है और उस पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन भी पहले प्राप्त हो चुका है और इस संबंध में यह कोई निर्णय नहीं लिया गया कि यह कृषि वाला पहले लिया जायगा और कुमायूं जमींदारी वाला बाद में । श्रीमन्, इस संबंध में शलाका से भी कुछ तय नहीं कराया गया और इसलिये सदन बाध्य नहीं है कि इसको पहले ही पास किया जाय । इसलिये जब तक शलाका न हो जाय तब तक इस पर विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री अधिष्ठाता---आपका मतलब क्या है, इस रूल को रेफर करने का ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---पहले तो बिजनेस कमेटी ने इसके लिये कुछ तय नहीं किया है कि कौन पहले लिया जायगा और कौन बाद में । और इसके अलावा कुमायूं जमींदारी वाले का प्रतिवेदन पहले आया है और इसका बाद में, इसलिये भी उसको पहले लिया जाना चाहिये । इस के अतिरिक्त पेज ३७ के नियम के हिसाब से इसके लिये शलाका होनी चाहिये जो नहीं हुई है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एजेन्डा पर पहले कैसे रख दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता---आप रूल १२४ को रेफर कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---जी हां ।

श्री अधिष्ठाता---वह तो सरकारी काम के लिये अप्लाई नहीं करेगा ।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (The U. P. Agricultural University Bill, 1958) पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, संयुक्त प्रवर समिति का जो प्रतिवेदन है वह हमारे सब के सम्मुख है । मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इस आदरणीय सदन की अनुमति से कि मैं उस समिति के सदस्य के रूप में कुछ सुझाव प्रस्तुत कर सकूं और मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जो ५ दिन का सीमित समय था उस सीमित समय में जो हमारी समिति के सभापति, माननीय मंत्री जी थे, उन्होंने उन सुझावों पर विचार करने की चेष्टा भी की । लेकिन मुझे

† १ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही में छापा गया ।

इस बात का खेद है कि जो प्रतिवेदित प्रतिवेदन है और उसमें जो बातें अभी स्वीकार की गयी हैं वैसे बहुत देर तक जिस विश्वविद्यालय की परिकल्पना हमने की थी, उस परिकल्पना को चित्रित करने में हम पूर्णतया सफल नहीं हुये हैं ।

श्रीमन्,अगर हम इस विधेयक को देखेंगे और जैसा यह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है उसको देखेंगे तो स्पष्ट होता है कि यह केवलमात्र एक कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक है । कृषि शब्द की परिभाषा जो इसमें लिखी हुई है वह उस शब्द की सामान्य परिभाषा से बहुत अधिक विस्तृत है । अगर आक्सफोर्ड डिक्शनरी को देखा जाय तो शायद इस शब्द की दूसरी परिभाषा निकलेगी ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यह केवलमात्र कृषि-विश्वविद्यालय नहीं है । यह सही मानों में एक नये प्रकार की विशिष्ट विषयों में शिक्षा-दीक्षा और रिसर्च कराने वाला और एक्सटेंशन कराने वाला विश्वविद्यालय है । इसलिये अगर इस विश्वविद्यालय को यह सदन ग्रामीण विश्वविद्यालय की रूपरेखा दे सके तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अधिष्ठाता—नारायणदत्त तिवारी जी, यह ग्रामीण विश्वविद्यालय क्या चीज है, उस पर भी जरा प्रकाश डालियेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, आपने स्वयं यह प्रश्न रख दिया । मैंने तो संयुक्त प्रवर समिति द्वारा जो संशोधन हुये थे उसी तक अपने को सीमित रखना चाहा था, लेकिन अब चूंकि यह प्रश्न आ गया है इसलिये मैं कहता हूं कि ग्रामीण विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के आखिरी अध्याय में इस विषय पर अच्छी तरह से प्रकाश डाल दिया गया है । ग्रामीण विश्वविद्यालय तो जैसा कि राधाकृष्णन कमीशन ने स्पष्ट किया है वह केवलमात्र कृषि की शिक्षा देने वाला कृषि-विश्वविद्यालय नहीं है, केवल ऐग्रीकल्चरल कालेज ही नहीं है, उसमें होम साइंस से लेकर कृषि-विज्ञान तक, मनोविज्ञान से लेकर फाइन आर्टस् तक, कानून विज्ञान यहां तक कि अमेरिकन लैंड ग्रांटस् कालेज में १८६२ में ही मिलिटरी ट्रेनिंग तक थी, यह सब रूरल यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं । ग्रामीण विश्वविद्यालय में ग्रामीण शब्द केवल इसलिये रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो किसानों की बेटी-बेटियां हैं उनको एक ग्रामीण बायस देकर, ग्रामीण क्षेत्र की एक विशिष्ट भूमिका देकर लोगों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध हो । तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की यही परिकल्पना होगी । उसमें एक ही विशिष्ट विषय की शिक्षा होगी एक कालेज के अन्दर, ऐसा नहीं कि एक कालेज के अन्दर १० विषयों की शिक्षा हो । इसमें एग्रीकल्चर का कालेज अलग, एनीमल हस्बैंडरी का कालेज अलग, साइंस का कालेज अलग, फाइन आर्ट्स का कालेज अलग, यानी सब कालेज अलग-अलग होंगे जो अपनी सीमा के अन्दर आटोनामस होंगे । यह परिकल्पना ग्रामीण विश्वविद्यालय की है ।

इस विधेयक का नाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है । नाम में उसके प्रोग्राम की सीमा होनी चाहिये । नाम ऐसा होना चाहिये जो स्वरूप का प्रतिबिम्ब हो, स्वरूप को चित्रित कर सके कि यह चीज है । जैसे कि हमारे सामने बापू का चित्र विद्यमान है । इस पर महात्मा लिख दिया तो उससे केवल महात्मा का ही बोध होगा, लेकिन महात्मा गांधी लिखा हो तो यह पता लगेगा कि यह केवल महात्मा नहीं हैं बल्कि महात्मा गांधी हैं । इसी प्रकार कृषि-विश्वविद्यालय कहने से कुछ भ्रम होता है कि इसका मूल स्वरूप क्या है । अगर किसी राह चलने वाले से जिसने विधेयक या अधिनियम नहीं पढ़ा है यह पूछा जाय कि उत्तर प्रदेश में कृषि-विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो वह कृषि-विश्वविद्यालय का नाम पढ़कर यह समझेगा कि यहां सिर्फ कृषि में ही शिक्षा दी जाती है आज भी और भविष्य में भी ।

दूसरी बात यह है कि बोर्ड की स्थापना में अच्छा सुझाव स्वीकार किया गया कि उसमें सरकारी कर्मचारी न हों । स्टेट फार्मर्स फोरम या सोशल वेलफेयर बोर्ड या यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि सरकारी अधिकारी नहीं होंगे, यह बात अच्छी स्वीकार की गई और मैं इसका स्वागत करता हूं । लेकिन दूसरी ओर बोर्ड का विधान मिथ्या सिद्धांत के ऊपर आधारित

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

किया गया है, मुझे माफ करेंगे ऐसा कहने के लिये । एक्जीक्यूटिव काम कोई दूसरी बाडी करे और एकेडेमिक दूसरी बाडी करे, यह एक मिथ्या सिद्धांत स्वीकार किया गया । मेरा दृढ़ मत है और मेरा अपना वैयक्तिक मत ही नहीं है, यह विचार, अगर आप मुझे कहने की आज्ञा दें तो मैं कहूंगा कि पृष्ठपोषित किया गया है और विश्वविद्यालय के विज्ञान के सभी पंडितों का मत है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में, चाहे वह एग्जीक्यूटिव हो या एकेडेमिक हो, दोनों मिलेजुले हैं, और उनको अलग नहीं किया जा सकता ।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

इस संशोधन में स्वीकार किया गया है कि अध्यापकों का कोई स्थान विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में नहीं होना चाहिये । उनको केवल विषयों का समुच्चय करना या फैकल्टी को आर्गेनाइज करना होगा । सैडलर कमीशन से राधाकृष्णन कमीशन तक प्रत्येक विश्वविद्यालय के संबंध में जांच कमेटियों ने यह सिफारिश की है कि यह समझना कि एग्जीक्यूटिव और एकेडेमिक दोनों अलग-अलग हैं, बिलकुल मिथ्या धारणा है । उन्होंने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में अध्यापकों को पूरा पूरा भाग देना चाहिये । राधाकृष्णन कमीशन ने कहा है कि :—

"There should be a balance between the internal and the external side as far as representation in the executive council is concerned, with a slight balance favouring towards the internal side."

यानी, अध्यापक और गैर-अध्यापकों के प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव में बराबर हों और अगर ज्यादा होते हैं तो वे अध्यापकों के होने चाहिये । माननीय मंत्री जी के सौजन्य से हमें लैंड ग्रान्टस् कालेज के संबंध में डीन हैमा साहेब का ब्लू प्रिन्ट देखने को मिला जिसके आधार पर यह विधेयक बनाया गया है । उस कालेज में भी अध्यापकों को एडमिनिस्ट्रेटिव काउन्सिलों में काम करने की पूरी स्वतंत्रता है । वहां डीन आटोमैटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव काउन्सिल के मेम्बर हो जाते हैं । वहां केवल बोर्ड आफ ट्रस्टीज होता है, और हर कालेज की अलग-अलग गवर्निंग बाडी होती है । हमारे विश्वविद्यालय में कालेजों की कोई अलग गवर्निंग बाडी होने वाली नहीं है । वे सब यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत होंगे और उनका एक ही बोर्ड आफ मैनेजमेंट होगा और एक ही एकेडेमिक काउन्सिल होगी । अमरीका में हर कालेज की अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सीनेट, एकेडेमिक काउन्सिल होती हैं और सबका मिला जुला बोर्ड आफ ट्रस्टीज होता है । वहां तो कालज को भी आटोनामस माना है । बोर्ड आफ ट्रस्टीज केवल इनवेस्टमेंट या फाइनेंशल पालिसी को तय करता है । अगर हमको अमरीकन कालेज की नकल करनी थी तो हमें हर कालेज को उसी तरह की आटोनामी देनी चाहिये थी, यानी उनकी अपनी-अपनी एकेडेमिक काउन्सिल, एडमिनिस्ट्रेटिव काउन्सिल और सीनेट होगी । लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं । हम इंडियन पैटर्न को स्वीकार कर रहे हैं । अभी-अभी शिक्षा विभाग ने गोरखपुर विश्वविद्यालय बिल पास कराया और उन्होंने स्वयं अध्यापकों का अधिक प्रतिनिधित्व उसमें रखा है । मैं उनको बधाई दूंगा । वहां पर अगर अन्तर है तो वह आन्तरिक सदस्यों की ओर है । लेकिन यहां केवल वाइस-चांसलर को छोड़कर जो उस बोर्ड पर प्रिसाइड नहीं करेंगे, सभी बाहर के लोग होंगे जिनका विश्वविद्यालय के अध्यापन से कोई संबंध नहीं है । मैं अपनी सारी शक्ति से यह निवेदन करूंगा कि अगर हम उन लोगों पर जो इस नवीन शिक्षा की योजना के चलाने वाले मूल आधार होंगे पहले से ही अविश्वास करने लगें और यह समझने लगें कि उन्हें यूनिवर्सिटी के मुख्य संगठनों में स्थान नहीं देना चाहिये, तो इससे इस गर्भ में विश्वविद्यालय का बड़ा अशगुन या अहित होगा । इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करें ।

श्रीमन्, इसमें एक और विरोधाभास देखने को मिलता है । इस विधेयक में, जैसा संशोधित हुआ है, उपकुलपति की शक्ति बढ़ाई गई है, डीन आफ स्टुडेंट्स वेलफेयर वह तय करेंगे, रजिस्ट्रार और कंम्पट्रोलर को वह नियुक्त करेंगे जबकि और विश्वविद्यालयों में सेलेक्शन कमेटी यह कार्य करती है । सेलेक्शन कमेटी का यहां स्थान नहीं है । उपकुलपति चीफ एकेडेमिक हेड भी है

और चीफ एग्जीक्यूटिव हेड भी माना गया है, लेकिन उसे बोर्ड में केवल एक मेम्बर की संज्ञा दी गई है। दूसरी यूनिवर्सिटियों के कानूनों में वह एग्जीक्यूटिव काउन्सिल पर भी प्रिसाइड करता है। यह नतीजा यह होगा कि कल को बोर्ड में वाइस-चांसलर अकेले होंगे, टीचिंग साइड के प्रतिनिधि वहां अकेले रहेंगे। चेयरमैन और वाइस चांसलर में, और वाइस-चांसलर में और बोर्ड में कनफ्लिक्ट हो सकता है---मैं यह नहीं कहता कि रोज होगा---लेकिन हो सकता है चूंकि उनको सही ज्ञान नहीं होगा। इस पर भी विचार करना आवश्यक है।

मैं, मान्यवर, बधाई देता हूं अपने बहुमत के उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने इसमें अध्यापक की परिभाषा आदि बढ़ाने का सुझाव स्वीकार किया, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह देख कर आश्चर्य होगा कि कालेज शब्द की परिभाषा इस विधेयक में नहीं है। हम उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट कहते हैं कि हम पांच कालजेज स्थापित करेंगे और उन कालेजेज के नाम भी आपने दे दिये हैं। यह जो यूनिवर्सिटी होगी वह लखनऊ और इलाहाबाद की तरह से टीचिंग यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहां कि कालेज नहीं हैं यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन यहां पर आप अलाहिदा कालेज बना रहे हैं जिनकी अपनी एक भौलोगिक इकाई होगी। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में कांस्टीटुएन्ट कालेजेज की भी परिभाषा नहीं है इसलिये यह एक अधूरा विधेयक है। यह ठीक नहीं है कि हम बार बार संशोधन करें। अभी जिस त्रुटि को हम सुधार सकते हैं, क्यों न उसको सुधार लें?

इसके आगे, श्रीमन्, आप देखेंगे कि इसमें दो तीन पदों का भी प्राविधान किया गया है। इसमें एक पद बढ़ाया गया है डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चरल एक्सपेरीमेंट स्टेशन। अमेरिकन लैंड ग्रान्ट कालेज में जो अध्यापक रहते हैं वही रिसर्च और प्रसार का काम भी करते हैं। यहां पर भी उसी सिद्धान्त को स्वीकार करके यह रखा गया है कि जो लोग पठन-पाठन का कार्य करेंगे वे ही गवेषणा और प्रसार का काम भी करेंगे। लेकिन यहां पर एक डायरेक्टर अलाहिदा से रख दिया गया है। इसी प्रकार से एक डायरेक्टर आफ एक्सटेंशन भी रखा गया है। अगर एक्सटेंशन डायरेक्टर गवर्नमेंट लेविल पर रखा जाता, जो सारे राज्य में चलने वाले इस प्रकार के कामों की देखभाल करता, तब तो किसी प्रकार ठीक भी कहा जा सकता था। अमेरिका की लैंड ग्रान्ट्स कालेजेज में जो डीन आफ एक्सपेरीमेंट होता है वही डीन आफ एक्सटेंशन भी होता है। लेकिन यहां पर कृषि, होम साइंस, ऐग्रीकल्चर आदि सब में ये ओहदे अलाहिदा अलाहिदा होंगे। अगर कोआर्डिनेशन करने की ही बात थी तो उसको वाइस चांसलर कर सकता था। इस प्रकार की बात इस विधेयक में रखा जाना कुछ शोभा की बात नहीं है। इसी तरह से इसमें सेलेक्शन कमेटी, एकेडेमिक कौंसिल, या फाइनेंस कमेटी के निर्माण के सम्बन्ध में भी मैं कहूंगा कि उनका भी इसमें प्राविधान होना चाहिये। एकेडेमिक कौंसिल कितने महानुभावों की होगी पता नहीं। राधाकृष्णन् रिपोर्ट में लिखा गया है कि विद्वत् परिषद् थोड़े सदस्यों की होनी चाहिये। इस विधेयक के अनुसार जब प्रथम परिनियम बनेंगे तब उसकी रूपरेखा तैयार की जायगी। फिर भी जिस प्रकार से लखनऊ, गोरखपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों में एकेडेमिक कौंसिल बनी हैं उसी भांति एक स्थायी एकेडेमिक कौंसिल बननी चाहिये।

इसी प्रकार से आर्थिक मामलों में भी बोर्ड की रोजाना मीटिंग नहीं हो सकती। इसके लिये एक एक्सपर्ट कमेटी का निर्माण होना आवश्यक है। फाइनेंस कमेटी का सिद्धान्त सब यूनिवर्सिटीज में माना गया है। जिन बातों को मैं यहां इस सदन के सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं इन सिद्धान्तों को यह सदन पहले ही स्वीकार कर चुका है। इसलिये मेरी माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि जिन सिद्धान्तों को हम गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, लखनऊ और इलाहाबाद (संशोधन) विश्वविद्यालय विधेयकों के समय स्वीकार कर चुके हैं उन्हीं सिद्धान्तों को आज भी प्रतिष्ठापित करें। इस आदरणीय सदन के लिये यह नहीं होना चाहिये कि उसने एक साल पहले जिन सिद्धान्तों को गोरखपुर विश्वविद्यालय बनाते समय स्वीकार किया था, उन सिद्धान्तों को इस विश्वविद्यालय के बनाते समय छोड़ दे। हमने स्वीकार

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

किया है कि यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता हो, हमने स्वीकार किया है कि अध्यापक वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहिये। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी बार-बार घोषित कर चुके हैं सरकार की ओर से कि सरकार अध्यापकों की मान-मर्यादा को कुंठित नहीं होने देना चाहती है, उनको अपमानित नहीं होने देना चाहती है बल्कि सरकार की यह नीति है कि वह अध्यापकों को विशेषतौर से उनकी खोयी हुई पुरानी प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठापित करे। यह सरकार इसके लिए कटिबद्ध है और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य कटिबद्ध हैं तो फिर कौन-सा कारण है जिसकी वजह से आज इस यूनिवर्सिटी विधेयक को पास करते समय आप उन अध्यापकों को भूलने जा रहे हैं? सेलेक्शन कमेटी में भी उनको कहीं नहीं रखा गया है, सरकार को चाहिये कि वह किसी प्रकार से इस विधेयक में उनके लिये भी प्राविधान करे।

इस समय मैं अपनी बातें केवल उन्हीं संशोधनों तक ही सीमित रखना चाहता हूं जो कि हमारी प्रवर समिति द्वारा स्वीकार की गयी हैं और यही नियम भी है। लेकिन यह सिद्धान्त का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक है जिसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किये बगैर मैं नहीं रह सकता। मुझे आशा है कि सदन मेरे इन सुझावों पर विचार करेगा और साथ ही साथ जो हमारी तरफ से एक प्रतिवेदन कुछ शब्दों में सदन के सम्मुख रखा गया है, उसमें जो दो तीन सुझाव दिये गये हैं, रीजनल और यूनिटरी यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में, उन पर भी विचार करेगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, कृषि-यूनिवर्सिटी विधेयक, जैसा कि वह प्रवर समिति से संशोधित होकर आया है, और जो हमारे सामने है, उसको मैंने देखा। मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं-कहीं इसके अन्दर अच्छे संशोधन किये गये हैं और कुछ की तरफ माननीय तिवारी जी ने संकेत भी किया। उनमें दुबारा न जाते हुए मैं दो तीन बातों की तरफ विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस समय यह विधेयक हमारे सामने आया था, मेरी ऐसी धारणा थी कि सिवा एक आइडिया के कि हमको कृषि-विश्वविद्यालय बनाना है, उसकी सही रूप-रेखा हमारे सामने नहीं थी और मुझे ऐसा लगा कि इसके अन्दर तमाम चीजें स्टेट्यूट्स के ऊपर छोड़ दी गयी हैं और जब तक स्टेट्यूट्स इसके साथ-साथ हाउस के सामने न हों तो हमको इसकी रूपरेखा समझ में नहीं आ सकती, मैं ऐसा उस समय समझता था। मुझे यह आशा थी कि ५ दिन तक जो प्रवर समिति बैठी है वह इसके अन्दर कुछ ऐसे संशोधन करेगी जिससे इसकी रूपरेखा पर कुछ ज्यादा प्रकाश पड़ सके। श्रीमन्, मुझे बड़ी मायूसी हुई कि उन तरमीमों में भी इसकी रूपरेखा का कोई सही अन्दाजा हमको नहीं मिल पाता। मैं अभी तक यह भी नहीं समझ पाया, जैसी मुझे आशा भी थी कि प्रवर समिति इस बात को स्पष्ट करेगी कि इस प्रदेश के अन्दर जो हमारी पुरानी संस्थायें हैं, जो एग्रीकल्चर कालेज हैं, वेटेरिनरी कालेज वगैरह-वगैरह हैं, उनकी क्या हैसियत होगी। मुझे इस बात का अन्देशा है कि इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद चूंकि यह एक किस्म की रेजिडेंशियल और युनिटरी यूनिवर्सिटी हम बनाने जा रहे हैं, उनके साथ जो हमारे पुराने कालेज हैं, उनका कोई सम्बन्ध होने वाला नहीं है और जैसा कि अभी बतलाया गया है कि इसके पास बड़े रिसोर्सेज होंगे, बड़े साधन होंगे, इसके पास करोड़ों रुपये के इतने बड़े फार्म्स होंगे, श्रीमन्, मुझे यह अन्देशा है कि उनके और इनके दोनों के स्टेट्स में कोई ठीक से समन्वय होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि जो इस प्रदेश की पुरानी संस्थायें हैं, उनको इससे कुछ हानि ही पहुंच सकती है।

जहां तक बोर्ड आफ ट्रस्टीज का सवाल है, मुझे भी अजीब-सा लगा कि न सिनेट है, न कोई कोर्ट है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज बनाया जायगा। मैं सिद्धान्ततः माननीय तिवारी जी की इस बात से सहमत हूं कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज भी अगर बने तो उसके अन्दर आफिशियल और नान-आफिशियल की संख्या में विशेष अन्तर नहीं होना चाहिए। जिस बात पर बहुत जोर दिया है कि यथासम्भव नान-आफियिल जो तत्व

हैं उनको अधिकांश में होना चाहिये बोर्ड आफ ट्रस्टीज के अन्दर या उसको एक्जिक्यूटिव कहिये उसके अन्दर। तो मैं समझता हूं कि उस पर इतना जरूर किया गया कि एक रजिस्टर्ड ग्रेजुएट की सीट बढ़ा दी गयी और फारमर्स फोरम के प्रतिनिधि किसान होंगे और यह भी तय हो गया कि सोशल वेलफेयर और कोआपरेटिव के वे प्रतिनिधि होंगे जो हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे इतना स्पष्टीकरण हुआ। फिर भी, मैं अनुभव करता हूं कि यह हो सकता था कि इसके अन्दर तादाद नान-आफिशियल्स की कुछ और बढ़ सकती थी। आगे चल कर जो संशोधन आये हैं उनमें उनका जिक्र होगा।

इस बात से भी ताज्जुब हुआ कि बोर्ड आफ मैनेजमेंट में चेयरमैन की बात कही गयी है। यह बात मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके अन्दर बोर्ड आफ मैनेजमेंट में वाइस-चांसलर एक सदस्य की हैसियत से बैठे और उसमें चेयरमैन कोई दूसरा हो। मैं समझता हूं कि वाइस-चांसलर का बड़ा डिगनिफाइड स्टेटस है, बड़ा उच्च पद है। यह एक किस्म का मजाक होगा कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज में वाइस-चांसलर तो एक सदस्य की तरह बैठे और एक अन्य सदस्य उसका चेयरमैन वहां बन कर बैठे। श्रीमन्, इसमें एक एनोमली सी मालूम होती है। मेरा अपना विश्वास है कि जब आप वाइस चांसलर बनाते हैं तो जो स्थान वाइस चांसलर का हमारे विश्वविद्यालयों में देश व प्रदेश में है वही स्थान इस विश्व-विद्यालय में भी होना चाहिये था। हमारी प्रवर समिति शायद उस चीज को नहीं देख सकी।

मुझको भी यह लगा, जैसा कि तिवारी जी ने कहा, वाइस चांसलर को आपने यह अधिकार दिया है कि वह डीन आफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, रजिस्ट्रार और कम्पट्रोलर इन तीनों पदों की नियुक्ति कर सकता है, यद्यपि उसकी नियुक्ति बोर्ड आफ मैनेजमेंट की स्वीकृति पर रख दी है। मैं भी यह उचित समझता था और अब भी समझता हूं कि यदि कोई सेलेक्शन कमेटी बनायी गयी होती जिसकी सिफारिशों पर इन पदों की नियुक्ति की गयी होती तो ज्यादा अच्छा था।

आगे चल कर मैं देखता हूं कि जितने भी टीचर्स होंगे और जो आफिसर्स होंगे यूनिवर्सिटी के उनके लिये भी कह दिया गया है कि वाइस-चांसलर की सिफारिश से बोर्ड उनको ऐप्वाइंट करेगा। तिवारी जी ने सही बात कही कि जितने विश्वविद्यालय इस प्रदेश में हैं सब में इस सिद्धान्त को माना गया है कि सेलेक्शन कमेटी होगी, जिसके अन्दर कुछ एक्सपर्टस् होंगे जो बाहर के हो सकते हैं उनके द्वारा जो उच्च पद होंगे उनकी नियुक्तियां की जायेंगी। मगर इस विधेयक के अन्दर कोई भी सेलेक्शन कमेटी की बात नहीं कही गयी है। मेरे दिमाग में एक आशंका है, उसका कोई आधार न हो, निर्मूल साबित हो तो अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सेलेक्शन कमेटी के न होने से कुछ विभागीय कंट्रोल एप्वाइन्टमेंट्स के सिलसिले में ज्यादा चलेगा और इस विश्व-विद्यालय के लिये जिसके बारे में इतनी ऊंची आकांक्षायें और आशायें हमको बंधाई गयी हैं मैं समझता हूं कि उचित व्यक्तियों की नियुक्ति न हो सकेगी। लिहाजा अच्छा यह होता यदि इसके ऊपर विचार करके सेलेक्शन कमेटी की बात को मान लिया गया होता।

एक बात और है। जो बातें स्टेट्यूट्स में होनी चाहिये थीं वे बहुत कुछ विधेयक के अन्दर दी गयी हैं और खास-खास चीजें जैसे वाइस-चांसलर का एप्वाइंटमेंट, उनकी तनख्वाह वगैरह को स्टेट्यूट्स में छोड़ दिया गया है, कुछ ऐसा लगता है कि इंटरचेंज हो गया है।

मेरे मित्र तिवारी जी ने टीचर्स के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में बड़ा जोर दिया। मुझे जरा सी तकलीफ हुई। मैं उनसे इस बात से इत्तिफाक नहीं करता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक भी न हो ?

श्री नवल किशोर---एक आध हो अगर बारगेनिंग की बात है तब तो माननीय मंत्री जी भी उसको मान जायेंगे। आपने सिद्धांत की बात कही। तो अगर टीचर्स का उसमें प्रतिनिधित्व हो उसमें मुझे विरोध नहीं है। लेकिन अगर ऐज ऐन ऐक्सपेरीमेंट, आपने सब जगह टीचर्स को माना और मान्यवर, यह एक हवा है और हवा ही नहीं धारणा है कि आज का टीचर जब वह पालिटिक्स

[श्री नवलकिशोर]

में पड़ जाता है, तो टीचर नहीं रहता पालिटीशियन बन जाता है । तो एक विश्वविद्यालय में टीचर पालिटिशियन को हटा करके भी देखें कि हम कहां तक कामयाब होते हैं । जैसा मैंने कहा कि इस विधेयक की कोई रूप रेखा नहीं, इट इज एन आइडिया इन दी एयर (it is an idea in the air) । तो संशोधन तो बाद में आयेंगे ही । लेकिन अभी एक्सपेरीमेंट के तौर पर करके तो देखें । माननीय तिवारी जी ने इस बात का बड़ा जोर से प्रतिपादन किया कि उससे यूनिवर्सिटी की आटोनामी का हनन होता है । लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उन बातों की चर्चा नहीं की कि जिनसे आटोनामी का वाकई हनन होता है । खैर, मैं उनसे इस बात में तो अधिक सहमत नहीं हूं ।

एक बात का मुझे और जिक्र करना है जिस पर मैं समझता था कि शायद प्रवर समिति ध्यान देगी । इसमें श्रीमन्, कुछ ग्रामीण शब्द का इस्तेमाल किया गया है । बहुत अच्छा शब्द है, हमारा देश और प्रदेश ही ग्रामीण जनता का है । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ डिस्क्रीमिनेशन और क्लासिफिकेशन की बात आ जाती है जिसको मैं आगे चल कर, अगर कोई अमेन्डमेन्ट हुआ तो, रखूंगा । मैं समझता था अगर वह शब्द वहां प्रयोग न होता तो विश्वविद्यालय के जो एम्स और आबजेक्ट्स थे उनमें किसी प्रकार की कोई कमी आने वाली नहीं थी । यही छोटी-मोटी २, ४ बातें ऐसी हैं जिनको मैंने यह समझा था कि शायद प्रवर समिति में जाने के बाद उनके ऊपर कोई और अधिक स्पष्टीकरण हो सकेगा । फिर भी प्रवर समिति ने जो परिश्रम किया ५ दिन तक और जो भी संशोधन उसमें किये, जो कि कुछ अच्छे भी हैं, उसके लिये तो मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि प्रवर समिति को बधाई दूं । और अन्त में केवल यही आशा कर सकता हूं कि जो मैंने २, ४ बातें इस समय रखी हैं मन्त्री जी उनके ऊपर पुनः विचार करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि यह कृषि विश्वविद्यालय, चाहे इसका नाम ग्रामीण विश्वविद्यालय हो या न हो, चूंकि इसमें इसकी चर्चा है कि राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट को आधार मान कर यह बनाया गया है, तो मैं आशा कर सकता हूं कि सही माने में इसको कृषि विश्वविद्यालय ही बनाने की चेष्टा करेंगे । केवल ग्रामीण जनता शब्द से इसके अन्दर कोई फायदा होने वाला नहीं है । अगर सही माने में विश्वविद्यालय का वातावरण ग्रामीण जनता के अनुरूप बनाने में वह सफल हुए तो वे हमारी बधाई के पात्र होंगे ।

श्री प्रतापसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बातें अभी कही गयी हैं उनको न दोहराते हुए जो कुछ बातें रह गयी हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं । सर्वप्रथम मैं संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों तथा सभापति जी का आभारी हूं कि हमारी तरफ से कुछ संशोधन आये और उनको उन्होंने माना और यह हमारी बदकिस्मती है कि कुछ और संशोधन थे .....

श्री मोहनलाल गौतम--श्रीमन्, प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । प्रवर समिति ने किसका संशोधन माना, किसका नहीं माना, किसने माना, क्या कहना मुनासिब होगा ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया । अगर किसी संशोधन को वह बतायें कि यह मान लिया गया और यह नहीं माना गया तो अनुचित होगा । लेकिन आमतौर पर बधाई देते हुए कहा जाय कि हमारा संशोधन मान लिया तो यह कोई गैरवाजिब बात नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह--अगर मन्त्री जी बधाई नहीं स्वीकार करना चाहते तो मैं वापस लेता हूं ।

श्री राजनारायण--सीख वाको दीजिये जाको सीख सुहाय, सीख न दीजिये बानरा जो घर बया का जाय ।

श्री मोहनलाल गौतम--सीख न दीजिये बानरा जो हाउस से निकाला जाय ।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं बहुत ब्यौरे में नहीं जाना चाहता था, थोड़े में ही कहना चाहता था, लेकिन शायद मंत्री होने के नाते उनको यह कनसेशन मिला है कि वह इस प्रकार से . . .

श्री अध्यक्ष---आप उनको कांग्रेचुलेट करेंगे कि उनको अपनी तारीफ ज्यादा पसन्द नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---जी हां, इसीलिये मैंने बधाई वापस ले ली।

मान्यवर, हमसे बार-बार यह भी कहा गया कि हम एक अद्वितीय विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं। अगर वास्तव में यह सत्य है तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यह संशोधन है कि सब यूनिवर्सिटीज में आज तक गवर्नर चांसलर होते थे, तो आज वह इसके चांसलर न हों, बल्कि वाइस-चांसलर जो इसमें हैं वही चांसलर हों और जिस तरीके से कि इसमें वाइस-चांसलर के चुनाव का तरीका रखा गया है वह चांसलर का हो। यह इस विश्वविद्यालय के लिय एक नया कदम होगा।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि इसमें जो प्रथम वाइस-चांसलर बनाया जा रहा है, जिसको हम चांसलर बनाना चाहते हैं उसको गवर्नर महोदय ४ साल के लिए चुनेंगे और फिर ४ साल के लिए वह फिर हो सकते हैं, तो एक व्यक्ति ८ वर्ष तक वाइस-चांसलर रह सकता है। इसमें मेरा सुझाव है कि जो वाइस-चांसलर कुलपति हो उसका चुनाव १ साल के लिए गवर्नर महोदय करें और फिर उसके बाद जो मैनर प्रेस्क्राइब्ड है वाइस चांसलर चुने जाने का, उसके अनुसार चुना जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त तिवारी जी ने डीन आफ स्टूडेंट्स वेल्फेयर की बात की, उसको नहीं दोहराता हूं; लेकिन जहां पर एक्सट्रा कैरीकुलर ऐक्टिविटीज का ताल्लुक है और जिस अमेरिकन पैटर्न की बात कही जाती है उसमें वहां स्टूडेंट्स के वेल्फेयर का जो बोर्ड होता है उसकी भी सलाह ली जाती है, लेकिन इसमें वह नहीं है। यही नहीं, इस बिल में कहीं पर भी इस बात को नहीं कहा गया है कि यह यूनिवर्सिटी फेडरेटिव होगी, अफिलिएटिंग होगी या फेडरेटिव-कम-रेजीडेंशियल होगी। कोई न कोई तो आधार होता है। हम तो रोज कहते हैं कि न माननीय मंत्री अपने आप सीख कर आते हैं, न हम सीख कर आते हैं। वह जो तजुर्बा हासिल करते हैं उनकी पढ़ाई से और तजुर्बे से हम भी कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये जो राधाकृष्णन् कमीशन और प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की है कि यूनिवर्सिटी फेडरेटिव-कम-रेजीडेंशियल होनी चाहिये, यदि इसको माना जाता है तो वह "Greatest good for the greatest number" बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होगा। इसलिये माननीय मंत्री जी इसको फेडरेटिव-कम-रेजीडेंशियल करेंगे। इसलिये कि आपका भी मंशा यह है कि एक अद्वितीय चीज को विकसित किया जाय। जहां-जहां बड़े-बड़े फार्म्स हैं, अल्मोड़ा, गरमपानी, वहां भी आपके रिसर्च स्टेशन्स बनेंगे, जैसा कि इसमें है। तो अगर इसको फेडरेटिव-कम-रेजीडेंशियल नहीं बनायेंगे तो कैसे काम चलेगा। दलील में यह कहा जायगा कि अमेरिका वालों की बात को हमें मानना है और सेंटर ने यह कहा है इसलिये मानना है। श्रीमन्, यह तो लेजिस्लेचर का हक है। लेजिस्लेशन करने में लेजिस्लेचर को सेंटर का कोई डिपार्टमेंट या कोई एक ब्रांच डामिनेट नहीं कर सकती। बल्कि यहां पर बैठे हुये माननीय सदस्य इस बात को समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द अगर बाहर से रखा जाता है तो अमरीका हमें रुपया देता है, लेकिन बाहर से ऐग्रीकल्चर शब्द न रखें और अन्दर से सारा रूरल पैटर्न हो तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि ज्वाइंट इंडो-अमेरिकन बोर्ड आफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च ऐण्ड एजूकेशन में भी यही है और जिस कालेज के पैटर्न पर यह बनाया गया है, अमरीका का लैण्ड ग्रांट्स कालेज, उसमें भी ये सारी चीजें हैं। इसलिये मेरी गुजारिश है कि मंत्री जी इन संशोधनों को मानें। हम एक ऐसा बिल नहीं लाना चाहते हैं जैसा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बिल है कि उसमें रूरल यूनिवर्सिटी की बात कही, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी जब संशोधन लाते हैं तो कहते हैं कि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटियों के बराबर लाना चाहते हैं इसलिये यह संशोधन है।

[श्री प्रतापसिंह]

तीसरी चीज हमें यह कहनी है कि आजतक किसी भी विश्वविद्यालय में मैंने यह नहीं देखा कि वाइस-चांसलर और बोर्ड का प्रेसीडेंट एक न हो। यह मानी हुई बात है कि अगर मैनेजमेंट बोर्ड के प्रेसीडेंट और वाइस-चांसलर में इत्तफाक नहीं है तो यूनिवर्सिटी नहीं चल सकेगी। आज जब विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर ही बोर्ड का प्रेसीडेंट होता है तब तो काम में बाधा पड़ने की खबरें मिलती हैं और जब बोर्ड का प्रेसीडेंट किसी और आदमी को बनाया जायगा तो मंत्री महोदय का मतलब पूरा नहीं हो सकेगा।

चौथी बात यूनिवर्सिटी की आटोनामी के बारे में है। राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि आज यूनिवर्सिटियों की खराबियों में सबसे बड़ी चीज यह है कि उनको आटोनामी नहीं दी जाती है। यहां तमाम डायरेक्टर भरे पड़े हैं। अरे, यूनिवर्सिटी चाहे ऐग्रीकल्चर की हो चाहे साइंस की हो, आटोनामी तो वही होगी जो लखनऊ या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। जैसे मंत्री जी चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय अद्वितीय हो वैसे ही हम भी चाहते हैं लेकिन ऐसा अद्वितीय न हो कि अध्यापकों का कोई रिप्रेजेंटेशन ही न हो। हम तो कहते हैं कि दो डीन होने चाहिये बाई रोटेशन, दो आदमी एकेडेमिक कौंसिल के रख दिये जायं और एक डीन, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिये रख दिया जाय।

आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि इस सदन में दो यूनिवर्सिटियों की मांग आयी है। एक कुमायूं यूनिवर्सिटी की बात माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने रखी और दूसरे रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की बात कही गयी। लेकिन हमारे एक्सचेकर के पास पैसा ही नहीं है, कैसे बनेंगी। इसलिये हमारा संशोधन यह है कि उसमें इतना और जोड़ दिया जाय कि रुहेलखंड और कुमायूं में जहां यह विश्वविद्यालय बन रहा है वहां की शिक्षा की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति यह विश्वविद्यालय करे। बहुत से सदस्य कहेंगे कि केवल उसी खास रीजन की क्यों? लेकिन आप देखेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम में साफ लिखा हुआ है कि ९ जिलों का विशेष ध्यान रखा जायगा। इसलिये कोई रीजनल बात नहीं है। अगर रीजनल भी है तो राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट इस बात को साफ करती है कि रीजनल यूनिवर्सिटीज होनी चाहिये। अन्त में मुझे यही कहना है कि स्विटजरलैन्ड में यह है कि अगर गवर्नमेंट कहे कि इतना रुपया देंगे, हमारा हस्तक्षेप होना चाहिये तो वहां लोग यही कहेंगे कि रुपया चाहे न मिले बनिस्बत इसके कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बढ़े।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि जो प्रतिवेदन विरोधी दल की तरफ से आया है उसको गम्भीरता से विचार किया जाय।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन भाषण इस सिलसिले में सुने और जो प्रवर समिति की रिपोर्ट में नोट है उसको भी देखा। ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्यों ने जो वर्तमान विश्वविद्यालय की कल्पना की है उसको आधार मान कर यह टीका टिप्पणी की है। यह तो इस विधेयक में मान लिया गया है कि जिस तरह के वर्तमान विश्वविद्यालय हैं अगर ऐसा ही बनाना हो तो फिर इस देश और प्रदेश को आवश्यकता नहीं है। लेकिन डाक्टर राधाकृष्णन् कमीशन और अमरीका के लैण्ड ग्रांट्स कालेज की चर्चा है। इसका एक लक्ष्य यह है कि हम अपने प्रदेश में एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं जिसमें ग्रामीण समस्याओं को प्राथमिकता दी जाय और ग्रामीण लोगों की भावनाओं को कार्यान्वित किया जा सके। माननीय सदस्यों ने जो कहा कि इसमें सीनेट नहीं है, इसमें कोर्ट नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है और है भी यही कि जैसे लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस और आगरा विश्वविद्यालय हैं, उस तरह के विश्वविद्यालय को आधार मानकर माननीय सदस्य कोर्ट वगैरह की कल्पना कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य ५ तरह के कालेजों की स्थापना का है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन की ओर से और कृषि मंत्री जी का एक लक्ष्य हो सकता है कि वह एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं

कि जिसमें कृषि के संबंध में विशेष अनुसंधान हो सके और ग्रामीण समस्याओं और खेतिहर समस्याओं को हल करने में यह सहायक हो सके। अगर यह भी इसी तरह का विश्वविद्यालय होता जैसे कि लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर वगैरह हैं तो इसमें कोर्ट वगैरह का समावेश होता, लेकिन यह विश्वविद्यालय इस तरह का नहीं है बल्कि इसको अनुसंधान विश्वविद्यालय कहा जाय तो उत्तम होगा। हमारे जो आजकल विश्वविद्यालय हैं उनमें शैक्षिक बात रहती है और वह क्रिया में नहीं आती है। शेक्सपियर के नाटक 'हैमलेट' में "हैमलेट" को उस कवि ने एक महान विचारक के रूप में चित्रित किया है, परन्तु वह समय से कार्य करने में अक्षम था। विचारों को क्रियात्मक रूप देने में असमर्थ था। विशेषज्ञों ने बताया है कि हमारी शिक्षा इसलिये दोषपूर्ण है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन कार्य रूप में परिणत नहीं करते हैं। आज हमारे विश्वविद्यालयों से नवयुवक निकलते हैं और बाहर से भी डाक्टर की डिग्री लाते हैं, लेकिन अगर उसको खेती पर लगाया जाता है तो एक साधारण किसान जो एक मन गन्ना चौथे बिस्वे में पैदा कर सकता है वह इतना भी पैदा नहीं कर पाता है। हमारी आजकल की शिक्षा किताबों पर ही सीमित है। इसलिये हम इस दोष को दूर करना चाहते हैं। हमारे यहां किताबी शिक्षा न हो बल्कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जो हमारे जीवन में उतर सके। इस विश्वविद्यालय का यही लक्ष्य मुझे मालूम पड़ता है।

श्रीमन्, बहुत सी बातें इसमें स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके लिये मेरा निवेदन है कि परिनियम में आ जायेंगी। इसमें बोर्ड को भी रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विमति श्री वीरेंद्रस्वरूप जी की लिखी हुई है कि हमारे चांसलर और वाइस-चांसलर की जो कल्पना है वह अन्य विश्वविद्यालयों के अनुकूल नहीं है। श्रीमन्, गवर्नर इसका कुलपति है और वाइस चांसलर ऐसा व्यक्ति रखा गया है जिसका चुनाव होगा लेकिन वह विश्वविद्यालय बोर्ड का सभापति नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्राविधान रखा हुआ है कि वह कोई विशेषज्ञ होगा। जैसे खेती का कोई अच्छा विद्वान होगा जो खेती के कालेज का प्रधान होगा। होम साइंस का जो विशेषज्ञ होगा वह होगा और उसका डीन सभापति होगा। इसके माने यह हैं कि प्रत्येक फैकल्टी में विशेषज्ञ ही अध्यक्ष होंगे। इसके माने यह हैं कि हम चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में जो एक्सपेरीमेंट्स हों वह गांवों में पहुंचे। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें कोआर्डीनेशन के जरिये व्यवस्था करने की बात है। हम चाहते हैं कि इसमें जो प्रयोग हों वह गांव की साधारण जनता के सामने पहुंचे और वह उनसे लाभ उठायें। हम रिसर्च स्टेशन में जैसे बहुत सी बातों की खोज करते हैं वैसे ही इसमें भी खेती के विषय में खोज होगी, गेहूं कैसे अच्छा पैदा करें आदि अनेक सब बातें इसमें आ जायंगी और वह एक सधा सधाया ज्ञान गांवों में पहुंच जायगा, फिर गांव में एक्सपेरीमेंट नहीं होंगे, फिर जब हम कार्यान्वित करेंगे एक्सपेरीमेंट को तो एक दम से योजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे।

आजकल होता यह है कि एक्कादुक्का एक्सपेरीमेंट हुआ और गांव में किसानों को दिया और जब देखा कि कोई अच्छा सीड नहीं निकला, जलवायु माफिक नहीं पड़ी या कुछ और हुआ तो उससे बड़ी कठिनाई होती है। इसको दूर करने के लिये जो बोर्ड की परिकल्पना है वह बहुत उत्तम है। प्रदेशीय सरकार एक्सपेरीमेंट्स के द्वारा विद्यार्थियों का ज्ञान परिपक्व करा कर किसानों के पास भेजना चाहती है। इसलिये सिनेट और कोर्ट की बात नहीं रखी गयी है। माननीय नारायणदत्त जी और विश्वविद्यालयों की कल्पना कर रहे हैं। उनका जो आधार है मुझे उनसे असहमति है। वैसे ही नवलकिशोर जी ने भी कहा। बात यह है कि हमारे सामने जो नक्शा आता है, उसमें जरा भी चेंज हुआ तो मन में आता है कि कौन सी चीज बिगड़ गयी। एक भावना है उसके पीछे। इसमें एक बड़ा भारी फार्म है। अच्छे-अच्छे डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट्स रखे जा रहे हैं बोर्ड में। तो मेरी समझ में नहीं आता कि चुनाव इसमें किस प्रकार संगत होता है। हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों के चुनावों में क्या-क्या बातें हो रही हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि टीचर पालिटीशियंस पैदा

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी]

हो गये हैं। ऐसी बातें आ गयी हैं। मैं समझता हूं कि उसमें एक उस विषय का विशेषज्ञ है। उसके कार्यों में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं है। जहां तक आर्थिक पहलू है उसमें चांसलर या जो कई कालेजों को कोआर्डिनेट करने वाला बोर्ड है वह संचालन करता है। जहां तक यह टिप्पणी है कि वाइस चांसलर चुना हुआ कैसे होगा, वह एक आदमी ऐसा होगा जो विशेषज्ञ नहीं होगा लेकिन डीन विशेषज्ञ होगा। ऐसी दशा में अगर वह अध्यक्ष हो तो कोई बहुत बड़ी वैसी चीज नहीं है।

दूसरी बात जो कही गयी उसकी तरफ मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विमति टिप्पणी के पैरा नम्बर ९ में वह लिखते हैं " "The observations made in paragraph 8 apply equally to the provisions made in clause 26 of the Bill in regard to the salaried officers and teachers of the University. The appointment should be made by the Board not on the recommendation of the Vice-chancellor alone but on the basis of recommendation by a Selection Committee consisting of the Vice-Chancellor (Chairman), a nominee of the Board and an expert appointed by the Chancellor." इसमें सेलेक्शन कमेटी की परिकल्पना की गयी है। प्रदेशीय सरकार में हर विषय के विशेषज्ञ हैं। अगर विश्वविद्यालय में सेलेक्शन कमेटी की भावना आती है तो दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि एक्सपर्ट को वोट न मिलें। प्रजातंत्र में जहां बहुत सी अच्छाइयां हैं वहां कुछ दो एक बुराइयां भी हैं। इसलिये विशेषज्ञों को चुनाव द्वारा नहीं ला सकते। मैं समझता हूं कि जो प्राविधान किया गया है वह उचित है। प्रादेशिक सरकार को या बोर्ड को पूरा अधिकार होगा कि विशेषज्ञ रख कर अनुसंधान कराये। इसमें मुख्य लक्ष्य की पूर्ति में सुविधा होगी।

माननीय तिवारी जी ने एक बात और कही। आपको रूरल शब्द पर आपत्ति थी। बापू जी ने कहा था हमारे प्रदेश में जो कृषि प्रधान प्रदेश है हर छात्र का दृष्टिकोण और उसका लक्ष्य कृषि हो। कृषि के माध्यम से अंग्रेजी पढ़े, हिसाब पढ़े, भूगोल पढ़े। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि की समस्या एक प्रमुख समस्या है। हम उस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। इसलिये इस कृषि विश्वविद्यालय में उसी कृषि को बेसिक सिद्धांत मान कर अनुसंधान कराने के लिये छात्रों को रखना चाहते हैं। यह गांव की समस्या हमारी बड़ी समस्या है। अगर रूरल के स्थान पर कृषि रहे तो इसमें शब्दों में अन्तर नहीं है। शहरों की कल्पना गांवों से है। अगर गांव न हों तो फिर अरबन की कल्पना नहीं कर सकते। तो रूरल शब्द रखने से कोई भिन्नता नहीं आती है और न इसमें अरबन का भेद भाव ही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने यह नहीं कहा कि रूरल यूनिवर्सिटी नाम रखा जाय।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। मगर किसी ने कहा था। इन दोनों नामों में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। दोनों के प्राब्लम एक हैं किन्तु कृषि के प्राब्लम को मानकर यह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसलिये यह कृषि शब्द कोई अनुपयुक्त नहीं है। इसलिये माननीय सदस्यों को जो रूरल शब्द से खिंचाव है और कृषि से चिढ़ है ऐसा नहीं होना चाहिये इसलिये प्रवर समिति से जो यह प्रतिवेदन आया है मैं उससे सहमति प्रकट करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मुझे इस आये हुये प्रतिवेदन के सम्बन्ध में थोड़े से शब्दों में अपने भाव प्रकट करने हैं। यह प्रतिवेदन संयुक्त प्रवर-समिति की ओर से आया है। इसमें साधारण हेरफेर किये गये हैं और इसको मूल रूप में स्वीकार किया गया है। कहीं-कहीं जो हेरफेर किया गया है वह उन्नतिशील है। उन्हें में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन मुझे कहीं-कहीं पर आपत्ति अवश्य दिखाई पड़ती है। जैसा कि इस बोर्ड के संगठन की बात है जो ज्यादा विवाद की बात बन रही है, उसमें मैंने शुरू में ही इस बिल के उपस्थित होने पर अपनी राय रखी थी कि, यदि यह कृषि विश्वविद्यालय सचमुच ही उन कृषकों के लड़कों के सम्बन्ध में या कृषि के सम्बन्ध में भी उन्नतिशील कोई कार्य करने की योजना रखेगा तो उसमें सभी बातें होनी चाहिये जिससे देश के कृषक वर्ग का कल्याण हो। लेकिन अब तो जिस प्रकार से यह बिल सामने है उसके अनुरूप ही बातें करनी है। मैंने यह देखा कि इसमें न तो उस स्थान की तब्दीली की बात सोची गई जो तराई से हटाकर किसी केन्द्रीय स्थान में बनने की थी जहां पर प्रदेशीय आवश्यकतायें पूरी हों। उस मौलिक बात को इसमें नहीं रखा गया है।

इसके निर्माण के सम्बन्ध में जो उपकुलपति या बोर्ड का कांस्टीट्यूशन है उसमें थोड़ा सा हेर फेर अवश्य किया गया है कि उसमें अध्यापकों के प्रतिनिधि हो सकें या बोर्ड में वह पहुंच सकें। लेकिन कृषकों की बात जो विशेषरूप से होनी चाहिये थी वह इसमें नहीं है। जो कृषक अनुभवी हों उनके अनुभव से लाभ उठाने की बात इसमें नहीं है। हम देखते हैं कि स्टेट फार्मर्स फोरम में कुछ कृषक रखे गये हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस फोरम में कुछ थोड़े से लोगों का गुट है जो कृषकों की तरफ से बातें करने का दम भरते हैं और विदेश जाने के लिये सुगमता प्राप्त करने वाले हैं और सरकारी खर्चे पर विदेशों की यात्रा करने वाले हैं। इसमें इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी बढ़ा दी गई है कि जो खेती करते हों यह खेती उनके बंगले या बगीचे में भी हो सकती है, लेकिन होना यह चाहिये कि जो कृषि के जानकार हों और सचमुच ही उनका भूमि की उपज से सम्बन्ध हो। अगर प्रवर समिति में यह नहीं हुआ तो सरकार को करना चाहिये कि जो कृषि के पंडित हों उनका आदर होना चाहिये, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों, जो सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हों और जिनकी हम उन कार्यों के द्वारा आदर से प्रशंसा करते हों। इसलिये कृषि विकास के लिये जो व्यक्ति सम्मानित हो चुके हैं उनका इस बोर्ड में होना आवश्यकीय था। इस बोर्ड अथवा बोर्ड आफ मैनेजमेंट के लिये हमें यह कसौटी रखनी चाहिये कि कृषि के पंडित ही उसमें स्थान पायें और यहां से निकले हुये छात्र देश के विकास के साधक बनें। मुझे विश्वास है कि यह भी अनेक विश्वविद्यालयों के समान ही होगा और इसके निकले हुये छात्र डिप्लोमा और डिग्री लिये हुये नौकरी की तलाश में इधर-उधर फिरते दिखायी पड़ेंगे।

बोर्ड के कांस्टीट्यूशन में मैं चाहता था कि विश्वविद्यालय से संबंधित प्रिंसिपलों को रखने की बात होती और यह भी होता कि जो शैक्षणिक तथा प्रशासकीय वर्ग हैं यदि उसका कोई संबंधी हो तो उसे बोर्ड में नियुक्ति न दी जाय। ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिये था। क्योंकि प्राधिकारियों में बहुधा ऐसे लोग होते हैं कि जो प्राइवेट रूप से सम्बन्धी होते हैं, लेकिन प्रकट रूप में सामने नहीं आते। यह विधेयक जिस रूप में अब सदन के सामने है उसकी मुझे कोई खास आलोचना नहीं करनी है, लेकिन इससे मेरा सैद्धांतिक विरोध है। इस कृषि विश्वविद्यालय से हमारी कृषि की समस्या हल न होगी और केवल एक विश्वविद्यालय की ही वृद्धि होगी।

मैं नहीं समझ पाया कि इसकी प्रस्तावना कृषि विभाग की ओर से क्यों हो रही है। इसको तो शिक्षा विभाग को यहां लाना चाहिये था। हो सकता है कि कानूनी तौर पर ऐसा करना आवश्यक हो। जिन दूसरे कालेजों में ऐसी ही शिक्षा दी जा रही है उनको सके साथ जोड़ने का कहीं इस विधेयक में उल्लेख नहीं है। अगर इस प्रकार का प्रबन्ध है कि डुप्लीकेशन हो तो उन कालेजों का इसके साथ को-रिलेशन और कोआर्डिनेशन होना चाहिये।

यह विश्वविद्यालय चाहे अमेरिकन माडल का हो अथवा ग्रामीण विश्वविद्यालय के आधार पर लाया जा रहा हो, इसका आधार यह होना चाहिये कि हमारी कृषि का उत्पादन बढ़े। हम कृषि में स्वावलंबी नहीं हो पा रहे हैं इसलिये चाहे हमारी कृषि का ढंग पिछड़ा ही क्यों न हो, इसके द्वारा इसमें भी ऐसे साधन प्राप्त कराये जायं कि उत्पादन वृद्धि हो। जब हम इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में पढ़ कर देखते हैं तो पाते हैं कि इसके द्वारा ऐसे काम किये जाने की व्यवस्था है, ग्रामीण उद्योग आदि की, कि जिनके द्वारा हमारी बहुत सी आशाओं की पूर्ति हो सकेगी, लेकिन

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मुझे सन्देह है कि हम इसकी सभी बातों को पूरा कर सकेंगे । और यदि यह उद्योग और व्यवसाय आदि की पूरी शिक्षा दे सके तो इसके साथ साथ और बहुत सी बातें ऐसी हैं जैसे अनुसंधान और एक्सटेंशन आदि की, कि जिनको करने से हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमी पूरी हो जायगी। यदि ऐसी बात थी तो इस विश्वविद्यालय को हमको प्रादेशिक रूप देते हुये स्थापित करना चाहिये था । लकिन यह विधेयक नकल सी है जिसमें कुछ मिश्रण विदेशों से लिया गया है और कुछ अपने देश से और उनकी खिचड़ी बना कर लाया गया है । जिस प्रकार वर्तमान शिक्षा से, वर्तमान विश्वविद्यालयों से देश में किसी क्रान्तिकारी उन्नति होने की आशा नहीं है ठीक उसी प्रकार से इस कृषि विश्वविद्यालय से हमें किसी विशेष क्रान्तिकारी उन्नति की आशा नहीं है । मालूम यह होता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलने वाली है उसको यूटिलाइज करने के लिये ही आया है । यदि ऐसा है तो रुपये का तो उपयोग हो जायगा, लेकिन देश की मांग कुछ और है यानी कृषि की उन्नति तथा देश के अन्दर सेल्फ सफिशियेंसी को लाना ।

श्री अध्यक्ष—प्रभी दो चार मिनट आपको और बोलना हो तो मैं चलने दूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—नहीं, अभी तो मैं दस मिनट बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष—अगर सदन को एतराज न हो तो दस मिनट और बैठा जा सकता है ।

("आज नहीं" की आवाजें)

तो अब हम उठते हैं और सोमवार, १५ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१३ दिसम्बर, १९५८ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१७ पर।)

संख्या ३७९८-बी/९-ए—१९-बी—७-५८।

प्रेषक,

श्री पी० पी० दीक्षित, एम० ए० , एल एल० बी०,
उप-सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

जिलाधीश, इटावा

स्वायत्त शासन (क) विभाग लखनऊ दिनांक, २९ सितम्बर, १९५८।

विषय: अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा परिषद् के स्कूलों (Institutions) का निरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पृष्ठांकन संख्या जे० ए० २१, दिनांक २५, अगस्त, १९५८ के अन्तर्गत अग्रसारित अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, इटावा के पत्र संख्या ७२१/९–३१, दिनांक २३ अगस्त, १९५८ के संदर्भ में मुझे यह कहने का आदेश हुआ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ की धारा १९८ के अनुसार परिषद् के सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से परिषद् के स्कूलों (Institutions) का निरीक्षण कर सकते हैं।

२—इस सम्बन्ध में आपका ध्यान अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा १५ की उपधारा २ की ओर आकृष्ट करते हुये यह कहना है कि किसी भी ऐसे विषय में, जिसके सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है या अपर्याप्त व्यवस्था हो, तो, उस विषय में सम्बन्धित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९२२ के उपबन्ध तथा उसके अधीन ब नियम, विनियमन और उपविधियां आवश्यक परिवर्तनों के साथ तथा उस आपत्ति तक जहां तक कि वे अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, लागू होंगे।

भवदीय,

पी० पी० दीक्षित,
उप-सचिव।

संख्या ३७९८-बी (१)/९-ए

प्रतिलिपि अन्य जिलाधीशों को सूचनार्थ एवं पथ-प्रदर्शन हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

पी० पी० दीक्षित,
उप-सचिव।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१९ पर।)

गोरखपुर जिले की सदर तथा महराजगंज नामक दो तहसीलों में निम्नलिखित स्थानों म गुड़ विकास योजना चल रही हैं

नाम तहसील	नाम स्थान
सदर ..	१—बसारतपुर
	२—चरगांवा
	३—जंगलघूसड़
	४—बनगाई
	५—भटहट
	६—बरगदही
	७—बड़ा गांव
	८—करभहा
	९—गोपालपुर
	१०—नवढ़ी
महराजगंज ..	१—सुमेरगढ़
	२—मदुआवां
	३—बांसपार बैजवली
	४—बांगापार
	५—पनिअरा
	६—घनखरा

मुदित पटेश्वर विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२१ पर।)

उन अधिकारियों की सूची जिन्हें मैनपुरी जिले में तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं

नाम व पद	विभाग	कारण
श्री के० एन० सक्सेना, असिस्टेन्ट इंजीनियर, एल० एस० जी०, इंजीनियरिंग, १ फरवरी, १९५५ से।	स्वायत्त शासन (ख) विभाग	एल० एस० जी० इन्जीनियरिंग एक बहुत छोटा विभाग है। सरकारी कार्य के हित में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बहुत कम तबादले किये गये लेकिन इस वर्ष काफी किये गये। श्री सक्सेना का स्थानान्तरण भी जून में होने वाला था किन्तु प्रशासनिक कारणों से नवम्बर, १९५८ में हो सका।
श्री सैयद अहमद सुल्तान, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, लोवर गंगा कैनाल रोजन, मैनपुरी।	सिंचाई (क)	२५-७-५८ को इनके तबादले का आदेश जारी हुआ किन्तु कुछ आवश्यक काम अधूरा रह गया है जो कि एक या दो मास में पूरा हो जायेगा और तब इनका स्थानान्तरण किया जायगा।
डा० डी० एस० राठौर, म्युनिसिपल मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ, मैनपुरी।	जन-स्वास्थ्य	यहां सितम्बर, १९५४ से हैं। सन् १९५५ में इनका पद बदल दिया गया था और तब से यह मौजूदा पद पर हैं। अक्तूबर, १९५८ में इनको बलिया स्थानान्तरण करने का आदेश जारी हुआ इसके विरुद्ध इन्होंने प्रार्थना की कि मैनपुरी में इनकी कुछ जायदाद है जिसके मुकदमें चल रहे हैं और स्कूल सेशन के मध्य में स्थानान्तरण होने से बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा होगी। इसलिये इनका स्थानान्तरण मार्च, १९५९ तक के लिये स्थगित कर दिया गया।
डा० बी० एस० सक्सेना, मेडिकल आफिसर, सिरसागंज, मैनपुरी, २० अगस्त, १९५५ से।	चिकित्सा (क)	अगस्त, १९५८ में इन्हें तीन वर्ष पूरे हुये किन्तु स्कूलों के सेशन के बीच में स्थानान्तरण करना उचित नहीं समझा गया। अतएव इनका स्थानान्तरण मई, १९५९ तक कर दिया जायगा।
श्रीमती शान्ति त्रिपाठी, लेडी प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज, मैनपुरी, २९ जुलाई, १९५४ से।	शिक्षा (ख)	इन्हें लगभग ४, १/२ वर्ष हो गये। शिक्षा विभाग को महिला अधिकारियों के लिये तीन वर्ष का नियम कड़ाई से लागू नहीं किया जाता।

नाम व पद	विभाग	कारण
श्री जी० पी० शुक्ल, डी० एस० ओ० (टी० आर० ओ० मैनपुरी), २४ सितम्बर, १९५५ से।	खाद्य तथा रसद (ग)	इन्हें सितम्बर, १९५८ में तीन वर्ष पूरे हुये। ११ सितम्बर, १९५८ को इनके स्थानान्तरण का आदेश जारी हुआ। लेकिन उस समय सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का कार्य जोरों से चालू था। पुराने डी० एस० ओ० को दूकानदारों आदि के सम्बन्ध में जानकारी आवश्यक थी जिसके बिना नये अधिकारी को अड़चन पड़ती। अतएव जिलाधीश की सिफारिश पर सरकार ने श्री शुक्ल का स्थानान्तरण कतिपय मासों के लिये स्थगित कर दिया और अब २०-११-५८ को आदेश जारी हो गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर।)

विवरण १

प्रथम श्रेणी, खंड मोहनलालगंज (लखनऊ) में हरिजनोत्थान हेतु वितरित किये गये रुपये की सूची

क्रम-सं०	गांव का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि जो व्यय हुई	
			रुपये	नये पैसे
१	टिकरा सानी ..	.. हैन्ड पम्प	९३	००
२	टिकरा सानी ..	.. कूप मरम्मत ..	७८	००
३	टिकरा सानी ..	.. कूप निर्माण ..	१००	००
४	कुरोली ..	.. कूप मरम्मत ..	१४६	००
५	बलसिंह खेरा ..	.. ,, ..	७५	००
६	बलसिंह खेरा ..	.. कूप निर्माण ..	३५०	००
७	बलसिंह खेरा ..	.. हैन्ड पम्प ..	१३०	००
८	बलसिंह खेरा ..	.. कूप निर्माण ..	२५	००
९	गौरा ..	.. ,, ..	१५६	००
१०	खरडेना ..	.. ,, ..	४०	००
११	मोहनलाल खेड़ा ..	.. ,, ..	१२८	००
१२	हिलगी ..	.. ,, ..	१४३	००
१३	समेसी ..	.. ,, ..	३००	००
१४	डेडवा ..	.. ,, ..	११०	००
१५	डडवा ..	.. ,, ..	३२५	००
१६	मरुई ..	.. ,, ..	२३७	५०
१७	लालपुर ..	.. ,, ..	२५०	००
१८	डबरिया भरसवां ..	.. ,, ..	१७५	००
१९	मुरलिया खेड़ा ..	.. ,, ..	८३	००
२०	टिकरा ..	.. ,, ..	२००	००
२१	निगोहां ..	.. ,, ..	१५०	००
२२	मीरखनगर ..	.. ,, ..	२५०	००
२३	कुसबीटा ..	.. ,, ..	२५०	००
२४	जमालपुर ..	.. ,, ..	७००	००
२५	सिसेंडी ..	.. ,, ..	२४३	००
२६	कांटा करौदी ..	.. कूप मरम्मत	९०	२५
२७	दाऊदपुर ..	.. ,, ..	७६	००
२८	करोरवा ..	.. ,, ..	१००	००
२९	राधाकृष्ण खेड़ा ..	.. ,, ..	५०	००
		योग ..	५,०५३	७५

विवरण २

द्वितीय श्रेणी खंड गोशाईगंज, (लखनऊ) में हरिजनोत्थान हेतु वितरित किये गये रुपये की सूची

क्रम-सं०	गांव का नाम	कार्य का विवरण	धनराशि जो व्यय हुई	
			रुपये	नये पैसे
१	सठवारा ..	.. नये पानी पीने के कुयें	५१७	००
२	महुरा खुर्द ..	.. .. ..	५७५	००
३	आदमपुर नौबस्ता ..	.. ,, ..	१३२	००
४	मोहरारी खुर्द ..	.. ,, ..	२७५	००
५	सलेमपुर ..	.. ,, ..	२४०	००
६	बहरौली ..	.. ,, ..	३६०	००
७	(कार्जाखेरा) बधौली	.. ,, ..	२५०	००
८	जमालपुर कुमियान ..	.. ,, ..	७७	५०
९	कपेरा मदारपुर ..	.. ,, ..	३००	००
१०	ढखवा ..	.. ,, ..	१००	००
११	कटरा बक्कास ..	.. ,, ..	१५०	००
१२	पहाड़नगर चिकरिया	.. ,, ..	९००	००
१३	रहमत नगर लखपेरा	.. ,, ..	५८०	००
१४	चुरहिया मलकपुर ..	.. ,, ..	३००	००
१५	सिठौली कलां ..	.. ,, ..	२५०	००
१६	भोरा खुद ..	.. ,, ..	२२५	००
१७	टिकरा जुगराज ..	.. ,, ..	२५०	००
१८	दाम्रदपुर सैदपुर ..	.. ,, ..	४९९	००
१९	अमेठी ..	.. ,, ..	४००	००
२०	मीसा ..	.. ,, ..	३५०	००
		योग ..	६,७३०	५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तत्वी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर।)

क्रम-सं०	नाम युवक मंगल दल	सदस्यों की संख्या	क्रम-सं०	नाम युवक मंगल दल	सदस्यों की संख्या
१	भलुआ ..	३५	३९	बहरामपुर ..	१०
२	मदरहा ..	२०	४०	सलटौआं ..	२०
३	नगवा ..	२०	४१	लपसो ..	१५
४	सुमई कोन पुरवा ..	१२		कोकेली ..	१३
५	बेवरी ..	२०		पितौत ..	१०
६	नसीरगंज ..	२०	४२	कौथिली ..	२२
७	बढ़ैइया ..	२०	४३	विशनपुर ..	१६
८	गेंदाखोर ..	४२	४४	बढ़नी	
९	गवेंथहा ..	१६	४५	गंगापुर	७२
१०	हरदिया ..	३८	४६	पगर	
११	भदौसी ..	३०	४७	कोछारी ..	२२
१२	खमरिया सुजात ..	१५	४८	सौंडिहा ..	१२
१३	गाजीपुर ..	२०	४९	कटोर शुक्ल ..	१२
१४	टेमूआ ..	१७	५०	किथौरी ..	११
१५	पखरी ..	१५	५१	परहर गोविंद ..	१५
१६	कनैला ..	८	५२	मछरी गांव ..	१२
१७	महदेनपुर ..	३	५३	असनहरा ..	१५
१८	महादेवा ..	२३	५४	पिपरा ..	२०
१९	हहरौना ..	२२	५५	औसातपुर ..	१८
२०	नगर ..	१५	५६	बहेड़िया ..	२०
२१	बेली ..	१५	५७	चौराबनगवां ..	२४
२२	हथिया ..	१२	५८	परसा ..	१५
२३	केवनहा ..	१२	५९	सुभाष दल ..	२४
२४	पिपरागौतम ..	१२	६०	शरदल ..	२४
२५	कलवारी ..	१२	६१	हेरूदल ..	२४
२६	भनवापुर		६२	धमौचा	
२७	बिस्काहर		६३	सिकारी	१०५
२८	रमवापुर जगत		६४	छेकहरा	
२९	मनिकौरा	१६८	६५	रौंतापुर	
३०	सन्सुरी		६६	उसका बाजार ..	२०
३१	भेलवा प्रतापपुर		६७	बर्डपुर नं० ९ ..	२०
३२	डेगहा		६८	सिसवा बाजार ..	२४
३३	चनवटिया ..	२५	६९	भानपुर बाबू ..	११
३४	पिपरा जयपाली ..	१२	७०	रामनगर ..	१२
३५	परैना ..	१८	७१	भकरी पठान ..	२५
३६	दासीपार ..	२३	७२	सेमूरी खान कोट ..	२२
३७	शिवपुर ..	२३	७३	बूढ़धा ..	२२
३८	जिनवां ..	१६	७४	जोगिया ..	२४

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३१ पर।)

क्रम-सं०	ग्राम सेवक का नाम	योग्यता	जिला
१	नारायणदत्त पन्थ	१--हाई स्कूल ..	.. अल्मोड़ा
		२--एडवांस हिन्दी भाषा..	..
२	एस० डी० अधिकारी	१--हाई स्कूल ..	.. गढ़वाल
		२--कृषि का डिप्लोमा ..	..
३	जी० एस० बिष्ट ..	१--वर्नाक्युलर मिडिल ..	.. अल्मोड़ा
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
४	हीरा सिंह ..	१--वर्नाक्युलर मिडिल ..	.. ,,
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
५	नवीदेश्वर पांडे ..	१--हाई स्कूल ..	.. नैनीताल
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
६	जे०बी० जोशी	१--हाई स्कूल तक पढ़ा ..	.. अल्मोड़ा
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
७	नन्द बल्लभ सती	१--हाई स्कूल ..	.. नैनीताल
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
८	यू० सी० पांडे	१--आठवीं कक्षा पढ़े ..	.. अल्मोड़ा
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
९	एम० सी० पंथ ..	१ --हाई स्कूल तक पढ़ाई की	.. ,,
		२ --कृषि डिप्लोमा ..	..
१०	एम० एस० मेहरा ..	१--हिन्दी मिडिल ..	.. ,,
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
११	एल० आर० टामटा ..	१--९ कक्षा तक योग्यता पाई	.. ,,
		२--कृषि डिपलोमा ..	..
१२	रामचन्द्र सती ..	१--हाई स्कूल तक पढ़ाई की	.. गढ़वाल
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
१३	बी० डी० खुल्बे ..	१--हाई स्कूल ..	.. अल्मोड़ा
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
१४	बी० एस० असवाल ..	१--हाई स्कूल ..	.. गढ़वाल
१५	आनन्द बल्लभ पंथ ..	१--हिन्दी मिडिल ..	.. टेहरी-गढ़वाल
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
१६	पूरनसिंह मेहता	१--हिन्दी मिडिल ..	.. अल्मोड़ा
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
१७	दयाशंकर मिश्र ..	१--एम०ए० ..	.. नैनीताल
१८	श्याम लाल गंगवार	१--हाई स्कूल कृषि सहित,	.. ,,
		जे०टी०सी०कृषि सहित	..
१९	पान सिंह	१--वर्नाक्युलर मिडिल ..	.. अल्मोड़ा
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..
२०	सी० डी० नौटियाल	१--हाई स्कूल तक योग्यता पाई	.. गढ़वाल
		२--कृषि डिप्लोमा ..	..

क्रम-संख्या	ग्राम सेवक का नाम	योग्यता	जिला
२१	राम जतन सिंह	१—हाई स्कूल ..	.. रुद्रपुर
		२—कृषि डिप्लोमा ..	.. नैनीताल
२२	राम सिंह भुकानी	१—हिन्दी मिडिल ..	.. टेहरी-गढ़वाल
		२—कृषि डिप्लोमा ..	..
२३	सोबन सिंह ..	१—हिन्दी मिडिल ..	.. अल्मोड़ा
		२—कृषि डिप्लोमा ..	..
२४	एस० के० पंथ ..	१—हिन्दी मिडिल ..	.. ,,
		२—कृषि डिप्लोमा ..	..
२५	राजेन्द्र सिंह नेगी	१—बी०ए० ..	.. गढ़वाल
२६	एम० एस० बोरा ..	१—हाई स्कूल ..	.. अल्मोड़ा
		२—कृषि डिप्लोमा ..	..
२७	सी० एस० यूनियाल	१—वर्नाक्यूलर फाइनल ..	.. गढ़वाल
		२—कृषि डिप्लोमा ..	..
२८	बाछौ राम ..	१—वर्नाक्यूलर फाइनल ..	.. अल्मोड़ा
		२—कृषि डिप्लोमा ..	..

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३३ पर।)

मुख्य मांग

१--लगान आदि की वसूली बन्द करके जिन अधिकारियों ने अमानुषिक अत्याचार किये हैं उनको दंड दिया जाय।

२--किसानों को कम से कम २० रुपये प्रति एकड़ की दर से तकावी दी जाय।

३--बड़े पैमाने पर टेस्ट वर्क खोले जायं और उनमें मजदूरी की दर बारह आना और आठ आना कर दी जाय।

४--बांध बनाने की दो करोड़ से ऊपर की जो योजनायें धनाभाव के कारण रुकी हुई हैं वह तुरन्त जारी कर दी जायं।

५--पूरब के १५ जिलों की जनता की सहायता के उद्देश्य से घाघरा, राप्ती, गण्डक और इनकी सहायक नदियों के नियंत्रण के लिये बहुधंधी नदी घाटी योजना तैयार करके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भीतर ही चालू कर दी जाय।

६--सस्ते गल्ले की दूकानें हर गांव सभा के क्षेत्र में खोली जायं।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २८६ एल० ए०—१९५९—८४५।